तृतीय माला, खण्ड १७—अंक ४९

मंगलवार, २३ अप्रैल, १९६३
३ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित* प्रश्न संख्या ९८६ से ९९०, ९९२ से ९९७, ९९९, १००२ से १००३ और १००६	४९०७—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९१, ९९८, १००० से १००१, १००५ और १००७	४९३२—३५
अतारांकित प्रश्न संख्या २१७० से २१७३, २१७५ और २१७७ से २२३४	४९३५—६०
सभा पटल पर रखा गया पत्र	४९६०
तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५८७ के उत्तरों में शुद्धि . .	४९६०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नीति . . .	४९६१–६२
(२) संयुक्त अरब गणराज्य, इराक और सीरीया का एक संघ बनाने के हेतु प्रस्तावित विलय और उसके संबंध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया	४९६२–६३
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . . .	४९६३–६४
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . .	४९६४
वित्त मंत्री के साथ एक माननीय सदस्य के पत्र-व्यवहार के बारे में .	४९६४
राज भाषायें विधेयक	४९६५—५००२
विचार करने का प्रस्ताव	४९६६—५००३
श्री लाल बहादुर शास्त्री .	४९६६—७४
श्री ही० ना० मुकर्जी.	४९७५—७७
डा० गोविन्द दास	४९७७—८७
श्री उ० मू० त्रिवेदी	४९८७—८९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २३ अप्रैल, १९६३
३ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : सचिव उस सदस्य का नाम बोलें जो संविधान के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने के लिये आये हैं।

सचिव : श्री परसोत्तम दास हरिभाई भील

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद्-कार्य मंत्री माननीय सदस्य का परिचय सभा को दें।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, मुझे आप से तथा आपके द्वारा सभा से श्री पुरषोतमदास हरिभाई भील का परिचय कराने में बहुत प्रसन्नता है जो श्री हीरभाई कुंवरभाई बारिया की मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान में गुजरात के दोहद निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं

श्री परसोत्तमदास हीराभाई भील (दोहाद)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जहाजों की भाड़े की दरें

+

†*९८६. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजों के भाड़े की दरें विदेशी जहाजों की दरों से अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस कारण नौवहन समवायों को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

534 (Ai) LSD—1.

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ?

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि "जी, नहीं"। यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य देशों ने भारतीय जहाजों को भाड़े पर लेने से क्यों मना कर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: यह निश्चय करना उनका काम है उन्हें भाड़े की दरों का पता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उन भारतीय जहाजों की भाड़ों की दरें बढ़ गई हैं जो कि तटवर्ती क्षेत्रों में चल रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह उस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप बढ़ा दी गई हैं जिसने कि कुछ समय पूर्व इस प्रश्न की जांच की थी ।

रेलवे के लिये कंक्रीट के स्लीपर

+

†*९८७. { **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री प्र० चं० बरुआ** : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के लिये प्रबलित[१] सीमेंट कंक्रीट स्लीपरों तथा पूर्व प्रतिबलित[२] कंकरीट स्लीपरों का प्रयोग करने के प्रस्ताव की जांच करने के लिये सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समिति ने कोई मत व्यक्त किया है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) प्रस्ताव विस्तारपूर्वक जांच करने, कंक्रीट स्लीपरों के लिये एक उपयुक्त डिज़ाइन (अथवा डिज़ाइनों) का चयन करने तथा देश में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के हेतु एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक विशिष्ट कार्य निदेशक नियुक्त किया गया है

(ख) अभी तक नहीं नहीं, श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : जब कि हम हमेशा से ही लकड़ी के स्लीपरों को उपयोग में लाते रहे हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह पता लगाने के लिये एक समिति क्यों नियुक्त की गई है कि हम कंक्रीट स्लीपरों को उपयोग में ला सकते हैं अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Reinforced

[२]Pre-stressed

†श्री शाहनवाज़ खां : लकड़ी से स्लीपरों का, विशेषरूप से कड़ी लकड़ी के स्लीपरों का, सम्भरण कम है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या कंक्रीट स्लीपरों के टिकाऊपन तथा लागत के विषय में जाँच पड़ताल कर ली गई है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : जी, हाँ। यह प्रश्न निरन्तर ही विचाराधीन रहा है। प्रतिबलित कंक्रीट स्लीपरों का टिकाऊपन ४० से ५० वर्ष तक का है। लकड़ी के स्लीपरों का टिकाऊपन लगभग १० से १५ वर्ष तक है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि टेंडर दे दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो कितने टेंडर प्राप्त हुए हैं तथा टडर देने वालों ने मान्यता प्राप्त किस्म के स्लीपरों का क्या मूल्य लिखा है और प्रत्येक किस्म के लिये, यदि कोई रायल्टी दी जानी है तो इसको मिलाकर, कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी जानी है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : टेंडर हाल ही में खोला गया। यूरोप के उन कुछ अग्रणी देशों ने जो कि कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग करते रहे हैं अपने टेंडर भेजे हैं। समस्त प्रश्न की जाँच की की जा रही है।

†श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि इसमें कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान अन्तर्ग्रस्त है तथा किस ने इन किस्मों के लिये टेंडर भेजे हैं ?

†श्री शानहनवाज़ खां: : इसमें विदेशी मुद्रा का भुगतान लगभग बिल्कुल भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि स्लीपरों का निर्माण भारत में ही किया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश में प्रोजेक्ट्स के लिए कहा जाता है तो सीमेंट की कमी बतलायी जाती है, तो इन सीमेंट कांक्रीट स्लिपर्स के लिए क्या सीमेंट का इन्तिजाम कर लिया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जो काम बहुत जरूरी होता है उसको तरजीह दी जाती है। क्योंकि इस काम की बहुत ऊंची प्रायरिटी है, इसलिये इसके लिए सीमेंट की कोई कमी नहीं होगी ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या राज्य सरकारों को देश में इन कड़ी लकड़ी के स्लीपरों के सम्भरण को बढ़ाने के लिये कोई अवसर दिये गये हैं और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†श्री शाहनवाज़ खां : कड़ी लकड़ी के स्लीपरों के सम्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिये हमने प्रत्येक प्रयत्न किया है। रेलवे मंत्रालय उसके लिये कृतज्ञ है। प्रतिक्रिया अच्छी रही है, परन्तु उस अच्छी प्रतिक्रिया के बावजूद भी हमें और अधिक स्लीपरों की आवश्यकता है।

†डा० क० ल० राव:: क्या सरकार ने विदेशों में कंक्रीट स्लीपरों की लागत तथा उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है ?

---

†मूल अँग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस प्रश्न का बहुत विस्तार-पूर्वक अध्ययन किया गया है और उस जाँच पड़ताल के पश्चात ही हमने कदम उठाये हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, इन स्लीपरों का टिकाऊपन ४० से लेकर पचास वर्ष तक आंका गया है। हम यह जानना पंसद करेंगे कि क्या वर्तमान स्लीपरों की तुलना में इन कंक्रीट स्लीपरों की लागत के सम्बन्ध में मंत्रालय की इस समय कोई बात ज्ञात है अथवा नहीं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, हाँ। लागत के सम्बन्ध में हमारे पास पूरे ब्यौरे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा तीन अथवा चार विभिन्न प्रकार के स्लीपरों उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस्पात स्लीपरों के चलने का समय लगभग ३५ वर्ष है तथा छोटी लाइन व बड़ी लाइन के लिये उनकी लागत ३० रुपये से ४४ रुपये के बीच है ; ढले हुए लोहे के स्लीपरों के चलने का समय ४० वर्ष है तथा छोटी लाइन के लिये उसका मूल्य २७ रुपये और बड़ी लाइन के उसका मूल्य ४६ अथवा ४७ रुपये है ; लकड़ी के स्लीपरों का चलने का समय १५ वर्ष है तथा बड़ी व छोटी लाइन के लिये उसका मूल्य क्रमश: २५ रुपये तथा १३.२५ रुपये है ; नरम लकड़ी के स्लीपरों का मूल्य बड़ी लाइन के लिये २८.५० रुपये तथा छोटी लाइन के लिये १४.५० रुपये है ; कंक्रीट स्लीपरों का मूल्य ३७ रुपये से लेकर ६९ रुपये के बीच है चाहे वह बड़ी लाइन के लिये हों अथवा छोटी लाइन के लिये।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्लीपरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है अथवा नहीं और क्या यह देखने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है अथवा नहीं कि लकड़ी के और अन्य प्रकार के स्लीपर उपयोग में न लाये जायें जिससे कि इस्पात तथा लकड़ी अन्य कार्यों के लिये बचाई जा सके।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : भारतीय रेलवे के लिये हमें प्रतिवष लगभग ७० लाख से ७५ लाख तक स्लीपरों की आवश्यकता होती है। हमें लगभग २५ लाख अथवा इससे कुछ अधिक लकड़ी के स्लीपर मिलते हैं। हम ढले हुए लोहे के स्लीपरों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और फिर भी हमें और अधिक स्लीपरों की आवश्यकता है।

†**श्री अ० प्र० शर्मा** : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि स्लीपरों के उपयोग के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये एक विशिष्ट कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्या प्रतिवेदन दिये जाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित कर दी गई है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, हां। परियोजना प्रतिवेदन लगभग पूरा हो चुका है और और मुझे आशा है कि अगले कुछ दिनों में ही वह आ जायेगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** : किन किन देशों ने टेंडर भेजे हैं तथा किसका टेंडर सब से कम मूल्य का है ?

†**श्री शाहनावाज़ खां** : जैसा कि मेंने कहा था, इंगलैंड, फ्रांस, बेलजियम तथा जरमनी जैसे यूरोप के सभी उन्नत देशों ने जो कि इस प्रकार के स्लीपरों का उपयोग कर रहे हैं, टेंडर भेजे हैं।

---

†मूल अँग्रजी में

†**श्री वासुदेवन नायर** : मैं यह भी जानना चाहता था कि सबसे कम मूल्य का टेंडर कौन सा है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : हम अभी तक उनकी जाँच कर रहे हैं । यह अभी ज्ञात नहीं है ।

छोटी सिंचाई योजनायें

+
९८८. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये विभिन्न र ज्यों के लिये कितना धन आवंटित किया गया ; और

(ख) क्या छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये निश्चित धन राशि के पूरी तरह से व्यय किये जाने तथा किसानों द्वारा उसका पूरा फायदा उठाये जाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) पूछी गई सूचना का विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—११८८/६३]

(ख) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लघु सिंचाई के लिये की हुई सामान्य व्यवस्था और 'कृषि कार्यक्रम' शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली बचत का उपयोग लघु सिंचाई (जिसमें भूमि संरक्षण भी सम्मिलित है) के लिये हो और किसी हालत में भी इनको विकास के अन्य क्षेत्रों के लिये परिवर्तित न किया जाये ।

राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ६ सप्ताह का समय निश्चित करें और वह सुनिश्चित करें कि कृषकों के ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाया जाये और उनको शीघ्र ऋण दे दिया जाये ताकि आवश्यक ऋण न मिलने के कारण कुओं की खुदाई अथवा अन्य लघु सिंचाई की योजनाओं में बाधा न पड़ जाये ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : लघु सिंचाई योजनाओं को आरम्भ करने के लिये शीघ्रतापूर्वक वित्तीय सहायता दिये को सुनिश्चित करने के हेतु क्या यह देखने के लिये कि जो आवंटन किया जा रहा है उसकी शीघ्रत.पूर्वक वृद्धि की जाती है सरकार का राज्य सरकारों के साथ गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी सम्बद्ध करने का विचार है ?

†**श्री शिन्दे** : जहाँ तक आबंटनों का सम्बन्ध है वह शीघ्रतापूर्वक किये जाते हैं । फिर भी, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि संसद्-सदस्यों तथा अन्य स्थायी प्रतिनिधियों को आवंटन करने वाली संस्थाओं के साथ सम्बद्ध किया जाय ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : आँध्र प्रदेश को जो अतिरिक्त आवंटन किया गया है उसमें से कितनी धन राशि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये आवंटित की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में ब्यौरों का पूछना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वैंकटासुब्बया :** एक करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** में केवल यह कहना चाहता था कि यदि हम प्रत्येक राज्य के ब्यौरों के सम्बन्ध में जानना चाहें तो इसमें बहुत समय लगेगा।

†**श्री पें० वैंकटासुब्बया :** फिर में इस प्रकार पूछूंगा। प्रत्येक राज्य को जो अतिरिक्त आवंटन किया गया है उसमें से कितने प्रतिशत धन राशि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये नियत की गई है ?

†**श्री शिन्दे :** जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें सब ब्योरे दिये गये हैं। वास्तव में आंध्र के लिये मूल परिव्यय २९६ लाख रुपये का था। आपातकाल के कारण १७४ लाख रुपये के परिव्यय का अतिरिक्त आबंटत किया गया है। कुल मिला कर आंध्र प्रदेश की लघु सिंचाई योजाओं के लिये ३१७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

†**श्री पें० वैंकटासुब्बया :** कितने प्रतिशत है

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसहाय पाण्डेय।

†**श्री रामसहाय पाण्डेय :** कुछ समय पूर्व माननीय राज्य-मंत्री डा० रामसुभग सिंह भोपाल गये थे तथा लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की थी। उस समय उन्होंने कलश दिया था तथा कलश समारोह मनाया गया था क्योंकि मध्य प्रदेश ने अधिक उत्पादन किया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** कशल समारोह का क्या करना है ! ? वह लघु सिंचाई के सम्बन्ध में पूछें।

†**श्री रामसहाय पाण्डेय :** उन्होंने लघु सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की थी। मैं यह जानना चाहता था कि इसका क्या परिणाम रहा।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** जिस समय मैं भोपाल में था तथा हाल ही में बडनी तथा होशंगाबाद में मैंने लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण तथा चम्बल की भूमि के सुधार के कार्यक्रम के भी ब्यौरों पर चर्चा की थी। राज्य सरकार योजना को अंतिम रूप दे रही है तथा इस सम्बन्ध में वहां के कृषि मंत्री के ३० अप्रैल को, इस महीने, दिल्ली आने की सम्भावना है।

†**श्री मानसिंह प्र० पटेल :** माननीय सभा-सचिव के उत्तर को ध्यान में रखते हुए जिसमें भूमि संरक्षण में हुई बचत को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये हस्तांतरण करने का सुझाव दिया गया है, क्या यह सच है कि राज्य सरकारें भूमि संरक्षण के कार्य की अवहेलना करती हैं तथा उसे मन्द गति से करती हैं ?

†**श्री शिन्दे :** एक ही शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न आबंटनों को हस्तांतरित किये जाने की अनमति है। क्योंकि भूमि संरक्षण भी लघु सिंचाई के ही अंतर्गत आता है अतः निधियां हस्तांतरणीय हैं। जहां तक सम्भव हो सकता है, राज्य सरकारें उसी प्रयोजन के लिये धन का उपयोग करती हैं जिसके लिये वह आवंटित किया गया है।

†**श्री पू० र० पटेल :** जहां साधारण कुओं से कार्य लेना सम्भव नहीं है तथा कृषक ट्यूबवैलों से कार्य लेते हैं, क्या वहां ट्यूबवैलों के लिये अर्थसहायता देने की अथवा ऋण देने की सरकार की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** अन्वेषी नलकूप संघ, जो कि नलकूपों को खोदने का कार्य करता है, के अधीन एक योजना चल रही है। यदि यह नल-कूप लाभदायक सिद्ध होंगे तो वे अनेक राज्यों को दे दिये जायंगे ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मेरा यह प्रश्न नहीं है । मेरा प्रश्न यह है : क्या नलकूपों को खोदने के लिये कृषकों को राजसहाय्य देने की अथवा उनको ऋण देने की सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री अ० म० थामस:** धरातली कुओं के लिये के लिये ७५ प्रतिशत ऋण तथा २५ प्रतिशत अर्थसहायता देने की एक योजना है । तालाबों के नवीकरण लिये ७५ प्रतिशत ऋण तथा २५ प्रतिशत अर्थसहायता और कूलों के लिये ७५ प्रतिशत ऋण तथा २५ प्रतिशत अर्थसहायता देने की योजना है । इस प्रकार की सहायता दी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** डा० पी० एस० देशमुख ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं नलकूपों के सम्बन्ध में जानना चाहता था, सामान्य कुओं के सम्बन्ध में नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । केवल एक ही प्रश्न ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** क्या कृषकों के लिये विद्युत् पम्पों की व्यवस्था करना भी इस योजना का भाग है । तथा इस प्रयोजन के लिये जो अतिरिक्त सहायता दी जा रही है उसका क्या अनुपात है ?

†**श्री शिन्दे :** विद्युत् पम्पों, डीज़ल पम्पों आदि का कृषकों को दिया जाना इसी योजना के अन्तर्गत आता है । स्वभावतः ही राज्य सरकारें इस आवंटन में से ही कृषकों के लिये पम्पिंग सैट्स आदि की व्यवस्था कर सकती हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार को यह समाचार प्राप्त हुए है कि मैसूर राज्य द्वारा, लघु सिंचाई कार्यों के लिये किये गये आवंटन का एक भाग एक चिड़ियाघर बनाने के लिये परिवर्तित कर दिया गया है । और यदि हां, तो इस मामले में चेतावनी देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पहले भी किसी समय पूछा गया था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था ।

†**श्री अ० म० थामस :** इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कोई खंडवार आवंटन नहीं किया गया है । राज्य सरकार यह करने के लिये स्वतंत्र है कि . . .

†**श्री हरिविष्णु कामत :** एक अखबारी सूचना है । यदि आवश्यक हो तो मैं उसे दूंगा । उन्हें इसकी जांच करने दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री वह जानकारी प्राप्त कर लें । अन्यथा, यह प्रश्न दो अथवा तीन दिन पश्चात् पुनः पूछा जायगा ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** जब तक इसका अन्तिम रूप से उत्तर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गौरीशंकर कक्कड़** : क्या यह सच है कि आवंटन की एक बहुत बड़ी राशि अभी तक व्यय किये जाने के लिय शेष है। क्योंकि वास्तविक कार्यान्विति करने के लिये कोई संस्था नहीं है और विशेषतया उत्तर प्रदेश में जहां कि यह कार्य सहकारी संस्थाओं से लिया गया है अभी तक एक बहुत बड़ी धनराशि व्यय नहीं की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : लघु सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने १९६२–६३ में लगभग ६ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय किये हैं और १९६३–६४ के लिये उन्होंने ६ करोड़ ६५ लाख रुपय की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त अन्य १ करोड़ रुपये व्यय करने की भी अनुमति दी जा रही है ।

श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स में जो स्टेट-वाइज़ कमी की गई है क्या उसको फिर से रैस्टोर करने का शासन का विचार है ?

†**श्री शिन्दे** : वास्तविक आवंटन बढ़ा दिये गये हैं। सभी राज्यों में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे लगभग ५० अथवा ४० अथवा ३० प्रतिशत तक बढ़ा दिये गये हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि शिवरमन समिति ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों की लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की थीं वे बिल्कुल ही क्रियान्विति नहीं की गई हैं। और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में लघु सिंचाई योजनाओं को चलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री अ० म० थामसः** यह बात ठीक नहीं है। उन सभी सिफारिशों को कायन्वित किया जा रहा है तथा लघु सिंचाई कार्यक्रमों में वहां संतोषजनक प्रगति हुई है।

श्री यशपाल सिंहः : जैसे कि अभी दो हफ्ते पहले सिंचाई मंत्री जी ने बहस के दौरान कहा था कि माइनर इर्रीगेशन के मातहत अगर लिफ टिंग का इंतजाम कर दिया जाय तो ४० फ़ी सदी प्राबलम हल हो सकती है तो उस ४० फ़ीसदी को सौल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**श्री शिन्दे** : माननीय सदस्य से अपना प्रश्न पुनः पूछने के लिये कहा जाय ।

अध्यक्ष महोदयः श्री दीवन चन्द्र शर्मा।

†**श्री दीवान चन्द्र शर्मा** : इन लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये किस कसौटी के आधार पर अनुदान अथवा राजसाहाय्य दिये जाते हैं ? किस राज्य को सब से अधिक तथा किस राज्य को सब से कम मिला है ?

†**श्री शिन्दे** : एक विवरण पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया है, ये सब ब्यौरे उस विवरण में उल्लिखित हैं और माननीय सदस्य कृपया उसी विवरण को देखें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उस में उनकी कसौटी के सम्बन्ध में नहीं लिखा है ।

†**श्री अ० म० थामस** : योजना की व्यवहार्यता ही कसौटी है।

†**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में इञ्जीनियरों में सम्बन्धित ज्ञान की कमी होने के कारण इस लघु सिंचाई कार्यक्रम के अधीन प्रारम्भ की गयी योजनाएं असफल हुई हैं और इसलिये वहां के लोगों में इसके प्रति बहुत आक्रोश है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० म० थामस : हमें यह ज्ञात नहीं है । यदि माननीय सदस्य द्वारा कोई विशिष्ट उदाहरण मंत्रालय के ध्यान में लाया जायेगा तो उसकी जांच की जायेगी तथा उपयुक्त पग उठाये जायेंगे ।

दिल्ली के चिड़ियाघर में पशु-पक्षियों के खाने के खर्च में कमी

+

†*९८९. श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकारलाल बेरवाः
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में बचत की दृष्टि से चिड़ियाघर के पशु-पक्षियों के खाने के खर्चे में कमी करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस ढंग से तथा कितनी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, नवम्बर, १९६२ से शेर, चीते, तेंदुए तथा प्यूमाओं जैसे बड़े बड़े मांसाहारी पशुओं के मामले में भेड़ के मांस के स्थान पर भैंसे का मांस देने का एक नया खुराक कार्यक्रम चलाकर कुछ बचत की गई है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस पर विचार किया जायगा तो कब तक किया जायेगा और इस कटौती के करने से कितनी बचत होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : कटौती करने का विचार नहीं है । हम लोग चाहते हैं कि जो जानवर जू में हैं उनका स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा रहे लेकि यह जो भैंस का मांस देना शुरू किया गया है, उस की क़ीमत कम है, इसलिये खर्चे में प्रतिमास ढाई हजार रुपये की कमी आ गई है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जो खुराक में कटौती की गई है तो उस खुराक की कटौती करने से उन के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा है और न हम लोग उस पर असर डालना चाहते हैं । उन का स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा बनाये रखेंगे और उसके लिए अगर कुछ ज्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रुरत होगी तो वह भी हम करेंगे । लेकिन यह बकरे और भेड़ों के मांस की जगह भैंसों का मांस जो देना शुरू किया गया है यह इसलिए कि उस मांस की अपेक्षा भैंस का मांस सस्ता है और हैल्थ भी ज्यों की त्यों रहती है । उस पर कोई ख़राब असर नहीं पड़ता है ।

†**श्री कपूर सिंह** : हाल ही में लाई गई रेणु नामक गिबन के लिये जो सुस्वादु आहार पद्धति निर्धारित की गई है क्या वह अन्त में चिड़ियाघर में रहने वाले अन्य जानवरों के लिये खाने का स्तर बन जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : रेणु हाल ही में आई है। सभी पशुओं का विभिन्न आहार है। इसलिए एक प्रकार की खुराक ही उन सभी के लिए एक स्तर नहीं हो सकती। परन्तु हम सभी जानवरों को सर्वोत्तम खुराक देंगे।

†श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : मेरा विचार है कि बहुत कम मिलने वाले सफेद शेरों की नस्ल के एक जोड़े को रीवां से लाये जाने की सम्भावना है। क्या उनसे अधिक अच्छा व्यवहार किया जायेगा अथवा उन्हें वही खुराक दी जायेगी ?

†अध्यक्ष महोदयः : पहले उन्हें आने तो दीजिए।

†श्री त्यागी : मैं यह जानने के लिये उत्सुक हूं कि क्या ख़राक का यह परिवर्तन मितव्ययता करने की दृष्टि से किया गया है अथवा जानवरों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए ? इन जानवरों की नई ख़राक के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ? अन्यथा, यह कटौती इन जानवरों के विरुद्ध सबसे अधिक निर्दयापूर्ण व्यवहार है।

†अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है।

†डा० राम सुभग सिंह : मैं अपने माननीय सहयोगी का चिड़ियाघर में आने के लिये स्वागत करूंगा। वह यह देख कर प्रसन्न होंगे कि . . . **(अन्तर्बाधायें)**

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

†श्री त्यागी : मैं इसका विरोध करता हूं। मैं एक मनुष्य हूं, जानवर नहीं। वह मुझे चिड़ियाघर में जाने के लिये किस प्रकार कहते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : केवल कभी कभी जाने वाले दर्शक के रूप में, वहां रखे जाने के लिये नहीं।

श्री शिव नारायण : क्या यह सत्य है कि दिल्ली के ज़ू में इन्तज़ाम बहुत अच्छा होने के कारण और जानवरों ने दरख्वास्त दी है कि उन को भी वहां पर एडमिट कर लिया जाये।

डा० राम सुभग सिंह : वहां इन्तज़ाम तो बहुत अच्छा है। हम को जितने भी नये नये ढंग के जानवर मिलेंगे, उन सब का हम लोग उपयोग करेंगे और वहां रखने की व्यवस्था करेंगे।

†श्री हरिविष्णु कामत : यदि मैंने माननीय मंत्री की बात ठीक सुनी है तो उन्होंने कहा था कि खुराक में यह परिवर्तन नवम्बर में किया गया था। क्या यह सही है ?

†डा० राम सुभग सिंह : जी, हां।

†श्री हरिविष्णु कामत : इसका अर्थ है कि २६ अक्तूबर को आपातकाल की घोषणा किये जाने के पश्चात्। यदि हां, तो क्या इन पशु पक्षियों को यह नई ख़राक, यह आपातकालीन खुराक देते समय यदि बोल कर नहीं तो संकेतों द्वारा चीनी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय आपात की भावना उनके मन में भरने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं **(अंतर्बाधायें)**

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह सेवा करने के लिये प्रस्तुत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि चिड़ियाघरों में जानवरों को जो भोजन दिया जाता है, क्या उस के लिए कोई कमेटी वग़ैरह बनाई हुई है या कोई एक्सपर्ट वग़ैरह हैं, जिन की राय के मुताबिक उनको भोजन दिया जाता है या चूंकि इमर्जेंसी आ गई है, इसलिये यह सारा परिवर्तन किया जा रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : चिड़ियाघर के जो अधिकारी हैं, वे लोग बराबर इस की अख-रेख करते हैं और एक नैशनल कमेटी भी है, जिस के माननीय प्रश्नकर्ता महोदय भी सदस्य हैं। हम लोग मौके मौके पर संसद्-सदस्यों को भी वहां पर ले जाते हैं। बाहर के डाक्टर भी वहां देख-रेख करने के लिये हैं।

फलों और पशुओं के फार्म

९९०. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊंचे स्थानों पर फलों तथा †पशुओं के फार्म स्थापित्र करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम० सुभग सिंह) : जहां तक हिमाचल प्रदेश के मण्डी ज़िले के कटौला स्थित जरसी ब्रीडिंग फार्म का सम्बन्ध है, वह फार्म संतोषजनक कार्य कर रहा है। इस फार्म के लगभग १० जरसी बैलों को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्म और काश्मीर, उत्तर प्रदेश और आसाम के राज्यों में बांट दिया गया है ताकि पहाड़ी पशु बिकास योजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक द्वारा पहाड़ी पशुओं का विकास किया जा सके। फलो के फार्मों के सम्बन्ध में तो वही स्थिति है जो २८ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५३ के उत्तर में बताई गई थी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक योजना प्रस्तुत की है। मैं यह जानना हूं कि उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है।

डा० राम सुभग सिंह : हम लोगों ने कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कलसी नामक स्थान पर जो पशुओं का फ़ार्म ह, उस को भारत सरकार ले ले और वहां पर जरसी जानवरों के लिए एक केन्द्र खोला जाये। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि वही उस को चलाती रहे। इसलिये हिमाचल प्रदेश में कटौला में और मैसूर में बंगलौर पास स्थित हजरघाटा में जरसी जानवरों के दो केन्द्र स्थापित किये गये हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी, तो हम कलसी फ़ार्म को भी मदद देंगे !

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् अभी हाल ही में शिमला में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में जो गोष्ठी हुई थी, उस में फलों और पशुओं के केन्द्र स्थापित करने के बारे में कुछ महत्व-पूर्ण सुझाव रखे गये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन सुझावों पर क्या अमल किया गया है। और क्या उनके कारण इस कार्यक्रम में और प्रगति की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

डा० राम सुभग सिंह : हमारी एक फील्ड कैटल डेवेलपमेंट स्कीम है, जिस के अन्तंगन आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के पहाड़ी हल्कों में मदद देने का विचार है और इसके केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। पंजाब में पालमपुर में और आसाम में गोहाटी के पास, और दूसरी जगहों में भी, ऐस केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जायगा। हिमाचल प्रदेश के किनौर जिले में याक, जरसी और दूसरे कैटल के क्रासब्रीड्ज तैयर करने के लिए दो केन्द्र खोले जायेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं और फलों के फार्मों में जो उत्पादन हुआ है, वह उन पर व्यय की जाने वाली धन-राशि के अनुरूप है, या अभी तक खर्च अधिक हो रहा है और पशुओं का विकास तथा फलों का उत्पादन कम हो रहा है ?

डा० रामसुभग सिंह : अगर अकेले हिमाचल प्रदेश को लिया जाये, तो पहले वहां पर एक लाख मन प्रति-वर्ष के करीब सेव होते थे, जब कि अब उनकी मात्रा करीब ढाई लाख मन प्रति-वर्ष हो गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और कुल्लू वैली में भी फलों का उत्पादन बढ़ा है और हम लोग जानवरों के सन्बन्ध में प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : ये प्रयोग कितनी ऊंचाई तक हो रहे हैं ? क्या केवल बर्फ तथा उस से भी आगे ? यदि बर्फ तक, तो किन स्थानों तक ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह साधारणतया ८००० फुट तक जरसी के लिये और पाक के लिये ८००० तथा १०,००० फुट के बीच तथा फलों के लिए १०,००० फुट तक। सब्जियों और पशुओं के लिये एक फार्म लेह के समीप मुर्त्से में है जिस की ऊंचाई ११,५०० फुट के लगभग है।

†**श्रीमती अकम्मा देवी** : इस दष्टि से कि पहाड़ी क्षेत्रों में केवल वर्ष की विशिष्ट ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के फल बहुतायत में मिलते हैं, क्या सरकार इन फलों के परिरक्षण के लिये उन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक फैक्टरियां स्थापित करेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह हमारे कार्यक्रम में शामिल है और हम उपयुक्त स्थानों पर फलों का रस निकालने की फैक्टरियां स्थापित करने का भरसक प्रयत्न करेंगे, अधिकतर फल उत्पादक केन्द्रों के समीप।

†**श्री कृ० चं० पंत** : मा० मंत्री ने कहा है कि जरसी बैल बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में बांटे जा रहे हैं। वे किन कसौटियों पर बांटे जाते हैं और इस का उन क्षेत्रों के पशु प्रजनन पर सक्रिय प्रभाव कितने वर्षों में होगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में यह योजना पिछले वर्ष ही घोषित हुई थी और ५० जरसी पशु हिमाचल प्रदेश में कटौला को तथा ५० बंगलौर को भेजे गये थे, और अब बैलों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि यह पिछले वर्ष तो शुरू की गई थी और केवल १० घंटे गये हैं और इन में से तीन आसाम, दो पंजाब, एक हिमाचल प्रतेश, दो उत्तर प्रदेश तथा एक जम्मू तथा काश्मीर भेजे गये थे।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो सरकारी रूप से फ़ार्म बनाने और पशु-पालन की व्यवस्था की गई है, उस के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से फलों के फ़ार्म बनाने वालों तथा फ्रूट-प्रिज़र्वेशन के केन्द्र खोलने वालों को क्या सरकारी अनुदान, सहायता और सुविधायें मिलती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : पर्वतीय इलाकों में ज्यादातर विकास किसानों के व्यक्तिगत बाहु-बल से अभी तक हुआ है, जो किसान फलों का बाग़ लगाना चाहते हैं, उन को पंजाब के ग़ैर-पहाड़ी इलाकों से ३०० परसेंट ज्यादा सिंचाई की सुविधा दी जाती है। और फिरोज़पुर जिले में इस की बदौलत तीस हज़ार एकड़ में मालटा के बाग लग गये हैं और अंगूरों के भी लग रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में नकद रुपये दिये जाते हैं पांच सौ प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अलग रेट है, उत्तर प्रदेश में और जम्मू काश्मीर में भी अलग रेट है। इस चीज़ के लिए हम लोग और ज्यादा कोशिश करेंगे कि बढ़े।

कृषि विश्वविद्यालयों में गृह-विज्ञान कालेज

+

†*६६२. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामहरख यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने कृषि शिक्षा सम्बन्धी भारत-अमरीकी संयुक्त दल की गृह-विज्ञान कालेज सम्बन्धी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से गृह-विज्ञान कालेज स्थापित करने को कहा गया है : और

(ग) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). दूसरे संयुक्त भारत-अमरीकी दल ने एक सिफारिश की है कि एक गृह विज्ञान कालेज इस कृषि विश्वविद्यालय में होना चाहिये। भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकारों को भेज दिया है कि यहां निकट भविष्य में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की संभावना नहीं, वहां राज्यों में गृह विज्ञान कालेज कृषि कालेजों के बिल्कुल समीप स्थापित किये जायें तथा गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक विषय के रूप में कृषि को जारी करने के लिये प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिये।

(ग) इस सिफारिश के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मालूम नहीं है। तथापि बहुत से राज्यों में गृह विज्ञान के कालेज हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान कालेज खोलने के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जहां ये विश्वविद्यालय स्थापित हो गये हैं या स्थापित किये जा रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इस साल में यानी १९६३ में आप कितने और कालेज शुरू करने जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : ऐसे कालेज २२ हैं अपने देश के विभिन्न स्थानों में।

श्री यशपाल सिंह : कृषि के अलावा और जनरल यूनिवर्स्टीज़ में इस कोर्स को शुरू करने में क्या दिक्कत है ?

डा० राम सुभग सिंह : दिक्कत कुछ नहीं है। जो पांच सबजैक्ट चुने गए हैं कि कृषि शिक्षा के सम्बन्ध के हों कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये, उन पांच में एक होम साइंस है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, उससे स्पष्ट नहीं होता है कि एग्रीकलचर कालजिज़ में होम साइंस को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : होम साइंस यानी गृह विज्ञान कृषि के लिए बड़े महत्व की चीज़ है क्योंकि जो भी कृषि का काम होता है उस का बहुत कुछ हिस्सा घर से प्रभावित होता है। अगर दूध घर में रहे तो घी वगैरह बनाने का सारा काम महिलाओं का होता है। इसी तरह से अनाज के प्रोसेसिंग का भी काम है। बगैर इस के काम चलेगा नहीं।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कितने कृषि विश्वविद्यालयों ने कार्य आरम्भ कर दिया है, और केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है तथा तीसरी योजना में कितने और विश्वविद्यालयों की स्थापना की संभावना है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : पहला विश्वविद्यालय पंत नगर में, दूसरा गत वर्ष लुधियाना में, भुवनेश्वर में और एक उदयपुर में। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा मैसूर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये विधियां बना रही हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने कृषि शिक्षा के साथ गृह विज्ञान को मिलाने का अन्तिम रूप से फैसला कर लिया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां, पांच विषयों में गृह विज्ञान एक विषय है।

कृषि प्रयोजनों के लिये लोहा तथा इस्पात

†*६६३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि प्रयोजनों के लिये लोहा, इस्पात, सीमेंट तथा कोयले के संभरण के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल द्वारा हाल में पुनर्विलोकन किया गया था

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें कीं ; और

(ग) उन को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कार्यकारी दल की सिफारिशों तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये की गई कार्रवाई का संक्षेप सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—११८६/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या कृषि के औजारों का तेजी से वितरण करने के लिये, सरकार देश भर में कृषि औजारों के सम्भरण के लिए एक केन्द्रीय विपणन निगम खोलने का विचार करती है ?

†डा० राम सुभग सिंह : हम कृषि औजार बनाने वाले लोगों की एक बैठक समवेत करने वाले हैं। उनके सुझावों को देखते हुए हम समुचित संभरण स्थापित करेंगे, किन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि वह सरकार से स्वतंत्र होगा।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : विवरण में सीमेंट के कम संभरण का उल्लेख है। क्या कृषि कार्यों के लिये सीमेंट का कोई निश्चित अभ्यंश किसानों को दिया जाया करेगा ?

†डा० राम सुभग सिंह : सीमेंट, कोयले और लोहे के लिये हमने उपयुक्त प्राधिकारियों और मंत्रियों को प्रार्थना की है कि वे कृषि कार्यों के लिये पर्याप्त अभ्यंश दें।

†श्री मानसिंह प० पटेल : इस बात की दृष्टि से कि इन चीज़ों की आवश्यकता कृषि कार्यों के लिये विशिष्ट मौसमों में ही होती है, क्या अभ्यंश सिंचाई, कुओं आदि के निर्धारित उद्देश्यों के लिये सरकारी गोदामों या सहकारी गोदामों में रखा जाना है ?

†डा० राम सुभग सिंह : यह अच्छा सुझाव है। किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि हमें उतना अभ्यंश नहीं मिलता जितना मिलना चाहिये। उन्हें गोदामों में रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को पता है कि औजारों के उत्पादन के लिये आवंटित इस्पात का दुरुपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रबंध किया है कि इसका उपयोग उन्हीं कामों के लिये किया जाये जिनके लिये इस का आवंटन किया गया है ?

†डा० राम सुभग सिंह : पिछले साल हमने राज्य सरकार तथा लोहा और इस्पात नियंत्रक के साथ सक्रिय सम्पर्क रखने के लिये एक सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किया था। हमें अभ्यंश नहीं मिल सका अतः इसके दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

†श्री पु० र० पटेल : क्या कृषि कार्यों के लिये आवंटित इस्पात और लोहे तथा सीमेंट का कृषि से भिन्न कामों के लिये प्रयोग होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†डा० राम सुभग सिंह : सीमेंट राज्यों को आवंटित किया जाता है और सब उद्देश्य एक माने जाते हैं। प्रत्येक राज्य को उतना सीमेंट मिलता है जितना आवंटित किया जाता है। हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि कृषि कार्य की उपेक्षा न की जाये और उस के लिये उचित ढंग से अभ्यंश दिया जाये।

†श्री पु० र० पटेल : लोहा और इस्पात की स्थिति क्या है ?

†डा० राम सुभग सिंह : जब मैं कलकत्ता में था तो मैंने लोहा और इस्पात उपनियंत्रक को बुला कर पूछा कि वहां उस के दफ्तर में क्या कठिनाइयां हैं, जिनके कारण इस्पात का अभ्यंश राज्य सरकारों को समय पर भेजा जाये।

†श्री पु० र० पटेल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : बदलने का प्रश्न अभ्यंश मिलने के बाद होता है, हमें अभ्यंश नहीं मिलता।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : इस समय लोहा और इस्पात तथा कोयले का कुछ अभ्यंश कृषि कार्यों के लिये मिला है और शिकायत है कि उसका दुरुपयोग होता है और वह चोर बाजरी में जाता है। क्या ऐसा कोई संगठन है जो यह देखे कि आवंटित अभ्यंश का उपयोग उसी काम के लिये होता है जिसके लिये आवंटित किया गया था ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी, हां। हमें इसकी लगातार चिन्ता रहती है और पिछले वर्ष १९६२–६३ में, राज्य सरकारों को २५,५३० टन तक अभ्यंश मिला। बिहार में भी हमारे रहने पर उनको ५०० टन मिला और उन्होंने रिपोर्ट दी कि उसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिये किया गया। यदि माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो उस को उचित जांच करवाई जायेगी।

†**श्री जसवंत मेहता** : श्री पटेल के प्रश्न के सम्बन्ध में—बदलने के प्रश्न पर नहीं अन्य पहलु के बारे में क्या सरकार शासकीय तौर पर कृषि अभ्यंश निर्बाध बिक्री में दे रही है जब कि अभ्यंश या माल की बड़ी कमी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : समचा अभ्यंश विशिष्ट राज्यों को दिया जाता है। एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा है कि उन्हें कृषि कार्यों के लिये कुछ ऋण अग्रता देनी चाहिये। यदि किसी राज्य या जिला में वैसा नहीं किया जाता तो कृपया मुझे बताया जाये और मैं राज्य सरकार को बताऊंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कृषि के लिये राज्य सरकारों के लिये आबंटित बहुत सा अभ्यंश—जो वास्तव में किसानों को मिलना चाहिये था, उद्योगपतियों द्वारा चोरबाजारी में बेचा जा रहा है और किसानों को पूरा अभ्यंश नहीं मिलता, और यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यदि ऐसा कोई मामला है तो कृपया मुझे सूचना दी जाये।

श्री तुलसीदास जाधव : स्टील सिमेंट वगैरह डिस्ट्रीब्यशन के लिए जो इंडिविजुअल मर्चेंट्स को दिया जाता है, इसके बजाय इसको कोअोप्रेटिव सोसाइटीज़ को क्यों नहीं दिया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : कोअोप्रेटिव सोसाइटीज़ को भी हम लोगों ने दिया है और कहा है कि आयरन स्टील इनको दीजिये। पांच कोअोप्रेटिव सोसाइटीज़ को लोगों ने देना शुरू भी किया है। लेकिन सारी स्टेट्स में अलग अलग तरीका रहता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे इसको उस पथ पर लावेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : किसानों की सबसे बड़ी मांग और आवश्यकता अभी पुराने औजारों के स्थान पर नये औजारों के पाने की है। क्या सरकार निश्चत्यामक रुप से यह कह सकती है कि वह इस स्थिति में है कि किसानों को नये औजार दिला सके या दे सके ?

डा० राम सुभग सिंह : हम किसानों को नये औजार दे सकेंगे। इसीलिये हर एक स्टेट में, खास कर पैकेज वाले जिलों में, एक एक वर्कशाप बन रही है, और हर एक स्टेट को लिखा भी गया है कि अमुख अमुख नये औजार उपलब्ध हैं। अगर उनको

†मल अंग्रेजी में

जरूरत हो तो जांच करके उनमें से जिस औजार को वे चाहें वह उनके यहां भेजा जा सकता है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के किराये

+

†*९९४. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किरायों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) किरायों को बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित वृद्धि के क्या ब्यौरे हैं?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). उड्डयन इंधन तथा अन्य वस्तुओं पर हाल ही में लगाये गये कुछ अतिरिक्त करों के सम्बन्ध में, निगम अतिरिक्त कर भार को पूरा करने की दृष्टि से उनके किरायों और भाड़ों को बढ़ाने का विचार कर रहा है।

†श्री अ० व० राघवन : वर्तमान दर प्रति यात्री लागत की तुलना में कैसी है ?

†श्री मुहीउद्दीन : यह दर अभी नहीं बढ़ाई गई, विचाराधीन है। यदि माननीय सदस्य इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की प्रति यात्री या प्रति टन मील लागत का उल्लेख कर रहे हैं, तो प्रति टन मील लागत का विश्लेषण वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है।

†श्री अ० व० राघवन : १९५३ के पश्चात् कितने अवसरों पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने दर बढ़ाई है और पहले कब शोधन किया गया था ?

†श्री मुहीउद्दीन : आवश्यकता के अनुसार सरकार की मंजूरी के साथ समय समय पर दरें बढ़ाई जाती हैं। ख्याल है कि दो या तीन बार से अधिक बढ़ाई गई थीं।

†श्री बूटा सिंह : क्या सरकार संसद् सदस्यों को दिये गये निशुल्क यात्रा पासों के साथ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के भाड़ों को जोड़ने का विचार करती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न बात है।

†श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार को डर है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को नवीन करों से हानि होगी और क्या इस कारण वे इस वृद्धि का विचार कर रहे हैं।

†श्री मुहीउद्दीन : वर्तमान भाड़ों की दरों से इस वर्ष ७५ लाख रुपये की हानि होने की संभावना है।

†श्री दी० चं० शर्मा : मंत्रालय कितने प्रतिशत अतिरिक्त कर भार का अनुमान लगा रहा है और किरायों में जिस वृद्धि का विचार किया जा रहा है, यह उसमें कितना होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : हाल में लगाये गये कर के कारण अतिरिक्त लागत का अनुमान १४५ लाख रुपये का है और हिसाब लगाया जारहा है कि इस अतिरिक्त लागत को कैसे पूरा किया जाये और दरों की वृद्धि में कितने प्रतिशत। अभी यह हिसाब नहीं लगाया गया ।

लंका को चीनी का निर्यात

\+
*९९५. { **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत लंका को इस महीने चीनी का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) यह चीनी किस भाव पर निर्यात की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) ४,००० मीट्रिक टन ।

(ग) ६१ पौंड प्रति मीट्रिक टन नौतल पर्यन्त निःशुल्क और भारतीय बन्दरगाहों पर नौ भाड़े सहित ।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** : यह जो चीनी लंका भजी जायगी वह किस भाव से बेची जायेगी ? उस में कितना नुकसान या फायदा होगा ?

†**श्री शिन्दे** : दर प्रतिटन ६१ पौंड होगी ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अगर नुक्सान हुआ तो क्या चीनी मिल मालिकों को कुछ सब्सिडी देने का भी विचार है ?

†**श्री शिन्दे** : निर्यात सामान्य निर्यात योजना के अन्तर्गत आयेगा । रा ?कीय व्यापार निगम तथा भारतीय चीनी मिल संथा के निर्यात प्रभाग एकमत हैं । यह चीनी जिस का निर्यात किया जाना है, सापेक्षतया बहुत कम है और इसका निर्यात लंका सरकार की विशेष प्रार्थना पर किया जा रहा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इसमें से कितनी चीनी का निर्यात किया जा चुका है, किस अभिकरण के द्वारा और किस तरीके से हम मूल्य वसूल करेंगे ?

†**श्री अ० म० थामस**: यह कलकत्ता और बम्बई में से क्रमशः १००० टन और ३००० टन भेजी जायेगी। बम्बई की चीनी भेजी जा चुकी है और कलकत्ता से जहाज मिलने पर भेजी जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात की दृष्टि से कि चीनी का उत्पादन कम है और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या सरकार अपनी निर्यात नीति को बदलेगी और देशी खपत को हानि पहुंचा कर निर्यात न करने का प्रयत्न करेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: यह काम निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से नहीं किया गया। पड़ौसी देशों को चीनी की जरूरत थी और उसे २००० टन जरूरत थी और बाद में ४००० टन थी। अतः यह भेजी गई। हम अगले वर्ष की फसल मालूम होने तक और अधिक निर्यात नहीं करेंगे।

श्री बड़े: क्या यह बात सच है कि जो शूगर लंका भजी जाती है उसके लिये वहां से पैसा मिलता है? या कि उस के बदले में रबर मिलता है और बार्टर से चीनी भजी जाती है?

†**श्री शिन्दे**: यह मामूली वाणिज्यिक सौदा है। यह लंका के साथ व्यापार करार का अंग होगा।

†**श्री बड़े**: क्या हमें कीमत नकद मिलेगी या बदले में और कुछ मिलेगा?

†**अध्यक्ष महोदय**: यह मामूली वाणिज्यिक सौदे के रूप में किया गया है।

दिल्ली में सड़क कर का भुगतान

†*९९६. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान उस असुविधा की ओर आकर्षित किया गया है जो कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के उन व्यक्तियों को हो रही है जिन्हें १९६३–६४ के लिये अपनी गाड़ियों पर सड़क कर का भुगतान करने में बहुत समय नष्ट करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष कर को एकत्रित करने का कार्य अन्य वर्षों की तुलना में देर से प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर एकत्रित करने के लिय अधिक केन्द्र खोलने का है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

बिजली के इंजनों का आयात

+

†*९९७. { **श्री दी० चं० शर्मा**:
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री राम सहाय पाण्डेय: }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान की हिताची इंजीनियरिंग कम्पनी से ४५ बिजली के इंजनों का आयात करने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इंजनों का ब्योरा क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). ३०–३–६३ को तीन जापानी फर्मों को एक क्रयादेश दिया गया है। इन फर्मों में मैसर्स हिताची लि० मुख्य हैं। इसके मेन ऋण से इसके लिये वित्त देने की जापानी सरकार की अनुमति प्राप्त होते ही मसविदे पर हस्ताक्षर किय जायेंगे। ठेके की मुख्य बातें निम्न हैं :—

लागत :—क्रयादेश की भाड़ा सहित लागत ४८७ लाख रु० है, जिसमें १०.३१ लाख रु० की रुपया राशि है जो भारत में टेक्निकल कर्मचारियों के वेतन तथा एजेंट के कमीशन के लिये है। प्रडयेक बिजली के इंजन (पुर्जों के बिना) की कारखाने से बाहर आने पर लागत १०.११ लाख रु० होगी।

भुगतान की शर्तें :

(१) आयात-लाइसेंस मिलते ही और अपेक्षित बैंक गराण्टी देने पर कुल तट-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का ३० प्रतिशत।

(२) अपेक्षित नौवहन-पत्र देने पर और तट पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य के १० प्रतिशत के लिये बैंक गारन्टी देने पर शेष भुगतान।

(३) नौ हन पत्र देने पर समुद्री भाड़ा येन मुद्रा में देना होगा।

संभरण अनुसूची

नमूने के परीक्षणों के लिये पहिले दो इंजन जनवरी, १९६४ तक जहाज से भेजे जायेंगे और बाद में ४३ इंजन, सितम्बर, ६४ से जनवरी, ६५ तक भजे जायेंगे।

स्वदेशी भाग

फर्म आंशिक या पूर्ण रूप में देश में उपलब्ध पुर्जों का, जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरस्, टेप चैंजर्स, पेंटोग्राफ्स, सेंटर बफर कपिलर्स, कम्प्रेसर्स, वेक्वाम एक्जास्टर्स, ब्रेक इक्विपमेंट, केटलगार्ड और साइड बफर्स, प्रयोग करने से सहमत हो गई है। उपरोक्त सभी पुर्जों का मूल्य इंजन के मूल्य का १३ प्रतिशत आता है, परन्तु ठेका मूल्य में दिये जाने वाले ऋण की निश्चित राशि अभी ठीक से निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) ये इंजन २५ के० वी० ए० सी० बड़ी लाइन के माल ढोने वाले ३२८० अश्व शक्ति के हैं और इनका भार लगभग ८५ मीट्रिक टन है। इनमें सिलिकन शोधक तथा गतिशील ब्रेक होंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : स्वावलम्बी बनने में सरकार को कितना समय लगेगा, जहां तक बिजली के इंजनों की उपलब्धि का प्रश्न है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: तीसरी योजना में ३३३ ए सी के इंजनों की आवश्यकता निर्धारित है, जिनमें से हम ११० प्राप्त कर चुके हैं। १३८ इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में

---

† मूल अंग्रेजी में।

बनेंगे। बाकी ८५ में से हम अब ४५ का क्रयादेश जापान को और ३५ का क्रयादेश दल देशों को दे रहे हैं। स्वावलम्बिता की मांग बढ़ रही है। अतः हम बिजली के इंजनों के बारे में शायद चौथी योजना में स्वावलम्बी हो जायेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** हमारी सरकार ने बिजली के इंजनों के संभरण के लिये जापान से क्यों सहयोग किया है? क्या जापान से करार करने से पहिले अन्य देशों से परामर्श किया गया था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह सहयोग नहीं है। हमने जापान को ४५ बिजली के इंजनों का क्रयादेश दिया है। सहयोग के बारे में, हम भोपाल हैवी इलैक्ट्रीकल्स में बिजली का सामान बनाने के लिये ग्रुप के साथ सहयोग कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय :** आयात किये गये रेलवे इंजन का मूल्य चितरंजन के बने इंजन के मूल्य की अपेक्षा कैसा है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** हमें अभी चितरंजन में ए० सी० के रेलवे इंजन बनाने हैं। जापान को दिये गये क्रयादेशानुसार एक इंजन का तट-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य १०·११ लाख रु० होगा। आशा है कि चितरंजन के इंजन का मूल्य लगभग ११ लाख रु० होगा।

†**श्री भगवत झा आजाद :** इंजनों का मूल्य, जो जापान से मंगाये जायेंगे, उन इंजनों की अपेक्षा, जिन के बारे में अमरीका से करार किया गया है, कम होगा या अधिक?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** बिजली के इंजनों अर्थात्, डीजल इंजनों के लिये अमरीका से हमने कोई करार नहीं किया है।

आसाम तथा नागालैंड में रेलवे लाइन की सुरक्षा

†*९९९. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में विशेषतया सीमा क्षेत्र तथा नागालैंड के निकट की रेलवे लाइनों को तोड़फोड़ की कार्यवाहियों से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में आसाम में नागालैंड के निकट की रेलवे लाइनों पर गोली चलाने तथा तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के कितने प्रयत्न किए गये?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) आसाम में विशेषकर सीमान्त क्षेत्रों में और नागालैंड में रेलवे लाइनों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए निम्न कार्यवाही की गई है:—

(१) गश्त बढ़ा दिया गया है और संदिग्ध स्थानों पर चौकियां (आउट पोस्ट) बढ़ा दी गई हैं;

(२) अशान्त क्षेत्रों में रेलवे में चलने वाले तथा स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को यथासंभव संरक्षण दिया गया है;

(३) गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में चलने वाली रेलगाड़ियों पर सशत्र संरक्षक रहते हैं;

(४) रेलवे कर्मचारियों तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए स्टेशनों पर सशस्त्र पुलिस रहती है;

†मूल अंग्रेजी में

(५) गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में लाइन की दोनों ओर जंगल काटे जा रहे हैं ताकि दूर तक दिखाई दे सके ;

(६) गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में चलने वाली रेलगाड़ियों के इंजनों इस्पात की चादरों लगाई गई हैं और ब्रेक वाले डिब्बों में रेत की बोरियां रहती हैं ताकि अचानक आने वाली गोली से कर्मचारियों को बचाया जा सके : और

(७) रात में गड़बड़ी वाले सेक्शनों पर चलने वाली महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों के आगे सर्च लाइट स्पेशल गाड़ी चलती है ।

(ख) गोली चलाने के १० मामलों तथा तोड़फोड़ के प्रयास के छः मामलों की सूचना इस काल में दी गई थी।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य को ध्यान में रख कर कि रेलवे लाइनों से मिले सभी जंगल नहीं हैं, क्या सरकार अधिक सुरक्षा की दृष्टि से उन क्षेत्रों में राज्य के भूमि विहीन लोगों को बसायेगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह निश्चय राज्य सरकार करेगी ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या सरकार यह सुझाव राज्य सरकार को भेजेगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** मेरा ख्याल है कि राज्य सरकार इसे पूरी तरह जानती है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस बात का ध्यान रख कर कि नागालैंड से जाने वाली रेलवे लाइन ही आसाम के दक्षिणी किनारे में एक ऐसी लाइन है जो पूर्व में मोर्चे पर सामरिक सामग्री ले जाती है, क्या सरकार का विचार नावगंज तथा जोरहाट आदि के बीच वैकल्पिक लाइन बनाने का है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां:** : अभी नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार का विचार इन गाड़ियों में कुछ सशत्र पुलिस के सिपाही या सशस्त्र सेना के सदस्य रखने का विचार है ताकि तोड़-फोड़ करने वालों को कोई अवैध कार्यवाही करने से रोका जा सके ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इन सब गाड़ियों में सशस्त्र सिपाही चलते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण से विदित होता है कि गोली चलाने के दस मामले और तोड़-फोड़ के प्रयास के छः मामलों की सूचना इस काल में दी गई है क्या इस मामले में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है और क्या माननीय मंत्री इसमें इस कार्य में कोई विदेशी हाथ होने की शंका करते हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** हम किसी भी तोड़-फोड़ करने वाले को नहीं पकड़ सके हैं परन्तु मुकाबले में जो हमारा विद्रोहियों से हुआ हमारा ख्याल है कि हमने उनमें से कुछ व्यक्तियों को मारा है। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी

†*१००२. **श्री सुबोध हंसदा:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटीग्रल कोच फैक्टरी में डिब्बे के निर्माण तथा उसमें साज सामान लगाने का व्यय कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व के अन्य देशों की तुलना में यह कितना है ; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या ये डिब्बे किस्म तथा मूल्य की दृष्टि से विदेशी डिब्बों के समान ही होते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** जी हां, (क) धीरे धीरे ।

(ख) यह व्यय संसार के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है ;

(ग) हां, इंटीग्रल कोच फैक्टरी में बने डिब्बे मूल्य तथा किस्म में ऐसे विदेशी डिब्बों की अपेक्षा काफी अच्छे हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : इंटीग्रल कोच फैक्टरी में बने पूरे डिब्बे के निर्माण व्यय में कुल क्या कमी हुई है और आरम्भ में बने डिब्बों की अपेक्षा इनका मूल्य अधिक है या कम है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** लागत निरन्तर कम हो रही है आरम्भ में हमारी लागत ३ ' ६६ लाख रुपये थी ; वर्तमान लागत १ ' ३८ लाख रुपये थी ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या भारत से निर्यात के लिए रेलवे इंजन बनाने के लिए इस फैक्टरी का विस्तार किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** पैरम्बूर फैक्टरी कोई रेलवे इंजन नहीं बनाती यह डिब्बों के लिए है ।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** लागत में कमी होने के क्या कारण हैं । क्या यह स्वदेशी पुर्जों के कारण हुआ है या बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह इन सब बातों के कारण हुआ है ।

†**श्री अचल सिंह :** क्या इस फैक्टरी से देश की जरूरत पूरी हो जाती ह ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जितनी हमारी देश की जरूरियात हैं उन को आई० सी० एफ० और एच० ए० एल० मिल कर पूरी कर देते हैं ।

†**श्री कृष्ण चंद्र पंत :** इस दृष्टि से कि इन डिब्बों का मूल्य विदेशी डिब्बों के मूल्य से कम है, क्या इन डिब्बों का निर्यात करने का कोई प्रयास किया गया है ; और यदि हां तो कितनी सफलता मिली है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी हां, हमने विश्व टैण्डरों के उत्तर में अपने मूल्य बताये हैं । ये टेण्डर अरजनटाइन और पाकिस्तान ने मांगे थे ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** इन डिब्बों की चलने की आशातीत अवधि कितनी है और वे इन डिब्बों की अवधि से कम है या अधिक है जो हम आयात किया करते थे ?

†**श्री शाहनवाज खां :** सामान्य तोड़ फोड़ के साथ इंटीग्रल कोच फैक्टरी के डिब्बे की चलने की अवधि लगभग ४० वर्ष है । यह उन डिब्बों की अवधि से अधिक है जो हम आयात करते थे ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) में कहा गया है कि व्यय राशि कम है । हमारे डिब्बे की लागत संसार में सर्वाधिक सस्ते डिब्बे की लागत से कम है या अधिक है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने पिछली बार १९५४ में डिब्बे आयात किये थे । इसके बाद हमने कोई डिब्बा आयात नहीं किया है । अतः हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अन्य देशों का मूल्य

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या होगा। परन्तु विश्व टेण्डरों से जो मांगे गये थे और जिनके उत्तर में हमने मूल्य विवरण दिया है, हम देखते हैं कि अरजनटाइना तथा पकिस्ताना के मामले में हमारा टेण्डर दूसरा सर्वाधिक सस्ता मूल्य-विवरण था ।

विलासपुर सड़क

†१००३. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलासपुर सड़क का दो हजार फुट हिस्सा नीचे बैठ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस से सरकार को कितना नुक्सान हुआ ; और

(घ) इसकी मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

विलासपुर-कीरतपुर सड़क में १३ और १४ मील के बीच २००० फुट का टुकड़ा उस से ऊपर के पहाड़ सहित पहली अप्रैल १९६३ को नीचे बैठ गया था। पहाड़ी ढलानों के नीचे बैठने के कारण को मालूम करने के लिए विस्तृत जांच करवानी है ।

इस टुकड़े के फिसलने के कारणों की खोज के बाद ही यह ज्ञात हो सकता है कि सरकार को इस से कितनी हानि हुई है, क्योंकि इस की मरम्मत के लिए किस प्रकार के और कितने निर्माण कार्य की आवश्यकता होगी यह क्षति के कारण पर ही आश्रित होगा ।

इसी स्थान पर एक अस्थायी सड़क बना कर सड़क को गाड़ियों के यातायात के लिए पुनः चालू कर दिया है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : यह जो दो हजार फुट सड़क बैठ गयी है, क्या यह सही है कि इस सड़क के बैठ जाने से भाखरा बांध को कुछ क्षति पहुंची है ?

श्री राज बहादुर : ऐसी कोई सूचना नहीं है । मेरे खयाल में इसकी कोई भी सम्भावना नहीं है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो मरम्मत का काम चालू हो रहा है यह डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है या किसी ठेकेदार के जरिये किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : अभी तो यह किया गया है कि एक सड़क आरजी तौर पर बना दी गयी ताकि ट्रेफिक चालू हो जाये। जब पूरी जांच हो जायेगी और यह मालूम हो जायेगा कि इस सड़क के बैठ जाने का कारण क्या है, तो इसको दोबारा बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० क० ल० राव :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जलाशय से कार्यस्थल तक यदि कोई रिसन हो तो उसकी सीमा को जानने के लिये जलाशय और कार्यस्थल के बीच हाल ही में कोई अवलोकन कुएं बनाये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैं ने विवरण में कहा है, जांच हो रही है। मैं ठीक से नहीं जानता कि उस जांच के करने के लिये क्या तरीके अपनाये गये हैं। जब प्रतिवेदन दिया जायेगा तभी हमें ब्यौरों का पता चलेगा।

श्री बड़े : इसकी रिपेयर्स का कितना खर्चा होगा और क्या बिलासपुर से आपके पास यह रिपोर्ट आयी है कि भाखरा बांध की वजह से यह सड़क सिंक हो गयी है ?

श्री राज बहादुर : यह तो अभी नहीं मालूम हुआ है कि भाखरा बांध के कारण यह हुआ है। विभिन्न अनुमान लगाये गये हैं कारणों के बारे में। लेकिन मेरा खयाल है कि जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट इसके बारे में न आ जाये तब तक कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं होगा।

श्री बड़े : रिपेयर्स पर क्या खर्चा लगेगा ?

श्री राज बहादुर : उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मालूम नहीं है कि इसका कारण क्या है।

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट में लिखा है कि जब तक कारण न पता चल जाये तब तक इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसको किस तरह दूर करना है।

श्री बड़े : रिपेयर्स तो स्टार्ट हो गये हैं।

श्री राज बहादुर : आखिर में इस सड़क को हटाना पड़ेगा या वहीं रखा जायेगा यह उस समय तक निश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि रिपोर्ट न मिल जाये। रिपोर्ट के आधार पर ही नई सड़क बनाई जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। श्री दी० चं० शर्मा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** १००४।

†**अध्यक्ष महोदय :** परिवहन तथा संचार मंत्री। प्रश्न १००६।

श्री दी० चं० शर्मा : १००४।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इसका उत्तर देने के लिये कोई माननीय मंत्री नहीं हैं ? प्रश्न संख्या १००६।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** प्रश्न संख्या १००४ या १००६ ?

श्री दी० चं० शर्मा : १००४।

†**श्री राज बहादुर :** १००६ नहीं, १००४।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १००४ को १ मई को उत्तर दिये जाने के लिए रख दिया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न संख्या १००५ की सूचना दी थी वे उपस्थित नहीं हैं। अतः अब प्रश्न संख्या १००६ की बारी है।

†**श्री राज बहादुर** : उन्होंने प्रश्न संख्या १००४ कहा था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उन्हें मुझ से अधिक सतर्क होना चाहिये।

†**श्री राज बहादुर** : जब तक प्रश्न की संख्या पुकारी न जाये, मैं कैसे उसका उत्तर दे सकता हूं? हम सब यहां बराबर हैं और उन्हें भी वैसे ही सतर्क रहना चाहिये।

परिवहन समस्याओं के लिये संयुक्त राष्ट्र की सहायता

+

†*१००६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने देश में परिवहन समस्या को हल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है तथा संयुक्त राष्ट्र ने मामले में क्या कार्यवाही की है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री उलाका।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उसकी राशि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। वह समय पर तो उठे नहीं। अब मैं अगले प्रश्न पर चला गया हूं। श्री उलाका—अनुपस्थित। क्या कोई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो उस समय तो उपस्थित नहीं थे जब कि उनका प्रश्न पुकारा गया था परन्तु बाद में आ गये हों? . . . कोई नहीं। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्व खाद्य कांग्रेस

†*९९१. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जून, १९६३ में अमेरिका में होने वाली विश्व खाद्य कांग्रेस में भाग लेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन की कार्यावलि क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह):** (क) हां।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०––११९०/६३**]।

कृषि उपकर

†*९९८. { **श्री उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने १९६२-६३ में कृषि उपकर के रूप में कितना धन वसूल किया ;

(ख) मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों पर इसमें से कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) अनुसंधान तथा अन्य योजनाओं पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्राप्ति		व्यय	
	१९६२–६३		१९६२–६३
	रुपये		रुपये
(१) कृषि उत्पादन उपकर से प्राप्ति	६३,०४,७००	(१) मुख्यालय में प्रशासी कर्मचारीवृन्द पर व्यय	१०,५२,७००
(२) अन्य आय	१७,११,४००	(२) प्रविधिक कर्मचारी-वृन्द सहित अनुसंधान तथा अन्य योजनाओं पर व्यय	४६,८१,९००
कुल	८०,१६,१००	कुल	५७,३४,६००

वातानुकूलित गाड़ियां––डिब्बे

*१०००. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वातानुकूलित गाड़ियां/डिब्बे घाटे में चल रहे हैं तथा उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी वातानुकूलित गाड़ियों/डिब्बों को चलाने पर कितना धन व्यय होता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). हर गाड़ी या डिब्बे का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता। वातानुकूलित गाड़ियों/डिब्बों की लोकप्रियता घट नहीं रही है।

गोआ को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उद्घाटन उड़ान

†*१००१. { **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या २३ मार्च, १९६३ को गोआ को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उद्घाटन उड़ान के समय शराब पेश की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्य उड़ानों के समय भी शराब पेश की जाती है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी नहीं तथापि जिन अतिथियों को मध्याह्न भोजन के लिये निमंत्रित किया गया था उन्हें गोआ में नीचे धरती पर मद्यसारिक पेय दिये गये थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कारपोरेशन अपनी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं ही में, जैसे कि बम्बई-कराची, देहली—कराची और मद्रास—कोलम्बो, मद्य सेवा की सुविधायें देता है ऐसी सेवाओं में शराब के साथ साथ सिगरेटों, सुगन्धित वस्तुओं जैसी अन्य बन्धक चीजें यात्रियों को मूल्य लेकर उपलब्ध की जाती हैं। शराब मुफ्त नहीं दी जाती परन्तु यात्री पैसे देकर उसे ले सकते हैं।

सर्वोत्तम ग्राम

†*१००५. { **श्री उलाका:**
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में भारत का सर्वोत्तम ग्राम निर्धारित करने के लिये राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कौनसा ग्राम सर्वोत्तम पाया गया तथा वह कहां पर है ;

(ग) उक्त ग्राम की कौन सी विशेषताओं के कारण इसको सर्वोत्तम माना गया है; और

(घ) क्या पुरस्कार दिया गया है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) और (ख) जी हां, राज्य स्तरों पर की जाने वाली प्रतियोगिता के परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद ही १९६२-६३ के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम ग्राम का चुनाव किया जायेगा

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). इस प्रक्रम पर ये प्रश्न नहीं उठते

रेलवे दुर्घटना जांच समिति

†*१००७. **श्री उलाका:** या **रेलवे** मंत्री १७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने रेलवे दुर्घटना जांच समिति के पुनर्गठन अथवा उनमें और अधिक सदस्य नियुक्त करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके बारे में क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख). रेलवे दुर्घटना समिति, १९६२ को पुनर्गठित करने अथवा उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

काली मिर्च उद्योग

†२१७०. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा राज्य को काली मिर्च उद्योग के विकास के लिये स्वीकृत कुल राशि क्या है ; और

(ख) तीसरी योजना अवधि के पहले तथा दूसरे वर्ष में कितनी राशि दी गई है ; अथवा देने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह):** (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में काली मिर्च के विकास के लिये कोई भी योजना वित्तपोषित नहीं की जा रही है ।

उड़ीसा में लघु सिंचाई परियोजनायें

†२१७१. **श्री उलाका:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६२-६३ में उड़ीसा सरकार को राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये अनुदानों तथा ऋणों के रूप में कोई धनराशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी हां । १९५८-५९ से आरम्भ की गई राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता देने के लिये पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन विभिन्न राज्य सरकारों को अनुमन्य केन्द्रीय सहायता "कृषि उत्पादन" शीर्ष के अन्तर्गत योजनाओं के लिये समूचे रूप में दी जाती है जिन में लघु सिंचाई और भूमि विकास भी सम्मिलित है, इसलिये १९६२-६३ में उड़ीसा सरकार को उसकी लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि बताना संभव नहीं है

तथापि यह बताया जा सकता है कि राज्य सरकार ने तीसरी योजना के दौरान अपने लघु सिंचाई कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाओं के लिये उपबन्ध किया है :—

१. लघु सिंचाई

२. नलकूप

---

†मूल अंग्रेजी में

३. रूसी कुल्या बेसिन सहित उत्थापक सिंचाई

१९६२–६३ में उड़ीसा सरकार को उसकी कृषि उत्पादन योजनाओं के लिये, जिनमें लघु सिंचाई तथा भूमि विकास सम्मिलित हैं, स्वीकृत अनुदानों और ऋणों के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष	अनुदान	ऋण
	लाख रुपये	लाख रुपये
१९६२–६३	२६.२९	६८.०

धनबाद के निकट रेल दुर्घटना

†२१७२. **श्री राम हरख यादव:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ मार्च, १९६३ को धनवाद से लगभग ५० मील दूर कोडर्मा के निकट रेलवे सामग्री से लदी एक ट्राली के टकरा जाने से एक माल गाड़ी के ११ डिब्बे तथा इँजन पटरी से उतर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का व्योरा क्या है तथा उससे रेलवे को कितनी क्षति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) हां दुर्घटना बसकटवा तथा यदुग्राम ब्लाक कुटीरों के बीच हुई थी

(ख) लगभग १४.४५ बजे ज़ब बिजली से चलने वाली तेज गामी अप माल गाड़ी नँ० २०३ बसकटवा से यदुग्राम ब्लाक कुटीर की ओर जा रही थी तो वह रेल की पटरियों से लदी हुई एक सामान ढोने वाली ट्राली से टकरा गई थी इसके परिणामस्वरूप गाड़ी का इंजन तथा उसके साथ के ११ डिब्बे पटरी से उतर गये जिससे अप और डाउन दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गई। रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति की कीमत अनुमानतः १०,९०० रुपये थी।

भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय

†२१७३. **श्री धुलेश्वर मीना:**
श्री उलाका:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न सँख्या २०८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर (उड़ीसा) के कृषि विश्वविद्यालय को अब तक कोई केन्द्रीय अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) :** (क) नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†मूल अँग्रेजी में

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय

†२१७५. **श्री धुलेश्वर मीना:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय को १९६२-६३ में कोई केन्द्रीय अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जाजपुर—क्योंझर रोड पर उपरी पुल

†२१७७. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर जाजपुर—क्योंझर रोड पर इस स्टेशन की पूर्वी दिशा की ओर एक ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां तो उक्त ऊपरी पुल के लिये कितनी राशि मँजूर की गई है; और

(ग) काम के कब शुरू होने की सँभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) : उड़ीसा सरकार से तीसरी पँचवर्षीय योजना अवधि में जाजपुर—क्योंझर रोड स्टेशन पर वर्तमान समपार के स्थान पर ऊपरी/निचला पुल बनाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं आया है

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान में जंगली जीवों के लिये शरण स्थान

†२१७८. **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में अन्दमान के रोस द्वीप में जंगली जीवों के लिये एक शरण स्थान स्थापित करने का प्रस्ताव पूर्ण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, किन किस्मों के जंगली जीवों का परिरक्षण किया जायेगा ; और

(ग) क्या जीवों की जाति में स्थानीय पक्षी ही होंगे अथवा शरण स्थान में परिरक्षण के लिये उन्हें अन्दमान के बाहर से मंगवाया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह):** (क) १९६२-६३ में शरण स्थान में मोर, तीतर, जंगली मुर्गे और चित्तीदार चोंच वाली बत्तख ला कर श्रीगणेश कर दिया गया है। तथापि, इस योजना का और आगे निष्पादन राष्ट्रीय आपात स्थिति के कारण अभी आस्थगित कर दिया गया है।

---

†मूल अँग्रेजी में

(ख) और (ग) शरण स्थान में निम्नलिखित पशुओं और पक्षियों का परिरक्षण करने का प्रस्ताव है :—

अन्दमान के बाहर से लाये जाने वाले जंगली जीवः

पराह (प्रियक हिरन), काकर, घुरलि, कुरंग, भौकने वाला हिरण, मातृका मृग, मोर, तीतर, जंगली मुर्गा, सीटीवाली मुर्गाबी, घर्घर हंसक और कलगी वाला हंसक ।

स्थानीय रूप में पाये जाने वाले जंगली जीवः

चितकबरा इम्पीरियल कबूतर, हरा इम्पीरियल कबूतर, निकोबार की दीर्घचरण पक्षी, अन्दमान की सफेद सिर वाली मैना, निकोबार की सफेद सिर वाली मैना और अन्दमान का चमकीला स्टार ।

दिल्ली में टेलीफोन की विशेष सेवायें

२१७९. **श्री म० ला० द्विवेदी:**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग की विशेष सेवाओं यथा शिकायतों (१९८) सहायता (१९९) का स्तर गत वर्ष में बहुत गिर गया है ; और

(ख) इन विशेष सेवाओं के कार्य को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली में विशेष सेवाओं की कार्य-कुशलता में आम सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(१) परियात के जमाव को हलका करने के लिये अतिरिक्त उपस्कर लगाने की योजना बनाई गई है ।

(२) आवक कालों पर उत्तर देने के समय का अनुपात बनाये रखने के लिये जहां कहीं भी संभव हो सका है कालों को क्रम से रखना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(३) बोर्ड पर स्थितियां उपलब्ध होने पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(४) प्रचालक कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उन के कार्य की मात्रा में सुधार करने के लिए उन के लिए पुनश्चर्य-प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(५) निगरानी में कड़ाई बरती जाने लगी है ।

(६) मौजूदा सेवाओं के स्थान पर नए तौर-तरीके और/या सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खोपरा उत्पादकों को सहायता

†२१८०. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोपरा अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों की मुख्य फसल है ;

(ख) प्राविधिक ज्ञान तथा पौध दे कर सरकार ने खोपरा उत्पादकों की सहायता करने के लिये क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) उगाने वालों को उन शोषकों से बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं जो उत्पादकों से खोपरा बहुत सस्ते दामों पर खरीदते हैं ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) नारियल निकोबार द्वीपसमूह की मुख्य फसल है अन्दमान द्वीपसमूह की नहीं, जहां की मुख्य फसल धान है ।

(ख) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(१) द्वीपों में नारियल उगाने वालों में नारियल बागानों के अभिन्यास, उगाने के तरीके, अन्तर्कृष्यकरण तथा खाद देने, नारियल के वृक्षों के रोगों तथा कीटों पर नियंत्रण रखने तथा नारियल उत्पादों को साधने के बारे में प्रचार करना ।

(२) खेती की सुधरी हुई विधियां दिखाने के लिये प्रदर्शनात्मक खेतों को चलाना ।

(३) अच्छी किस्म की पौध के उत्पादन तथा वितरण के लिये नर्सरियों की स्थापना ।

(४) मुख्य प्रदेश में पश्चिमी तट पर नारियल बागानों का अध्ययन दौरा करने के लिये निकोबार द्वीपसमूह से चुने हुए व्यक्तियों को नियुक्त करना ।

(ग) २१ दिसम्बर, १९६० को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार राज्य व्यापार निगम का एक विशेषज्ञ प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिये फरवरी १९६१ में द्वीपसमूह में गया था । उस के बाद सारे मामले का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिये नवम्बर १९६२ में विशेषज्ञों का एक दल लगाया गया था । उन का प्रतिवेदन भारत सरकार द्वारा परीक्षणाधीन है ।

मंगलौर में प्रकाशस्तंभ

†२१८१. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २२ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में एक प्रकाशस्तम्भ बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने अब विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अँग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है तथा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). मंगलौर में एक नया प्रकाशस्तम्भ बनाने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

कोलायत स्टेशन

२१८२. { **श्री प० ल० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर डिवीजन में कोलायत स्टेशन के समस्त यार्ड रेत के डिब्बों से घिर गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उस रेत को दूर करने के लिए पास में कोई ऐसा स्थान नहीं है, जिस जगह यह रेत डाली जा सके ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो रेत आसपास के क्षेत्रों में रखी गयी थी उस से वहां के मकान भर गये हैं, जिस की वजह से उन के निवासी अपने मकान छोड़ कर चले गये हैं ; और

(घ) क्या इस रेत को दूर कहीं डालने की व्यवस्था करने का विचार है, और यदि हां, तो कब ?

†रेलवे **मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). कोलायत स्टेशन का रेलवे यार्ड रेत के टीलों के पास स्थित है । तेज़ हवा के कारण रेत रेलवे लाइन पर गिरती है और समय समय पर इसे रेलवे लाइन से हटाया जाता है । अब इसे दूर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

आस-पास के इलाकों में किसी मकान के रेत से ढक जाने की रिपोर्ट नहीं मिली हैं ।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

२१८३. { **श्री प० ला० बारूपाल**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बीकानेर और अजमेर डिवीजनों में अनेक व्यक्तियों ने टेलीफोन लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन लोगों में से अनेक व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिये नियमानुसार रुपये भी जमा करा दिये हैं ; और

(ग) इस समय कितने स्थानों पर कनेक्शन दिये जाने हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) कुछ आवेदकों ने रुपया जमा कर दिया है।

(ग) इस समय कनेक्शन देने सम्बन्धी जो आवेदन-पत्र पड़े हैं उन की कुल संख्या इस प्रकार है :—

अजमेर डिविज़न—२८८

बीकानेर डिवीज़न—६५४

यात्री डिब्बों में धूल

†२१८४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री डिब्बों में धूल न आने देने के लिये कोई अनसंधान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान किस अवस्था में है और क्या अब तक किये गये प्रयासों में कोई सफलता मिली है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां।

(ख) प्रयोग अभी विकास की आरम्भिक अवस्था में है।

कृषि ऋणग्रस्तता

†२१८५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि ऋणग्रस्तता का नवीनतम प्राक्कलन क्या है ;

(ख) क्या दूसरी योजना के आरम्भ तथा अन्त में जो स्थिति थी उस की तुलना में इस सिलसिले में कोई सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सुधार के राज्यवार आंकड़ क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) से (ग). कोई ठीक ठीक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है। भारत के रक्षित बैंक ने ऋण, उधार ग्रहण, पुनर्भुगतान तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख पहलुओं के बारे में विश्वसनीय प्राक्कलन प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से १९६१–६२ में एक अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण किया था। क्षेत्रीय जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है और एकत्रित आंकड़ों को साधा जा रहा है। रक्षित बैंक द्वारा कुछेक चुने हुए जिलों में १९५७–६० की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष किये गये चार ग्रामीण उधार स्तर पर सर्वेक्षणों से बहुत विशाल प्रवृत्तियों का पता चलता है। जिन २७ प्रान्तों में सर्वेक्षण किया गया था, उन में से १४ प्रान्तों में एक दिये गये महीने (मई/जून) तक का ऋण तथा उस दिये गये महीने से पहले के एक वर्ष के उधार ग्रहण भी १९५१–५२ से कम थे। १९ प्रान्तों में प्रति कृषक परिवार ऋण भी १९५१–६२ से कम था।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन राजस्व

†२१८६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितना टेलीफोन राजस्व शेष है; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) ३१ जुलाई, १९६२ तक जारी किये गये बिलों के सम्बन्ध में १ फरवरी, १९६३ को ९,१३ लाख रुपये की राशि शेष थी ।

(ख) शेष राशि वार्षिक राजस्व का ३·६ प्रतिशत बनती है; इसकी वसूली के लिये विभागीय नियमों तथा प्रक्रियाओं में विहित उपाय किये जाते हैं ।

सहकारी अभिकरणों को ग्रामीण ऋण

†२१८७. **श्री रामनाथन् चेट्टियार: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में विभिन्न राज्यों में सहकारी अभिकरणों के जरिये दिये गये ग्रामीण ऋण की राशि क्या है; और

(ख) इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मांग कहां तक पूरी हुई थी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) वर्ष १९६२–६३ के लिये आंकड़े जून, १९६३ में सहकारी वर्ष के समाप्त होने के बाद संकलित किये जायेंगे । १९६१–६२ के अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि उस वर्ष प्रमुख कृषि ऋण संस्थाओं द्वारा लगभग २२६ करोड़ रुपये दिये गये थे ।

(ख) रक्षित बैंक द्वारा १९५७–६० के चार वर्षों में कुछ चुने हुए प्रान्तों में किये गये ग्रामीण ऋण सहायक सर्वेक्षणों में एकत्रित सीमित आंकड़ों के आधार पर सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि समस्त देश में सहकारी संस्थाओं से ऋण ग्रहणों का कृषकों के कुल ऋण ग्रहणों से अनुपात शायद १९५१–५२ में ३ प्रतिशत से, जैसा कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन में प्राक्कलित किया गया है, १९५९–६० में लगभग १७ से २१ प्रतिशत तक बढ़ गया होगा ।

रेलवे अधिकारियों का यात्रा भत्ता

†२१८८. **श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष किये गये व्यय की तुलना में १९६२–६३ के दौरान आपात स्थिति को देखते हुए विभिन्न रेलों पर अधिकारियों के यात्रा कर भत्ते किस सीमा तक कम कर दिये गये थे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** आपात स्थिति को देखते हुए हिदायत जारी कर दी गई हैं कि ऐसे दौरों को छोड़ कर जो सरकारी काम के लिये किये जाने के लिये अनिवार्य हों, शेष दौरे नहीं किये जाने चाहियें । परन्तु १९६१–६२ की तुलना में १९६२–६३ में हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होने तथा यात्रा भत्ते की दरों में वृद्धि होने के कारण यात्रा भत्ते की राशि में कोई कमी नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भागलपुर के डाकघर से डाक का गायब होना

२१८६. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागलपुर सिटी पोस्ट आफिस पी० २० का डाक का थैला फाडकर कई रजिस्ट्रियां तथा बहुमूल्य पत्र गायब कर दिये गये;

(ख) यदि हां, तो उस में से कितने का माल गायब किया गया; और

(ग) इस में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां । १३ मार्च, १९६३ को भागलपुर सिटी पोस्ट आफिस में प्राप्त दो डाक के थैलों से कुल मिला कर चार रजिस्ट्री पत्र गायब पाये गये थे ।

(ख) खोई वस्तुओं के मूल्य का तो पता नहीं, मगर ये खोई वस्तुयें सामान्य रजिस्ट्री पत्र होने के कारण कुछ ख़ास मूल्य के नहीं जान पड़ते ।

(ग) दो ।

रेल के डिब्बों का निर्यात

२१९०. श्री कछवाय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास द्वारा निर्मित रेल के डिब्बों का निर्यात करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष डिब्बों के प्रस्तावित निर्यात में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) सवारी-डिब्बा कारखाने में बनाये गये सवारी-डिब्बों का निर्यात करने की कोशिश जारी है लेकिन अभी तक इस में सफलता नहीं मिली है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पंजाब के कृषि कालेज

†**२१९१. श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब के विभिन्न कृषि कालेजों को, कालेज-वार, दिये गये अनुदान की राशि क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) :** केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब के किसी भी कृषि कालेज को प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान नहीं दिया गया है । तथापि, विकास के विविध शीर्षों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा कुछ अनुदान दिये जाते हैं । कृषि कालेज "कृषि उत्पादन (लघु सिंचाई और भूमि विकास सहित)" नामक विकास के शीर्ष के अधीन आते हैं । १९६२–६३ में उपर्युक्त शीर्ष के अधीन पंजाब सरकार को १०७.९० लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में तथा ७३.३० लाख रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विदेश से आये पारसल में पत्थर

२१६२ { **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश से एक पारसल इन्दौर आया था, उस में सामान की जगह पत्थर और भूसा निकला;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसका कोई पता लगाया है कि कहां यह शरारत की गयी;

(ग) यदि हां, तो उस में क्या सामान था और कितने रुपये का;

(घ) क्या इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या गिरफ्तार व्यक्ति रेलवे कर्मचारी हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ङ). सवाल नहीं उठते ।

अकाल क्षेत्र

†२१६३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शाश्वत अकाल खंडों के क्षेत्र में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो अकाल के फैलने की रोकथाम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). देश में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं हैं जिन्हें कि शाश्वत अकाल खंड कहा जा सकता हो । समुचित वर्षा की कमी अथवा बाढ़ों के कारण कुछेक क्षत्रों में समय समय पर दुष्प्राप्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । विकास योजनाओं के भाग के रूप में शुरू की गई विविध सिंचाई (लघु सिंचाई सहित), भूमि संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से ऐसी दुष्प्राप्यता की स्थिति के भारत को कम करने का इरादा रखा जाता है ।

रेल पथ निरीक्षक

†२१६४. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में सहायक रेल पथ निरीक्षकों तथा रेल पथ निरीक्षकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) वास्तव में कितनी संख्या अपेक्षित है;

(ग) कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) कमी के कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क)

सहायक रेल पथ निरीक्षक .	२०८
रेल पथ निरीक्षक	१०५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सहायक रेल पथ निरीक्षक जिन में कार्य निष्पादन के लिये १६ निरीक्षक सम्मिलित हैं . . . २२६

रेल पथ निरीक्षक १०५

(ग) सहायक रेल पथ निरीक्षकों की श्रेणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये प्रशिक्षित उम्मीदवारों का न मिलना ।

(घ) इस समय जो उम्मीदवार प्रशिक्षण पा रहे हैं, वे पदों पर रखे जाने के लिये इस प्रकार उपलब्ध होंगे :—

जनवरी-फरवरी, १९६४ में	२८
१९६४–६५ में .	७
१९६५–६६ में	४७

रेलवे में आपातकालीन पद

†२१९५. **श्री सोनावने :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के परिणामस्वरूप सभी रेलों में बनाये गये राजपत्रित तथा अन्य पदाली पदों की संख्या क्या है ; और

(ख) इस प्रकार प्रसारित पदों और कर्मचारियों के वेतनों, महंगाई तथा यात्रा भत्तों पर अब तक खर्च की गई कुल राशि क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे हाई स्कूलों के क्लर्क

†२१९६. **श्री राम सेवक यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हाई स्कूलों में काम करने वाले क्लर्कों को रेलवे के अन्य विभागों के क्लर्कों के बराबर समझा जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

डाक तथा तार विभाग के भवन

२१९७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों—यथा देहरादून, उत्तर काशी, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल में से प्रत्येक में डाक व तार विभाग के भवनों के निर्माण मे क्या प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६३–६४ के लिए उन जिलों में से प्रत्येक के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० ११६१/६३] :**

उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन

†२१६८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटकाल का सामना करने के हेतु परिवहन तथा संचार साधनों को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन बिछाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) काम के कब आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों में डाक एवं तार की सुविधायें

†२१६९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के बहुत ही पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अधीन १९६२ तथा १९६३ में अब तक नये खोले गये तथा वर्गोन्नत डाकघरों की संख्या क्या है ;

(ख) ऐसी सुविधाओं के लिए मिले प्रार्थना-पत्रों में से कितने रद्द किये गये हैं और किस आधार पर ; और

(ग) अभी तक लम्बित प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) डाक सुविधाओं के विस्तार के लिये 'बहुत पिछड़े हुए' घोषित क्षेत्रों में हानियों की वर्धित अनुज्ञेय सीमा केवल डाक-घर खोलने पर लागू होती है, डाकघरों के वर्गोन्नत करने पर नहीं । १९६१-६२ तथा १९६२–६३ में पंजाब राज्य के 'बहुत पिछड़े हुए' क्षेत्रों में ९९ डाकघर खोले गये हैं तथा १८ डाकघर वर्गोन्नत किये गये हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) ३९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†२२००. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजपथों पर ऐसे पुलों की संख्या क्या है जो तीसरी योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्माण के लिये स्वीकृत किये गए हैं ; और

(ख) किन स्थानों पर ये पुल बनाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) पंजाब में व्यास नदी पर एक पुल के लिये १३०.०० लाख रुपये का तथा एन० एच० १ पर सतलुज नदी पर एक पुल के लिए १००.०० लाख रुपये की योजना का उपबन्ध है। परन्तु अभी तक किसी भी पुल की मंजूरी नहीं दी गई है । तथापि पुलों के लिये प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) ये पुल वर्तमान पुलों के समीप, जो कि आजकल के यातयात के लिये बहुत कमजोर समझे जाते हैं, उपयुक्त स्थलों पर बनाये जायेंगे ।

पंजाब में चीनी का उत्पादन

†२२०१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य के चीनी कारखानों में १९६३–६४ में चीनी का औसत उत्पादन क्या था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : १९६२-६३ में पंजाब राज्य के कारखानों का चीनी का कुल उत्पादन ०.६२ लाख मीटरिक टन हुआ था ।

सरहिन्द नंगल सेक्शन से आय

†२२०२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में माल यातायात की आय सहित सरहिन्द-नंगल सैक्शन पर रेलवे विभाग को कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) १९६१–६२ में इस की अपेक्षा कितनी आय हुई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अप्रैल, १९६२ से फरवरी, १९६३ तक के ग्यारह महीनों में सरहिन्द-नंगल सेक्शन के स्टेशनों पर कुल आय १४४.६ लाख रु० हुई । मार्च १९६३ की आय के आंकड़े अभी एकत्रित नहीं किये गये हैं ।

(ख) १९६१-६२ में कुल १२५.२ लाख रु० की आय हुई ।

धान की खेती का जापानी ढंग

†२२०३. **श्री व० का० भट्टाचार्य : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के एक प्रदर्शन फार्म में प्रयोग किये गये धान की खेती के जापानी ढंग के निराशाजनक परिणामों के बारे में ३१ मार्च, १९६३ के अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता) में प्रकाशित समाचार की ओर उन का ध्यान आकर्षित हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन परिणामों के कारणों की जांच करने का विचार है ; और

(ग) क्या धान की खेती के जापानी ढंग और स्वदेशी ढंग का कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार इस की पहिले ही जांच कर चुकी है । पश्चिमी बंगाल के प्रचार निदेशक के उस पत्र की एक प्रति, जिस में स्थिति स्पष्ट की गई है, और जिसे अमृत बाजार पत्रिका ने अपने ९ अप्रल, १९६३ के अंक में प्रकाशित किया था, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ११९२/६३] ।**

(ग) तीन वर्षों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा ।

डी० बी० के० रेलवे परियोजना

२२०४ **श्री भखमू भवानी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० बी० के० रेलवे परियोजना के अन्तर्गत बस्तर जिले के कुल कितने लोगों की भूमि दिसम्बर, १९६२ तक अर्जित की गयी थी ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को मुआवज़े दिये जा चुके हैं और कितनों को देना बाकी है तथा किन कारणों से बाकी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४९६ ।

(ख) सभी को मुआविज़ा दिया गया था ।

बख्तियारपुर राजगीर शाखा लाइन

†२२०५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बख्तियारपुर-राजगीर शाखा लाइन पर टी० टी० ई० की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि इस के स्टेशनों पर प्रकाश, जल तथा प्रतीक्षालयों की भी व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या इस लाइन पर गाड़ियां भी प्रायः बन्द हो जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) इस सेक्शन पर चलने बाली प्रत्येक गाड़ी में यात्रा करने के लिए एक टी० टी० ई० नियुक्त किया गया है ।

(ख) नहीं । आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आन्ध्र प्रदेश में नल कूप खोदना

†२२०६. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा में केन्द्रीय नलकूप संगठन कितने कुएं खोद रहा है ;

(ख) १९६३-६४ में कितने कुएं खोदने का विचार था ; और

(ग) कितने उत्पादिता कुएं काम कर रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में अभी तक कोई खोज नल-कूप नहीं खोदा गया है और न ही १९६३-६४ में कोई खोदने का विचार है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जर्सी साण्ड

†२२०७. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक हाल में विदेशों से आयात किये गये अनेक जर्सी साण्ड मर गये हैं;

ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई रोक थाम की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) अमरीका से आयात किये गये पांच जर्सी सांड बछड़े हाल में हसरघाट फार्म में जो बंगलौर के पास है मर गये ।

(ख) मृत्यु का कारण यह था कि पशु प्लेग के टीके के बाद पाइरोप्लाज्मा परासाइट पुन जीवित हो गये थे ।

(ग) हां । उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

भाण्डागार निगम

†२२०८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भांडागार निगम और राज्य भांडागार निगम में कोई ताल-मेल नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों को भांडागार की अधिक सुविधा देने के लिये सरकार दोनों निकायों में अधिक तालमेल लाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य रेलवे पर सिगनल व्यवस्था

†२२०९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के ऐसे कितने स्टेशन हैं जिन पर १९६३–६४ में ऊपरी चार सिग्नलों की व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) इसके लिये कितनी राशि उपबन्धित है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १६ स्टेशन।

(ख) १९६३–६४ म ८,८९००० रु०

समय सारिणी

†२२१०. **श्री ईश्वर रे रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर और विशेष कर सिकन्दराबाद डिविजन के स्टेशनों पर ३१ मार्च, १९६३ से पहिले १ अप्रैल १९६३ से लागू होने वाली समय सारिणिणी भेज दी गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दौरणाकल-खम्मामेठ रेलवे लाइन

†२२११. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दौरणाकल–खम्मामेठ लाइन को दोहरा करने के लिये लाइन का सारा सामान एकत्रित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो लाइन बनाने काम काम कब आरम्भ होगा; और

(ग) माल तथा यात्री यातायात के लिये क्रमानुसार लाइन कब खोली जायेगी?

†**रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां।

(ख) इस बीच लाइन का निर्माण पूरा हो गया है।

(ग) माल यातायात के लिये लाइन ३१–३–१९६३ को खुली थी और आशा है कि दिसम्बर, १९६३ को लाइन यात्री यातायात के लिये खुल जायेगी।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

२२१२. **श्री कछवाय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरबाग क्षेत्र, दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन के लिये अमानत मुक्त वर्ग में आने वाले कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन है;

(ख) इस वर्ग के अधीन टेलीफोन कनेक्शन देने के लिय क्या नियम हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कौन सी तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन भिन्न भिन्न वर्गों के अन्तर्गत दिये जा चुके हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे जमानत ली जाती हो। फिर भी सामान्य और मुक्त वर्ग की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या ३४८६ है। इनमें से मुक्त वर्ग में ५१४ आवेदक हैं।

(ख) 'अपना टेलीफोन योजना' वाले दिल्ली जैसे स्थानों पर आवेदकों को ७० प्रतिशत कनेक्शन 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत दिये जाते हैं और ३० प्रतिशत कनेक्शन मुक्त वर्गों के आवेदकों को जिनमें डाक्टर, प्रैस, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, सार्वजनिक संस्थायें और छोटे उद्योग शामिल हैं। मुक्त वर्गों के अन्तर्गत टलीफोन कनेक्शन देने के लिये 'टेलीफोन सलाहकार समिति' से सलाह ली जाती है। जब कभी 'अपना टेलीफोन योजना' और मुक्त वर्गों की मांग पूरी करने पर बोर्ड में गुंजायश रह जाती है तो सामान्य प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों को भी कनेक्शन दिये जाते हैं

(ग) जोरबाग क्षेत्र में जिन तारीखों तक के आवेदन-पत्रों पर कनेक्शन दिये जा चुके हैं, वे इस प्रकार हैं :--

(१) 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत ३१-१२-६२।

(२) 'अपनेतर टलीफोन योजना' के अन्तर्गत ३१-१२-५५।

उत्तम नस्ल के खच्चर

२२१३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय तथा सीमांत जिलों में उत्तम नस्ल के खच्चर पैदा करने की एक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की रूपरेखा पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस योजना के क्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). जी नहीं, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक अश्व प्रजनन फार्म के स्थापना की एक योजना शामिल कर ली गई है। इस फार्म में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उपयुक्त घोड़ों तथा खच्चरों के प्रजनन का कार्य शुरू किया जायेगा। इस फार्म से सम्बद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्टड केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे जहां पर कि ग्रामीण घोड़ियों के प्रजनन के लिये बीजाश्व तथा गद्धे पाले जायेंगे। अभी तक फार्म की स्थापना के लिये स्थान नहीं चुना गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

होटल उद्योग

†२२१४. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार होटल उद्योग के विस्तार में सहायता करने के लिये एक होटल वित्त निगम बनाने के सुझाव पर विचार कर रही है ; और

(ख) विदेशी पर्यटकों की इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उन्हें वे मूल सुविधायें, जिनमें खाद्य तथा पेय पर प्रतिबन्ध शामिल है, भी नहीं मिलती जिनके वे अपने देश में आदी हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : होटलों के निर्माण के लिये ऋण की सुविधा औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगम से उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में ये सुविधायें होटल उद्योग को दी गई हैं और सरकार यह निश्चय करने से पहिले कि होटल उद्योग के विस्तार में सहायता देने के लिये होटल वित्त निगम के उपयोग पर विचार किया जाये, ऋण की इन सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन कर रही है ।

(ख) जो होटल तथा रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की स्वीकृत सूची में शामिल हैं और जिन्हें प्राय विदेशी प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें उन खाद्य पदार्थों तथा पेय का आयात करने के लिये आवश्यक सहायता दी जाती है जिनका स्थानापन्न पदार्थ में नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त अन्य मूल सुविधाओं के विकास के लिये अनेक परियोजनायें, जैसे पर्यटक बंगले तथा डाक बंगले का निर्माण दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल है। इन डाक बंगलों में से अनेक बंगले/पर्यटक बंगले, जो अन्दरूणी भागों में हैं, बनाये गये हैं और काम कर रहे हैं। सड़क परिवहन के मामले में, १९५९–६० में पर्यटकों की रूचि के कुछ विशेष स्थानों में परिवहन चालकों को देने के लिये भारत में ६० बड़ी कारों को बनाने की अनुमति दी गई थी फिर, राज्य सरकार परिवहन उपक्रमों की पर्यटक गाड़ियों में लगाये जाने के लिये, जो पर्यटकों में लोकप्रिय मार्गों पर चलती हैं १४ वातानुकूल यूनिट भी आयात किये गये हैं।

रोहतक रोड, दिल्ली पर रेलवे का फाटक

२२१५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहतक रोड, दिल्ली पर रेलवे फाटक बनाने का कार्य दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) कार्य कब तक आरम्भ होने वाला है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) अभी यह बताना संभव नहीं है क्योंकि इस काम पर जो लागत आयेगी, उसकी देनगी के संबंध में दिल्ली नगर निगम ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटेल रोड रेलवे फाटक, दिल्ली

२२१६. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पटेल रोड पर रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाने का काम दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं

(ख) अभी यह बताना संभव नहीं है क्योंकि पटेल रोड पर मौजूदा विशेष श्रेणी समपार जगह की ऊपरी सड़क-पुल बनाने का फैसला इसी साल फरवरी में किया गया है। तकनीकी और वित्तीय दोनों दृष्टिकोणों से (जिसमें लागत का अनुभाजन भी शामिल है) योजना की जांच की जा रही है।

नांगलोई और घेवरे के बीच फ्लेग स्टेशन

२२१७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहली में नांगलोई और घेवरे के मध्य एक फ्लैग स्टेशन के लिए जो स्वीकृति दी गई थी, वह अभी तक नहीं बना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) . नांगलोई और घेवरा स्टेशनों के बीच एक गाड़ी हाल्ट खोलने की मंजूरी दी गयी है । इसका प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । इसके लिए उपयुक्त स्थान चुन लिया गया है। आशा है, निर्माण-कार्य जल्दी शुरू कर दिया जायेगा ।

पंचायतों का चुनाव

२२१८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंचायतों के चुनाव कब तक हो रहे हैं ; और

(ख) क्या उनके लिए प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) दिल्ली में पंचायतों के चुनावों के लिए अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

(ख) जी हां। मतदाता सूचियों को संशोधित कर दिया गया है और उन्हें आज तक पूरा कर दिया गया है ।

नजफगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन

२२१९. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ में अभी तक कितने टेलीफोन कनैक्शनों के प्रार्थना-पत्र आये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में नांगलोई की कितनी आवश्यकता है ?

परिवहन तथा संचार मत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) ३४ ।

(ख) दो टेलीफोन कनेक्शन की मांग शेष है ।

आसाम में हवाई अड्डों पर टर्मिनल इमारत

†२२२०. **श्री रा० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम के अनेक हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो नई इमारतें किन हवाई अड्डों पर और कब बनाई जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) यदि यातायात की मात्रा और धन की उपलब्धता की दृष्टि से हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें बनाना उचित हो तो बनाई जाती हैं ।

(ख) कुम्भीग्राम, मोहनबाड़ी और उत्तर लखीमपुर (लीलावाड़ी) में चुंगी की नई इमारतें पूरी होने वाली हैं ।

विमान यातायात

†२२२१. **श्री रा० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल आसाम और नेफा में विमान यातायात कितना है ;

(ख) क्या १९६०, १९६१ और १९६२ में ध्यान देने योग्य वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आसाम में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). १९५९ से १९६२ के वर्षों में आसाम क्षेत्र में विमान यातायात की मात्रा निम्न है :—

वर्ष	कुल ले जाये गये मीट्रिक टन किलोमीटर	पिछले वर्ष की अपेक्षा हुई वृद्धि या कमी का प्रतिशत
१९५९ .	३३,२११,७४०	—
१९६०	५०,६९४,६५७	+५२.६%
१९६१	५९,२६५,५५७	+१६.९%
१९६२ .	५२,४७३,८१९	−११.५%

इससे विदित होता है कि केवल १९६२ में पिछले वर्ष की अपेक्षा यातायात में कमी हुई, परन्तु १९५९ के बाद निरन्तर वृद्धि हुई है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न विचाराधीन है ।

केरल के लिए बन्दरगाह विशेषज्ञ

†२२२२. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री वोट्ट काट्ट :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल को एक बन्दरगाह विशेषज्ञ भेजन पर सहमत हो गई है ;

(ख) क्या पोनानी और काजीकोडे में मत्स्य पालन बन्दरगाह बनाने की योजनायें उसके न आने के कारण रोक ली गई हैं ; और

(ग) विशेषज्ञ के यह काम कब तक हाथ में लेने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) से (ग). हां । विजिनगम बन्दरगाह के विकास की परियोजना पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक बन्दरगाह विशेषज्ञ केरल को दिया गया है । इस विशेषज्ञ का पोनानी तथा काजीकोटे का मत्स्यपालन बन्दरगाहो के रूप में विकास करने की केरल सरकार की योजनाओं से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा । उनके आने की तारीख अभी विदित नहीं है ।

बेपुर में घाट

†२२२३. { **श्री वोट्ट काट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बेपुर और वलियापटम में प्रस्तावित घाट की विस्तृत योजनायें अब भी एफ० ए० ओ० के बन्दरगाह विशेषज्ञ के पास पड़ी हैं ;

(ख) योजनाओं के कब निश्चित होने की सम्भावना है ; और

(ग) योजना के निश्चित होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) एफ० ओ० ओ० की अन्तिम रिपोर्ट, जिस में बेपुर तथा बलियापटम में मत्सयपालन बन्दरगाह की योजनायें हों, अभी प्राप्त हुई हैं और इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार आवश्यक जांच-पड़ताल कर रही है और योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार कर रही है जो एफ० ए० ओ० विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र ही निश्चित किये जायेंगे ।

मालगाड़ी में आग

२२२४. **श्री ओंकारलाल बैरवा :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अप्रैल, १९६४ को जब एक मालगाड़ी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास रुकी तो उसके ब्रेकवान में, जिसमें रेलवे कर्मचारी बैठते हैं, आग लग गई;

(ख) यदि हां, तो कितने डिब्बों में आग लगी थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इससे कितना नुकसान हुआ ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) ५-४-१९६३ को एक माल-गाड़ी के कूवान में आग लग गयी।

(ख) कूवान और लदे हुए अन्य दो माल डिब्बों में, जो साथ वाली लाइन पर खड़े थे।

(ग) चल-स्टाक और उनमें लदे हुए माल को लगभग १५,००० रुपये और २,००० रुपये का नुकसान पहुंचा।

भावनगर हवाई अड्डा

†२२२५. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर हवाई अड्डे (गुजरात राज्य) के पुर्नानिर्माण की योजना कब स्वीकृत हुई थी;

(ख) कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) कार्य कब पूरा हुआ था ; और

(घ) नये हवाई अड्डे का प्रयोग न करने का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) से (घ). हवाई अड्डे को १९५० में असैनिक उड्डयन विभाग ने लिया था और तब से परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। हवाई अड्डे पर टर्मिनल इमारत के निर्माण के लिए अप्रैल, १९५६ में २,४०,००० रु० की राशि का प्राक्कलन स्वीकार किया गया था। इस इमारत का काम प्राय: पूरा हो गया है सिवाय इसके कि कण्ट्रोल टावर नहीं बनी है जो कि सरंचना इस्पात के अभाव और ठेकेदार के काम रोकने के कारण पहिले नहीं बन सकी। इस बीच ठेकेदार ने कार्य पुन: आरंभ कर दिया है। नई इमारत का अभी प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि कण्ट्रोल टावर का कार्य पूरा नहीं हुआ है और हवाई अड्डे को मिलाने वाली सड़क भी नहीं बनी है। सड़क के निर्माण के लिए टेंडर मांगे गये हैं और आशा है कि कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा।

परिवहन सहकारी समितियां

†२२२६. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में कितनी परिवहन सहकारी समितियां बनीं ;

(ख) इनमें से कितनी अनुसूचित जातियों की है ; और

(ग) कितनी समितियों को मार्ग परमिट दे दिये गये हैं और कितनी समितियों को नहीं दिये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

कृषि सेवा सहकारी संस्थायें

†२२२७. { **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी कृषि सहकारी सेवा संस्थायें बनी हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों द्वारा कितनी संस्थायें चलाई जा रही हैं ; और

(ग) उनकी भूमि तथा अन्य आस्तियों के ब्यौरे क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) जून १९६२ में समाप्त होने वाले तीन सहकारी वर्षों १९५९–६० से लेकर १९६१–६२ में, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग ३६,०३० नई सेवा सहकारी संस्थायें गठित की गई थीं और लगभग ७०,४५० विद्यमान प्रारम्भिक कृषि साख संस्थाओं को पुनर्गठित करने तथा उन्हें पुनः सुदृढ़ बनाने सेवा संस्थाओं के रूप में बदलने के सम्बन्ध में कार्य किया गया था।

(ख) और (घ). सेवा सहकारी संस्थाओं की उपविधियों में खुली सदस्यता के लिये उपबन्ध है चाहे कृषक किसी भी वर्ग अथवा जाति से सम्बन्ध रखते हों। इस सम्बन्ध में अलग से जानकारी संकलित नहीं की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में डाकखाने

†**२२२८. श्री द० ब० राजू :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में आंध्र प्रदेश में कितने डाकखाने खोले गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** ५१३।

जी० टी० ऐक्सप्रैस में चोरियां

†**२२२९. श्री द० ब० राजू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से लेकर आज तक जी० टी एक्सप्रैस में हुई कितनी तथा किस प्रकार की चोरियां रेलवे पुलिस में दर्ज कराई गई हैं ; और

(ख) इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) हैंड-बैग चुराये जाने का एक मामला तथा जेब काटी जाने के चार मामले (कुल मिला कर पांच मामले) दर्ज कराये गये हैं।

(ख) यद्यपि यात्री गाड़ियों में 'शान्ति तथा व्यवस्था' बनाये रखना और अपराधों को होने से रोकना सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, तथापि जब कभी आवश्यकता होती है रेलवे संरक्षण पुलिस के कर्मचारियों द्वारा भी सहायता दी जाती है। रेलों में इस प्रकार के अपराधों को होने से रोकने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा निम्नलिखित सतर्कता विषयक उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं :—

(१) रेलों में सुरक्षा के तरीकों की व्यवस्था की गई है जिससे कि डिब्बे में बाहर से नहीं घुसा जा सके, जैसे कि खिड़कियों में लौह शल्यकाओं का लगाना, दरवाजों में अन्दर

†मूल अंग्रेजी में

से सिटकिनयों तथा काबलों का लगाना, खिड़कियों के दरवाजों के अन्दर से पकड़ने की हत्थियां लगाना ;

(२) जहां तक सम्भव होता है महिलाओं के डिब्बे रेलगाड़ी के बीच में लगाये जाते हैं ;

(३) कण्डक्टर गार्डों तथा ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनरों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वे महिला यात्रियों का विशेष ध्यान रखें विशेष रूप से तब जबकि वह अकेली यात्रा कर रही हो और यह देख लें कि डिब्बों में लगे सुरक्षा के तरीके भली भांति कार्य कर रहे हैं ;

(४) यात्रियों के लिये यह हिदायतें हैं कि अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये दरवाजों तथा खिड़कियों की सिटकनियां लगा लें;

(५) लाउडस्पीकरों के द्वारा किये जाने वाले एलानों तथा सूचनाओं द्वारा यात्रियों को जेबकतरों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों से सावधान व जागरूक रहने की चेतावनी दी जाती है ;

(६) भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १०८ को संशोधित कर दिया गया है जिससे कि अनधिकृत रूप से खतरे की घंटी को खींचने के लिये दण्ड को बढ़ा कर २५० रुपये तक और तथा किसी भी प्रकार की तीन महीने तक के कारावास का कर दिया गया है ; और

(७) रेलवे संरक्षण पुलिस का जासूस विभाग पुलिस के सहयोग में रेलवे में चलने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखता है तथा एकत्रित की हुई गुप्त सूचनाओं को सम्बन्धित जिले की पुलिस अथवा सरकारी रेलवे पुलिस को भेजता है ।

नये हवाई अड्डे

†२२३०. { **श्री अ० ब० राघबन :**
श्री पोट्टे काट्ट :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् किन किन स्थानों पर नये हवाई अड्डे बनाये गये हैं ;

(ख) १९६३–६४ में किन किन स्थानों पर नये हवाई अड्डे स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी हवाई पट्टियों को अर्जित करने तथा उन्हें सर्वांग-पूर्ण हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) १९५६ से लेकर असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा कांडला, फूलबाग, तुलीहल, उदयपुर, माल्दा तथा बेहाला में नये हवाई अड्डे बनाये गये हैं ।

१९५६ के पश्चात्, कुलू, पोर्ट ब्लेयर, पन्ना, सतना तथा मुजफ्फरपुर के हवाई अड्डे असैनिक विभाग द्वारा राज्य सरकारों/स्थानीय प्रशासन से ले लिये गये थे ।

(ख) १९६३–६४ में खजुराहो में एक हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के प्रारम्भ हो जाने की आशा है । रक्सौल तथा जोगवनी के हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं ।

(ग) जी, नहीं । असैनिक उड्डयन विभाग का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जापानी ढंग की खेती

†२२३१. { श्री उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में कुल कितने एकड़ भूमि में जापानी ढंग की खेती की गई है ;

(ख) इस प्रकार की खेती के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या देश में जापानी ढंग की सर्वोत्तम खेती के लिये कोई पुरस्कार निश्चित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो १९६१–६२ में कौनसा गांव प्रथम रहा था और उसे पुरस्कार दिया गया था ?

†**खाद्य तजा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) कृषि वर्ष १९६२–६३ के समाप्त होने के पश्चात्, अर्थात् जून, १९६३ के अन्त तक, अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध होगी और जैसे ही वह उनसे हमें प्राप्त होगी वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में कपास का विकास

†२२३२. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की सुधरी हुई किस्म (लम्बे रेशे वाली कपास) का विकास करने के लिये १९६३–६४ के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई योजना पेश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता किस प्रकार की होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दो योजनायें पेश की हैं; एक लम्बे रेशे वाली देविराज कपास के सम्बन्ध में तथा दूसरी मध्यम रेशे वाली गाओरानी ४६ कपास के सम्बन्ध में ।

(ख) जब योजनायें मंजूर कर दी जायेंगी तो निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता स्वीकार्य होगी :—

(१) सुधरे हुए बीज के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो अर्थसहायता दी जायेगी वह बराबर अनुपात में केन्द्रीय सरकार द्वारा बांट ली जायेगी ।

(२) कीटाणु नाशक औषधियों, उड़ाने वाली औषधियों तथा छिड़कने वाली औषधियों आदि पर दी जाने वाली राज्य अर्थसहायता का २५ प्रतिशत भाग दिया जायेगा और यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जायेगा कि वह कितनी भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे ।

(३) फास्फेट के उर्वरकों पर १२½ प्रतिशत अर्थसहायता दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) खेती के औजारों पर २५ प्रतिशत अर्थसहायता दी जायेगी ।

(५) उर्वरकों तथा बिनौलों के क्रय तथा वितरण के लिये अल्प-कालीन ऋण दिये जायेंगे ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन प्रणाली

†२२३३. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के उन स्थानों के नाम क्या क्या हैं जहां तृतीय योजना काल में टेलीफोन प्रणाली चलाई जाने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** अनुलग्नक में दिये गये स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन करने के स्थान पर खोलने का विचार है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० ११६३/६३**] । कार्य की प्राप्ति सामान की उपलब्धि पर निर्भर करेगी ।

फल उत्पादन का विकास

†२२३४. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल उत्पादन का विकास करने के हेतु १९६३–६४ के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई योजना पेश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). १९६३–६४ में फल उत्पादन का विकास करने के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी तक कोई विशिष्ट योजना पेश नहीं की गई है । तथापि, उस राज्य में द्वितीय योजना काल से, फल उत्पादन के सम्बन्ध में एक योजना पहले ही से चल रही है । इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा उनके १९६३–६४ के आयव्ययक में १ लाख ८९ हजार रुपये का उपबन्ध किया गया है । सामान्यतया, नये फलोद्यानों के लगाये जाने के लिये मैदानों में ३०० रुपये प्रति एकड़ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ५०० रुपये प्रति एकड़ की दर पर दीर्घकालीन ऋण राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये जाते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों को साज सहायता तथा सहायता दिये जाने की वर्तमान प्रणाली तथा सम्बंधित विषयों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ११८७।६३ ।**]

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ तथा ५८७ के उत्तरों में शुद्धि

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** २६ मार्च, १९६३ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५८७ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में स्थिति ठीक नहीं बताई गई थी/सही स्थिति बताने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है । (**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० ११९४।६३**) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बंध में एक वक्तव्य दें ;

'समाचार पत्रों में छपे इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक लाइसेंस देने की सरकार की नीति सम्बंधी वर्तमान प्रक्रिया के बारे में संघ सरकार के दो सम्बंधित मंत्रियों में मतभेद है, ऐसे लाइसेंसों के दिये जाने सम्बंधी सरकार की नीति'

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** श्रीमान्, सरकार की बुनियादी औद्योगिक लाइसेंसिग नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। समाचार पत्रों में मेरे और मेरे कुछ सहयोगियों के बीच जो पत्रव्यवहार हुआ है, उस की गलत खबरें छपी हैं मुझे खेद है कि गोपनीय पत्रों को इस तरह प्रकाशित कर दिया गया है, जिस से कि गलत धारणा बनती है। पत्र व्यवहार देश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के बारे में था और विकास की मन्द गति पर असंतोष प्रकट किया गया था। तथापि यह सत्य नहीं है कि औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया के बारे में कोई मतभद है।

सरकार की औद्योगिक नीति सम्बंधी संकल्प मैंने ३० अप्रैल, १९५६ को पटल पर रखा था। उद्योगों के लिए लाइसेंस इस नीति के अनुसार दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं का पालन किया जाता है। सदन को ज्ञात है, औद्योगिक लाइसेंस इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लाइसेंसिंगसमिति की सिफारिशों पर जारी किये जाते हैं। इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों के और योजना आयोग के प्रतिनिधि होते हैं इसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों पर विचार किये जाने से पूर्व, इन की जांच प्रविधिक विकास विभाग, विभिन्न सम्बंधित मंत्रालयों, जैसा कि खान और ईंधन, इस्पात और भारी उद्योग रेलवे, वित्त मंत्रालय, कम्पनी विधि प्रशासन विभाग, योजना आयोग और राज्य सरकारों की सलाह से जांच की जाती है। अपनी सिफ़ारिशें करते हुए, समिति योजना आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखती है और इन बातों को पूरा महत्व देती है, जैसा कि प्रादेशिक वितरण, निर्यात की संमान्यता, एकाधिकार या क्षमता के केन्द्रीयकरण का रोका जाना, और यह भी देखा जाता है कि इससे विदेशी मुद्रा बचेगी या नहीं जहां पर उद्योग केवल सरकारी क्षेत्र के लिए ही सीमित नहीं है और जहां अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विदेशी सहयोग से प्राप्त सुविधाओं की और विदेशी निजी या अर्ध-सरकारी ऋण-दाता अभिकरणों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की और अनुभवी प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, तो वहां यह स्वाभाविक ही है यदि योजना के लक्ष्यो को शीघ्रता से प्राप्त करना है, तो बड़े उद्योगों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर हमें विचार करना होगा अन्यथा नीति यह है कि यह संभव हो, नये उपक्रमों को अधिमान्यता दी जाये।

उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद की एक उपसमिति है, जो कि औद्योगिक उपक्रम के लाइसेंसिंग नियमों के नियम १८ के अन्तर्गत काम करती है यह उपसमिति अपने आप या प्रार्थियों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सब लाइसेंसों का जो कि जारी किये गये हैं या बदले गये हैं पुनर्विलोकन

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करती है और यह सरकार को समान्य सिद्धांतों के बारे में परामर्श दे सकती है। इस उप-समिति में संसद के कुछ सदस्य भी हैं। अतः सरकार की लाइसेंसिंग नीति की जांच का एक गैर-सरकारी अभिकरण भी है।

११ अप्रैल, १९६३ को एक विवरण पटल पर रखा गया था, जिस में १९६०-६१ के पत्र वर्ष में जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा दिया गया था। मैंने १९६२ के आंकड़े भी इक्ट्ठे किये हैं इन तीन वर्षों में ४२११ औद्योगिक लाइसेंसों में, बड़े उद्योगपतियों को १८२ लाइसेंस दिये गये थे। इन में न केवल नये उपक्रम सम्मिलित हैं, बल्कि वर्तमान उपक्रमों के विस्तार की परियोजनायें भी हैं।

औद्योगिक नीति पर विचार करते हुए हमें अपने को उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिये, जिस पर उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम लागू होता है। इनके अतिरिक्त छोटे पैमाने के उद्योगों का बड़ा क्षेत्र भी है, जिन का काफी आर्थिक महत्व है इन की संख्या इस समय ५२,००० है, जो कि पंजीकृत है। इनके अतिरिक्त जो पंजीकृत नहीं हैं, उन की संख्या भी बहुत है। सरकार की नीति यह है कि इस क्षेत्र को भी अधिक से अधिक सहायता दी जाये, यद्यपि उसे भी बड़े पैमाने के उद्योगों की तरह विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का सामाना होता है।

सरकार की औद्योगिक नीति स्पष्ट है और इस को क्रियान्वित करने की व्यवस्था पर्याप्त है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, हमने प्रो० महालानोविस की अध्यक्षता में धन और उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। जब इस का प्रत्यावेदन प्राप्त हो जायेगा, तो इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा कि क्या औद्योगिक लाइसेंसिंग सम्बंधी प्रक्रिया या नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** चूंकि एक मंत्रालय में काम करने वाले मंत्रियों में मतभेद है, क्या प्रधान मंत्री उन लाइसेंसों के मामले में जो १९५७ से जारी किये गये हैं, जांच करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन की जानकारी किस पर आधारित है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** समाचार पत्रों पर।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** समाचार पत्रों की खबरें ठीक नहीं होती, इस लिए उन पर निर्भर नहीं किया जा सकता। मैं इसे भी बहुत अनुचित समझता हूं कि दो मंत्रियों के बीच गोपनीय पत्र प्रकाशित किये जायें। यह दुर्भाग्य की बात है कि दो मंत्रियों के बीच मतभद हो, किन्तु यह अच्छी बात है कि गलतियां मालूम हो जाती हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य, इराक और सीरिया का एक संघ राज्य बनाने के हेतु प्रस्तावित विलय और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद): मै प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बंध में एक वक्तब्य दें :

'संयुक्त अरब गणराज्य, इराक और सीरिया का एक संघ राज्य में प्रस्तावित विलय और उसके सम्बंध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया'

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**वैदेशिककार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : संयुक्त अरब गणराज्य, इराक और सीरिया की सरकारों के बीच एक संघ राज्य बनाने के बारे में जो बातचीत कुछ समय से हो रही थी उस का परिणाम इन तीनों राज्यों के बीच विलय के समझौते में हुआ है। एक नया संघ राज्य जिसे संयुक्त अरब गणराज्य कहा जायेगा और जिस की राजधानी काहिरा होगी, बनाया जायेगा संघ राज्य के सब नागरिकों की राष्ट्रियता अरब होगी, इस्लाम राज्य का धार्म होगा और अरबी राज भाषा होगी। एक सांझा झंडा होगा, जिस में दो की बजाय तीन सितारे होंगे। अन्य राज्यों के संघ में शामिल होने की भी व्यवस्था की गई है।

जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस के अनुसार संघ राज्य में एक राष्ट्रपति और तीन उपराष्ट्रपतियों के चुनाव की व्यवस्था होगी। दो सदनों वाली राष्ट्रीय विधान सभा का प्रथम सदन राज्यों की जन संख्या पर और दूसरा सदन तीन प्रदेशों से बराबर प्रतिनिधित्व पर आधारित होगा। दोनों सदनों में ५० प्रतिशत स्थान श्रमिकों और किसानों के लिए रखे जायेंगे। संघ सरकार प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य, वित्त और आर्थिक आयोजन के लिए उत्तरदायी होगी। अगले सितम्बर से पहले संविधान और राष्ट्रपति के चुनाव पर एक जननिदेश होग, जब कि संयुक्त अरब गणराज्य बन जायेगा। उस से पहले के समय के लिए कुछ आन्तरिक प्रबंध किये जायेंगे।

यह स्पष्ट है कि यह विलय एक ऐतिहासिक सफलता है। अरब लोगों के उद्देश्य के रूप में हम ने इस का स्वागत किया है। यह उस क्षेत्र में जहां झगड़े थे, शान्ति और स्थिरता लायेगा। अरब लोगों की शान्ति और उन्नति में जिनके साथ हमारे सदियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं, हमें बहुत रुचि है। इसलिए हम ने संयुक्त अरब गणराज्य के निर्माण का स्वागत किया है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : अरब राष्ट्रीयता के निर्माण का स्वागत करते हुए, हमें इज़राइल के श्री लेन ग्यूरिन को प्रधान नासिर के प्रभाव के विकास के बारे में अपने विचार बताने होंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। वे अपने आप मालूम हो सकते हैं। किन्तु इज़राइल सरकार के साथ हमारा सीधा राजनयिक सम्बन्ध नहीं है।

समिति के लिये निर्वाचन

पशु कल्याण बोर्ड

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ५ की उप-धारा (१)(झ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दे, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्याग-पत्र दे दिया है, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रुप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ५ की उप-धारा (१)(झ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

निदेश दे, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्याग-पत्र दे दिया है, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद-विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि ईसाइयों में विवाह तथा वैवाहिक वादों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले बिल सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय अगले अधिवेशन के अंतिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ईसाइयों में विवाह तथा वैवाहिक वादों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले बिल सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय अगले अधिवेशन के अंतिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री के साथ एक माननीय सदस्य के पत्र व्यवहार के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं इस विषय में आप से मार्ग दर्शन चाहता हूं कि क्या सदन का कोई सदस्य एक मंत्री को लिख सकता है कि एक ऐसे मामले को वापस ले लिया जाये, जिस के बारे में जांच की जानी है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य किसी समय खड़े हो कर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। मुझे उस प्रश्न की पूर्व सूचना मिलनी चाहिये, ताकि मैं उस के उत्तर के लिए तैयार रहूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे उत्तर अभी नहीं चाहिये। यह कल या दूसरे दिन दिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई प्रश्न उठाया जाना है, तो वह नियम ३७७ के अन्तर्गत उठाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजभाषायें विधेयक

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहमपुर) : औचित्य प्रश्न के हेतु। मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि संसद् के किसी सदन में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद ३४९ में जो विशेष प्रक्रिया है, उस का अनुसरण नहीं किया गया और राष्ट्रपति ने इस के पुरःस्थापन और विचार के लिए जो मंजूरी दी है, वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संविधान में जो पूर्व शर्तें रखी गई हैं, उन्हें पूरा नहीं किया गया। संविधान के वर्तमान उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वे इस रुप में विधेयक के पुरःस्थापन या उस पर विचार की मंजूरी दें। संविधान के अनुच्छेद ३४९ और ३४४ के अन्तर्गत, स्वतः कार्यवाही नहीं कर सकते और जब तक १० वर्ष के बाद आयोग और समिति न बनाई जाये वे ऐसे विधेयक के लिए मंजरी नहीं दे सकते।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : श्री चौधरी ने अपने औचित्य प्रश्न में कहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली गई है। मेरे विचार में यह मंजूरी नहीं मिली। अनुच्छेद ११७ और ३४९ में प्रयोग की गई भाषा में अन्तर है। अनुच्छेद ११७ में केवल 'सिफ़ारिश' शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें यह मालूम होना चाहिये कि उचित रुप में मंजूरी दी गई है या नहीं। यह अत्यावश्यक है कि राष्ट्रपति की मंजूरी को उसी भाषा में पुनः दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की इस आपत्ति को सही समझता हूं कि इस मंजूरी को विधि के अनुसार दिया जाना चाहिये था। मैं सरकार से कहूंगा कि वह भविष्य में ऐसा करें। किन्तु माननीय सदस्य यह बतायें कि क्या यह इस समय विधेयक के वैध होने पर प्रभाव डालता है ?

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** : मेरा तर्क यह है कि चूंकि अनुच्छद ३४१ के उपबन्धों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए यह प्रस्ताव सदन के सामने नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद ३४४(१) में पांच वर्षों और १० वर्षों के लिए अधिदिष्ट उपबंध है।

अनुच्छेद ३४४(१) में आयोग के कर्तव्य बताये गये हैं और दो आयोगों से अभिप्राय है जो नियुक्त किये जाने थे ताकि वे हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के बारे में सिफारिश करें। अनुच्छेद ३४९ में उपबंध है कि राष्ट्रपटि की अनुमति से विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये अधिकार का सरकार प्रयोग नहीं कर सकती और राष्ट्रपति तब तक अनुमति नहीं देंगे जब तक आयोग सम्बन्धी शर्त पूरी नहीं होती। पहला आयोग १९६० में नियुक्त होना चाहिये था। अब १९६३ तक आयोग नियुक्त नहीं किया गया। अतः सभा इस पर चर्चा नहीं कर सकती।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र का अभी प्रारम्भ है अतः संसदीय परम्पराओं को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों का पालन किया जाये।

नियम ६५ का उपनियम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के सम्बन्ध में है कि उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिये। सरकारी विधेयक के लिए भी स्वभावतः यह नियम आवश्यक है। इस विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं की गई और सांविधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। अतः मेरा निवेदन है कि विचार करने का प्रस्ताव नियमविरुद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान्, आप को स्मरण होगा कि आप के पूर्वाधिकारी की अध्यक्षता में भी यह प्रश्न उठाया गया था। वास्तव में अनुच्छेद ३४८ क अन्तर्गत विधेयक पेश करने के सम्बन्ध में तो नहीं परन्तु दूसरा आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रश्न था। सरकार ने दूसरा आयोग नियुक्त नहीं किया था जिस का कारण स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने बताया था कि चूंकि प्रथम आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा था और उन्हें लागू करने की कार्यवाही की जा रही थी अतः मैं ने स्वयं चर्चा में यह दृष्टिकोण अपनाया कि संविधान में दिये गये शब्द 'shall ("करेगा") को '[may]' ["कर सकेगा"] समझा जाये। सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया था और मैं ने कहा था कि जब तक न्यायालय अन्य दृष्टिकोण को न अपनाये तब तक यही व्याख्या मानी जाय। संविधान के अन्य उपबंधों में भी "किया जायेगा" शब्द संविधान में प्रयुक्त है किन्तु न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उसे "किया जा सकता है" शब्द समझा जा सकता है। इस प्रश्न को हम केवल हंस कर नहीं निबटा सकते।

भारत सरकार के एक अधिनियम में यह शब्द प्रयोग किये गये थे कि उच्च न्यायालय कतिपय मामलों में प्रिवी कौंसिल को अपील के लिए अनुमति अथवा विशेष प्रमाण पत्र "देगा"। इस के बारे में प्रिवी कौंसिल ने यह निर्णय दिया था कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा कुछ किये जाने के लिए उच्च अधिकारियों को कुछ कर्तव्य सौंपे जायें वहां "किया जायगा" शब्दों को सामान्यतः आदेशात्मक नहीं समझना चाहिये। लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३१० के बारे में इसी प्रकार की व्याख्या की गई थी। प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकारें या केन्द्र यथा स्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है अथवा नहीं क्योंकि अनुच्छेद ३२० में ["shall"] ["होगा"] शब्द प्रयुक्त थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के एक निर्णय में जहां मैं ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से यह तर्क दिया था कि "shall" ["करेगा"] को "[may]" ["कर सकेगा"] समझा जाये उस तर्क को स्वीकार कर लिया गया था। यही व्याख्या बाद में वैसे ही मामले में उच्चतम न्यायालय में स्वीकार कर ली गई थी। उस निर्णय को पढ़ कर देखा जा सकता है कि कारण स्वीकार करने योग्य है न कि सभा के बाहर परिहास करने के योग्य।

इसलिये आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रश्न पर यही तर्क दिया गया था कि दूसरे आयोग की नियुक्ति व्यर्थ होगी क्योंकि हम अभी प्रथम आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के बारे में विचार कर रहे थे। इसलिए मैं ने समान आधार को लेते हुए यह तर्क दिया था कि "[shall]" ["करेगा"]के को "[may]" ["कर सकेगा"] समझा जाये क्योंकि जब अभी पहले आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों पर निर्णय किया जा रहा था यह कहना सांविधानिक उपबंध के लिए उपयोगी नहीं था कि दूसरी समिति केवल इसलिए नियुक्त कर दी जाय कि संविधान में [shall] शब्द का प्रयोग है। आज तीन वर्ष बाद भी केन्द्र और राज्य सरकारों को आयोग और समिति की सिफारिशों को लागू करना है और आयोग तथा समिति की सिफारिशों तथा राज्य विधान मंडलों, लोक सभा पर उन सिफारिशों के बारे में की गई चर्चा के आधार पर सरकार द्वारा प्रस्तावित विधान को पारित करना है। इसलिये अनुच्छेद ३४४ के अनुसार दूसरा आयोग नियुक्त करने का प्रश्न पहले ही निबटाया जा चुका है।

अब अगला प्रश्न यह है कि क्या जैसे श्री त्रिदिव कुमार चौधरी और श्री त्रिवेदी ने तर्क दिया है अनुच्छेद ३४९ के अन्तर्गत किसी रोक का उपबन्ध है क्योंकि दूसरा आयोग नियुक्त नहीं किया गया। तर्क इस प्रकार है कि अनुच्छेद ३४९ में दूसरे आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध और अनुच्छेद

†मूल अंग्रेजी में

३४४ के खण्ड (४) के अनुसार आयोग की सिफारिशों और संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति विधेयक पेश करने की अनुमति दे सकते हैं। यह सोचना भी गलत है कि राष्ट्रपति को दूसरा आयोग नियुक्त करना ही चाहिये चाहे पहले आयोग की सिफारिशें अभी लागू न की गई हों और इस प्रकार की रोक के बारे में सोचना या तर्क द्वारा उस की स्थिति का अनुमान करना जो वास्तव में है ही नहीं, गलत है। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को छोड़ कर कि दूसरा आयोग नियुक्त करने का दायित्व है अथवा नहीं अनुच्छेद ३४९ का अभिप्राय है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद ३४४ के खण्ड (१) के अन्तर्गत निर्मित आयोग की सिफारिशों और समिति के प्रतिवेदन के बाद इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दे सकता है। यदि और कुछ है ही नहीं तो उस पर विचार करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। अनुमान कीजिये कि दूसरा आयोग होता किन्तु उस ने सिफारिश न की होती या दूसरी समिति होती और उस ने प्रतिवेदन न दिया होता। यह विधि का विख्यात सिद्धान्त है कि जब किसी बात पर विचार करना हो तो उसे कोई व्याख्या प्रदान की जाती है या लिखी जाती है कि इस बात पर विचार करना है यदि वह है या यदि संभव है। यदि उस का अस्तित्व ही न हो तो उस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अस्तित्वहीन सिफारिश पर विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और यह तर्क व्यर्थ है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : माननीय विधि मंत्री ने "shall" और "may" का खूब खिलवाड़ किया है। ऐसे भी बहुत से मामलों का उद्धरण दिया जा सकता है जिन में उच्चतम न्यायालय और प्रिवी कौंसिल ने 'shall' के प्रयोग को आदेशात्मक माना है। उपबन्ध तो यही है कि यदि कोई विधान बनाना है तो १५ वर्ष के भीतर ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहियें। या फिर यह भी उपबन्ध है कि राष्ट्रपति ऐसे दुविधापूर्ण विषय में उच्चतम न्यायालय को निर्देश करता। यह निर्देश नहीं किया गया।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : विधि सम्बन्धी शब्दावलियों और अनेक न्यायिक निर्णयों में यह बताया गया है कि 'shall' का अभिप्राय आदेशात्मक है या वह केवल हिदायत है। किन्तु यह तो सच है कि संविधान में हिन्दी को सरकारी भाषा घोषित किया गया था। एक के बाद दूसरा आयोग नियुक्त करने का उपबन्ध संविधान में था। यदि सरकार का दृष्टिकोण भिन्न है तो या तो इसे उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करना चाहिये या अनुच्छेद ३४४ (१) पर प्रभाव डालने वाले उपबन्धों का लोप कर दिया जाये।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे संसार का कोई भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिस में प्रतिबंधात्मक खण्ड में 'shall' शब्द को 'may' के रूप में माना गया हो।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : व्याख्या करने का यह सिद्धांत है कि वह कभी इस प्रकार नहीं की जा सकती कि उपबंध को ही रद्द कर दिया जाये। अनुमान कीजिये कि १९६० में दूसरा आयोग नियुक्त कर दिया जाता किन्तु वह तीन वर्षों में सिफारिशें न दे पाता तब हिन्दी के समर्थकों को शिकायत होती कि आप हिन्दी को शीघ्र लाने की कोशिश नहीं कर रहे। उपबंध यह नहीं कि दूसरा आयोग नियुक्त किया जाये बल्कि यह है कि उस की सिफारिशों पर विचार किया जाये। अतः प्रथम आयोग की सिफारिशों पर विचार कर के कार्य करना भी आदेशात्मक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने नियम ६५ की बात कही है। वह गैर सरकारी विधेयकों के सम्बन्ध में है अतः मंत्री के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी साथ लगाना आवश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

दूसरा प्रश्न है कि अनुच्छेद ३४४ के उपबंध आदेशात्मक हैं अथवा नहीं। मैं यही उचित दृष्टिकोण समझता हूं कि यह उपबन्ध आदेशात्मक है। उद्देश्य यही था कि हिन्दी की प्रगति को विभिन्न दौरों में देखा जाय। पहले आयोग की सिफारिश और समिति के प्रतिवेदन पर विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और फिर दूसरे आयोग की सिफारिश और समिति के प्रतिवेदन पर दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है जिस में यह उपबन्ध करना है कि किन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग हो सकता है और किन क्षेत्रों में अंग्रेजी को रखना चाहिये।

जहां तक अनुच्छेद ३४६ के शब्दों का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि सामान्य खण्ड अधिनियम के अन्तर्गत एक वचन का अर्थ बहुवचन है। इस संदर्भ में केवल एक आयोग और समिति का उल्लेख है। अतः मेरे विचार में जब एक दौर पूरा हो चुका है और आयोग की सिफारिश और समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है तो राष्ट्रपति विधेयक पेश करने की अनुमति दे सकता है।

सरकार दूसरा आयोग नियुक्त करने में विफल रही है वह एक भिन्न प्रश्न है। किन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के ज़रिये यह गारण्टी दी गई है कि पंद्रह साल के बाद अंग्रेज़ी नहीं रहेगी। और देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी और उस की लिपि देवनागरी होगी। इसलिये जो विधेयक आ रहा है, वह संविधान के विरुद्ध जाता है। किसी ऐसे बिल को, जो संविधान के विरुद्ध जाता है, बग़ैर संशोधन किये पेश नहीं किया जा सकता है और उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इसलिए मेरा आप से यह निवेदन है कि चूंकि यह बिल संविधान के विरुद्ध है, इसलिये इस पर बहस की इजाज़त न दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं। जब इस बिल का इन्ट्रोडक्शन हुआ था, तो उस वक्त भी यह सवाल उठाया गया था। उस के बारे में हम यह फ़ैसला कर चुके हैं कि यह बिल आ सकता है और इन्ट्रोड्यूस हो सकता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आप के विनिर्णय के बाद हम माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति के नियमित रूप से क्यों पेश नहीं किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपत्ति से सहमत हूं किन्तु इस से विधेयक पर विचार करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगता। मैं ने निदेश दे दिया है कि भविष्य में विधेयक के साथ राष्ट्रपति की अनुमति प्रस्तुत की जाये।

†**श्री हनुमंतैया** (बंगलौर नगर) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधेयक के साथ राष्ट्रपति की अधिसूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि शब्द "पूर्व अनुमति" है न कि सिफारिश।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह उचित नहीं था कि उच्चतम न्यायालय का परामर्श लिया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस की यहां आवश्यकता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा कानूनी और अहम नुक्ता है। इसलिए इस के बारे में सुप्रीम कोर्ट से राय ले लेनी चाहिये। इन के भरोसे तो कल यह बिल अदालत में फ़ेल हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि जहां पर यह सवाल हो कि कोई बिल अल्ट्रा-वायर्ज़ हो सकता है, तो उस के बारे में हम फ़ैसला नहीं दे सकते। यह बात आम तौर पर कोर्ट्स के ऊपर ही छोड़ दी जाती है कि वे किसी बिल के बारे में अपना फ़ैसला दें।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं श्री नाथ पाई की बात का समर्थन करता हूं। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय से क्यों नहीं पूछा गया इस बारे में विधि मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अलग विषय है। मैं ने उस बारे में निर्णय नहीं दिया।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को इतनी दफ़ा वक्त दिया है और जो कुछ आप ने कहा वह मैं ने सुन लिया है। अब आप बैठ जायें।

श्री बागड़ी : आप मेरा एक निवेदन सुन लें, तो मैं बैठ जाता हूं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भाषा और भविष्य का प्रश्न है और बहुत जरूरी प्रश्न है। इसलिए इस को पास करने से पहले सरकार देश में रिफ्रेंडम या राय-शुमारी करा ले। (अन्तर्बाधा

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बैठ जायें।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि संसद में कार्य सम्पादन, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिए संघ के राज काज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

चूंकि मैं ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था अतः मैं संसद् में और बाहर भी अनेक लोगों से, इस सभा के और राज्य सभा के अनेक सदस्यों से मिला हूं। अतः मैं समझता हूं कि मैं विधेयक के सम्बन्ध में ठीक स्थिति का अनुमान लगा सकता हूं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में लोगों के ज़ोरदार विचार हैं अतः मैं मामले का महत्व कम नहीं करना चाहता। किन्तु विभिन्न विचारों में कहीं पर साम्य है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग एक बात पर सहमत हैं कि आखिर हिन्दी ही संघ की सरकारी भाषा होगी। मैं यह नहीं कहता कि देश में या संसद् में कोई भी इस विचार के विरुद्ध नहीं है किन्तु मैं ने कहा है संसद और देश में यह भावना है कि अनुच्छेद २४३(१) के उपबन्ध के अनुसार हिन्दी को संघ की सरकारी भाषा स्वीकार किया जाये। इसी अनुच्छेद के खण्ड ३ में उपबन्ध है कि १५ वर्ष की अवधि में एक आयोग और एक समिति नियुक्त की जायेगी जो समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। उस में यह भी उपबन्ध है कि यदि हिन्दी को सारे प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता तो अंग्रेज़ी को जारी रखने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। उसी उपबन्ध के अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी को रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

विधेयक का मुख्य प्रयोजन यह है कि क्योंकि सभा के सदस्य संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर चुके हैं अतः उनकी सामान्य इच्छा को पूरा किया जाये। जहां तक मुझे विदित है सभा ने सामान्यतः समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया था। सभा के काफी बड़े बहुमत ने सिफारिशों के प्रति सहमति प्रकट की थी।

श्री राजा राम (कृष्णागिरि) : आप बहुमत से किसी भाषा का अन्त नहीं कर सकते।

†**श्री राम सेवक** (बाराबंकी) : ये लोक इस विधेयक को नहीं चाहते। इसे वापस लेना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतिवादी इसे नहीं चाहते। सभा चाहती है।

†**श्री बागड़ी** : प्रधान मंत्री जी वचन देकर इनको उकसा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम नाजुक मामले पर विचार कर रह हैं अतः सदस्य आपस में बोलने की बजाय अध्यक्ष को सम्बोधन कर।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस समस्मा क संमंबध में अतिवादी विचार हैं। एक तो यह कि हिन्दी को बिल्कुल छोड़ा जा रहा है और दूसरा यह कि चालाकी से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि भविष्य में अंग्रेजी का प्रयोग न हो। हिन्दी के प्रयोग के संबंध में मैं यह स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि हिन्दी की प्रगति तेजी से हो सकती थी। किन्तु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गत वर्षों में हिन्दी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गैर सरकारी प्रयत्न भी हुये हैं और उन्हें काफी सहायता दी गई है। साहित्यिक क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों ने काफी प्रगति की है। सरकार ने शब्दावलियां तैयार कीं और बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किये हैं।

हिन्दी बोलने और लिखने के संबंध में न केवल हिन्दी भाषी राज्यों में बल्कि अहिन्दी भाषी राज्यों में भी काफी प्रगति हुई है। बहुत से लोग भले ही अच्छी हिन्दी न बोल सकें किन्तु वे बोल सकते हैं। कुछ ही मास में मद्रास राज्य में दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा में भाषण करते समय मैंने पूछा कि मैं अंग्रेजी में बोलूं अथवा हिन्दी में। वहां ३००० बालक बालिकायें थीं जिन्हें स्नातक की उपाधि मिलनी थी। उन सब ने कहा कि मुझे हिन्दी में भाषण देना चाहिये। यह इस बात का उदाहरण है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में कैसे हिन्दी सीखी जा रही है।

मैं भी महसूस करता हूं, जैसा कि मेरे मित्र और सहयोगी श्री दासप्पा ने कहा, कि दक्षिण के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने में हम बहुत अधिक उदार हो सकते थे। मुझे इस में सन्देह नहीं है कि यदि उनको वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता और अधिक दी जाये तो वह अपना काम अधिक तीव्र गति से और प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं।

इन परिस्थितियों में, यद्यपि मैं समझता हूं कि इस से विवाद उत्पन्न होंगे, फिर भी मैं सभा से अपील करना चाहता हूं कि इस मामले पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया जाय। यह किसी दृष्टि से भी एक दल का प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मामला है और राष्ट्रीय समस्या है इसलिये मुझे आशा है कि सभा इस पर इसी प्रसंग में विचार करेगी। यदि हम चर्चा इस प्रकार करेंगे कि भाषा और भाषा में द्वेष उत्पन्न हो जाय तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। हमें यह भी महसूस करना है कि यदि इस सभा ने उचित नेतृत्व किया तो मुझे इस में सन्देह नहीं है कि सारा देश इसे स्वीकार करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुधा यह बात कही गई कि प्रस्तुत विधेयक में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वचनों को पूरा नहीं किया गया है। मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रधान मंत्री स्वयं इस विधेयक पर बोलेंगे और वह इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे। परन्तु मूल बातके बारे में कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। मूल बात यही थी कि १५ वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती रहेगी और इस विधेयक के खंड ३ में स्पष्ट उपबन्ध है कि अंग्रेजी हिन्दी के साथ साथ राजभाषा बनी रहेगी।

यह भी कहा गया कि इस मामले का निरीक्षण जो समिति करेगी, जिसका उपबन्ध प्रस्तुत विधेयक के खंड ४ में है, वह संसद सदस्यों की समिति होगी। यह शंका प्रकट की गई कि यह समिति सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व शायद न करे कि यह समिति शायद सभी राज्यों अथवा विभिन्न राज्यों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व न करे, जो इस मामले में भिन्न राय रखते हैं। मुझे सन्देह नहीं है कि संसद के सदस्यों की समिति से अच्छी कोई समिति नहीं हो सकती क्योंकि संसद के सदस्य अपने राज्यों के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निस्सन्देह, विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषायें बोलने वाले लोगों को इस समिति में प्रतिनिधित्व मिलेगा।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो संसदीय समिति नियुक्त की गई थी उस में ३० सदस्यों में से २१ सदस्य अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिये सभा समझ सकती है कि जो भविष्य में समिति बनाई जायगी उस में भी स्वाभाविकत: वही अनुपात होगा। मुझे विश्वास है कि गत समिति के प्रतिवेदन के समान उस समिति के प्रतिवेदन पर भी संसद में विचार किया जायगा और संसद् में जो विचार व्यक्त किये जायेंगे उन्हें राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जायेगा। साथ ही, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उस समिति का प्रतिवेदन सभी राज्य सरकारों को परिचारित किया जायगा।

सामान्यतया, हमारा नियम यह है कि वह महत्वपूर्ण सिफारिश जिन का प्रभाव राज्यों पर पड़ता है और जिन के व्यापक परिणाम होते हैं राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं ताकि वह उन पर विचार कर सकें और अपने विचार हमें बता सकें। इस मामले में भी पूर्व उस के कि राष्ट्रपति कोई अन्तिम सिफारिशें करें, समिति के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों को भेजा जायेगा। इस प्रकार अन्तिम आदेश देने से पूर्व राष्ट्रपति के पास विचार के लिये संसदीय समिति का प्रतिवेदन, संसद सदस्यों के विचार तथा चर्चायें और राज्य सरकारों के विचार यह सभी होंगे।

मैं समझता हूं कि सभा मेरे साथ सहमत होगी कि गत कुछ दिनों में व्यक्त की गई शंकाओं को दूर करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

खंड ३ के बारे में मैं अग्रेतर बताना चाहूंगा कि इससे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सभी राजकीय काम काज के लिये हो सकेगा। इस खंड से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, संघ के राजकीय काम काज में, अन्तर्राज्यीय संचार और केन्द्र तथा राज्यों के बीच संचार में अथवा संसद में कार्य पालन में, करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होंगे।

राष्ट्रपति द्वारा एक सरकारी भाषा आयोग नियुक्त किया गया था। उसे मद्रास सरकार द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उस में प्रयुक्त एक शब्दबन्धले कर मैं कहूंगा कि इस विधेयक में "लम्बे अर्से के लिये द्विभाषिकता" परिकल्पित है। इसका अर्थ यह है कि जहां हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जायगा वहां अंग्रेजी के प्रयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मैं यह और बता दूं कि जहां तक राज्यों में हिन्दी के प्रयोग का संबंध है हम उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाना नहीं चाहते, हम कोई प्रतिबन्ध लगा भी नहीं सकते। लगभग सभी हिन्दी भाषा भाषी राज्यों में हिन्दी और अन्य राज्यों में भी प्रादेशिक भाषा राजकीय भाषा बना दी गई है और उन्हों ने इस संबंध में कानून भी पास कर दिये हैं। इन परिस्थितियों में यह कहना कि उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है गलत होगा। मैंने सुना है और बहुत से सदस्यों ने भी मुझे कहा है कि केन्द्र कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहता है अथवा राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। परन्तु यह बात तथ्यों पर निर्धारित नहीं है यदि हिन्दी भाषा भाषी राज्य सभी काम काज के लिये हिन्दी का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं, वास्तव में वह ऐसा कर के हिन्दी के विकास में सहयोग देंगे, विशेषतया सरकारी काम काज में, और इस से सारे देश का हित हो सकता है क्योंकि उस से हमारे लिये आगे बढ़ने के लिये एक आधार बन जायगा; और यदि किसी अन्य राज्य द्वारा हिन्दी को स्वीकार किया जाता है तो वह भी शब्दों संबंधी तथा अन्य प्रकार की आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

यह भी सुझाया गया है कि समिति की स्थापना के लिये जो १० वर्ष की कालावधि रखी गई है वह बहुत कम है। समाचारपत्रों में विभिन्न सुझाव इस विषय में दिये गये और ऐसी अवधि निर्धारित करना कठिन हो गया था जो सभी के लिये स्वीकार्य हो। ऐसे मामलों में जो अवधि निर्धारित की जाती है निस्सन्देह वह एक प्रकार से मनमानी होती है। समाचारपत्रों में विभिन्न लोगों द्वारा १५ वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष, ३० वर्ष, ४० वर्ष के सुझाव दिये गये; और एक सुझाव ५० वर्ष की अवधि निर्धारित करने के लिये है। माननीय सदस्य स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि इन सुझावों के अनुसार अवधि निश्चित करने में कितनी कठिनाई हो सकती है। यह जो १० वर्ष की अवधि है यह मैं समझता हूं कि युक्तियुक्त है। दस वर्ष पश्चात् क्या होगा ? एक संसदीय समिति प्रगति के बारे में विचार करेगी। वह स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी और समस्या के अन्य पहलुओं पर विचार कर के अपनी सिफारिशें देगी। इस से अधिक और कुछ नहीं है। इसलिये एक ओर यह समिति सरकार को सतर्क रहने में सावधान रहने में और यह देखने में सहायता करेगी कि हिन्दी के संबंध में इस कालावधि में क्या प्रगति हो सकी है, तो इसी ओर संसद को यह देखने का अवसर भी मिलेगा कि सन्तोषजनक प्रगति हुई है या नहीं, कोई परिवर्तन संभव था अथवा नहीं, कालावधि बढ़ायी जानी है अथवा नहीं। समिति को इन मामलों पर विचार करने का पूरा हक होगा। इन परिस्थितियों में, मैं समझता हूं कि १० वर्ष की कालावधि सामान्यतया स्वीकार्य होनी चाहिये।

खंड ५, ६ और ७ के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। परन्तु इस बारे में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं कि डिक्री, निर्णय, आदि के लिये न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा अथवा हिन्दी का प्रयोग न किया जाय। खंड ५, ६ और ७ के उपबन्ध बिल्कुल राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों, आदि, के लिये अंग्रेजी का ही प्रयोग होता रहेगा। केवल इस बारे में उपबन्ध किया गया है कि केन्द्रीय परिनियमों का हिन्दी भाषा में प्रमाणीकृत मूलपाठ रहेगा। इस क्षेत्र में वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को भी स्थान प्राप्त है उस में कोई परिवर्तन न करते हुये हिन्दी और राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग के लये गुंजाइश रखी गई है।

'अनुवाद' शब्द के प्रयोग के बारे में कुछ आपत्तियां की गई हैं। यह सुझाया गया है कि इस की बजाय 'संस्करण', अथवा 'मूलपाठ' जैसे शब्द अधिक अच्छे रहेंगे। व्यक्तिगत आधार पर इन शब्दों को स्वीकार करने में मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती थी। परन्तु स्वयं संविधान के अनुच्छेद में 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस विधेयक में भी हम ने इस शब्द का कई स्थानों में प्रयोग किया है। इसलिये, इस पर विचार करने के पश्चात्, मैं ने महसूस किया कि कोई परिवर्तन करना ठीक न होगा।

अन्त में मैं एक और बात कहना चाहूंगा जिसका इस विधेयक से सीधे संबंध नहीं है। यद्यपि हिन्दी अथवा अंग्रेजी के प्रयोग से सेवाओं में किसी का अहित नहीं होगा फिर भी उन क्षेत्रों के लोगों के दिलों में, जहां हिन्दी भाषा नहीं बोली जाती, यह डर बना हुआ है। यह महसूस किया जाता है कि हिन्दी जानने वाले युवक और युवतियों की स्थिति सेवाओं के लिये प्रतियोगिता में अधिक अच्छी होगी, उन्हें अधिक नौकरियां मिलेंगी और उन्हें कुछ अन्य सुविधायें भी मिल सकेंगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जहां तक सेवाओं का संबंध है, चाहे भर्ती का मामला हो चाहे पदोन्नति का, हम यह परिकल्पित नहीं करते कि कोई युवक अथवा युवती केवल इस आधार पर नुक्सान में रहेगी कि वह हिन्दी नहीं जानती ? खंड ३ में यह स्पष्ट उपबन्ध है कि अंग्रेजी हिन्दी के साथ साथ प्रयोग में लाई जाती रहेगी। अब भी स्पष्ट निदेश हैं। बेशक हम सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करते हैं। केवल प्रयत्न नहीं करते बल्कि वास्तव में एक करते भी हैं। परन्तु गत ८, ९ अथवा १० मासों से, इस विधेयक पर जो चर्चा हुई उस के फलस्वरूप, कुछ कठिनाई का अनुभव हुआ और सरकारी कर्मचारियों में कुछ शंकायें भी उत्पन्न हुई। वरना इस से पूर्व हिन्दी सीखने में सरकारी कर्मचारी काफी रुचि ले रहे हैं। हम ने कार्यालयों के समय के पश्चात् और कभी कभी मध्याह्न में श्रेणियों का प्रबन्ध किया है। वह काफी संख्या में उन श्रेणियों में आ रहे हैं। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि सभी ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं, वह हिन्दी सीखते रहे हैं और काफी हिन्दी सीख चुके हैं। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, वह स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं, और जैसा कि मैं ने कहा इस बारे में पहले ही अच्छे परिणाम निकले हैं।

श्री त्यागी ने मुझे सूचित किया है कि विधेयक में प्रयुक्त इन शब्दों से कुछ सम्भ्रम उत्पन्न होगा "राष्ट्रपति एक समिति नियुक्त कर सकते हैं"। खंड ४ में कहा गया है कि धारा ३ के लागू होने वाली तिथि के बाद १० वर्ष बीत जाने पर "राष्ट्रपति ३० सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर सकते हैं. ." उसके बाद कहा गया है कि समिति का निर्वाचन क्रमशः लोक-सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा, आदि। मैंने विधि मंत्रालय तथा विधि विशेषज्ञों की राय ली है। प्रावैधिक दृष्टि से वह इस में कोई गलती नहीं पाते। फिर भी मैंने सुझाव दिया था कि यदि इसे स्पष्ट कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इस दृष्टि से, मैं श्री त्यागी जी से सहमत हूं और उचित समय पर मैं इस प्रकार सुधार लाने के प्रयोजनार्थ एक संशोधन का प्रस्ताव करना चाहूंगा।

एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी स्थिति ऐसी है कि इस विधेयक के बारे में आलोचना की जा सकती है परन्तु हिन्दी बोलने वाले अपने मित्रों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यदि मैं महसूस करता कि इस विधेयक से हिन्दी के हित को चोट लगती है तो मैं इसे कभी न लाता। जो हिन्दी बोलने वाले नहीं हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यदि इस विधेयक के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य है तो मैंने इसे जनवरी, १९६५ से इतना समय पूर्व पेश न किया होता। भाषा की प्रगति और इसे राजभाषा के रूप में मानने के उद्देश्य को हमें क्रमवार प्राप्त करना है। इस विशाल देश में हमें इस बारे में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना है। यह एक महान बात है कि इस विशाल देश में, जहां

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

विविध भाषायें हैं, अहिन्दी भाषा भाषी लोगों ने समूचे तौर पर हिन्दी को ही राष्ट्र की राजभाषा बनाने के अन्तिम उद्देश्य को स्वीकार किया। इन परिस्थितियों में, हिन्दी भाषा भाषी मित्रों को अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के इस सराहनीय रुख का लाभ उठाना चाहिये। जल्दबाजी में कोई कार्यवाही करना सर्वथा गलत बात होगी।

मैं समझता हूं कि इस पृष्ठभूमि में जिस बात का उपबन्ध संविधान में है वह सामान्यतया स्वीकार्य है कि हिन्दी को सीखना चाहिये और इसे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये, परन्तु इसे वह महत्वपूर्ण स्थान केवल तभी मिल सकता है यदि हम इस उद्देश्य को सद्भावना से प्राप्त करें, विशेषतया उन लोगों की सद्भावना से जो हिन्दी नहीं जानते अथवा जो हिन्दी नहीं बोलते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० गोविन्द दास :** मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री यशपाल सिंह :** मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मनोहरन का संशोधन संख्या ५ नियम बाह्य है क्योंकि इस प्रकार राय जानने का एक संशोधन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

†**श्री राम सेवक यादव :** मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी :** मैं अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का संशोधन संख्या ३२ क्योंकि संशोधन संख्या १ के बिल्कुल समान है, इसलिये यह नियम बाह्य है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपना संशोधन संख्या ३३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बदरुद्दुजा :** मैं अपना संशोधन संख्या ४६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बड़े :** मैं अपना संशोधन संख्या ५० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सेझियान :** मैं अपना संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रस्ताव तथा ये सभी संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** समय का निर्धारण कैसे किया गया है। १५ घंटे का समय दो वाचनों में किस प्रकार से बांटा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** १० और ५ घंटे। हम इस पर सहमत हैं। अब सदस्य बोलेंगे। श्री मुकर्जी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता---मध्य) : गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रीय महत्व के मामले पर विचार कर रहे हैं । इस विधेयक पर हमें राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता करना चाहिए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठीसीन हुए]

यदि अहिन्दी भाषी लोगों को जो हिन्दी के सम्बन्ध में डर है उन्हें दूर कर दिया जाये तो इस विधेयक पर सारे देश में एक राय हो सकती है । हिन्दी के विकास के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए सरकार को प्रयत्न करने चाहिएं । गैर-सरकारी संस्थाएं भी इस काम में सहायक हो सकती हैं ।

हमें अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति को नहीं बनाये रखना चाहिए । अंग्रेजी से हिन्दी में काम आरम्भ करने के समय को भी अधिक नहीं करना चाहिए ।

कुछ लोग अंग्रेजी को राजभाषा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं । हमें इस का विरोध करना चाहिए । हिन्दी तो आनी ही है । इस मामले में हिन्दी और अहिन्दी भाषी लोगों की इकट्ठी राय से निर्णय किया जाना चाहिए । दोनों में मतभेद नहीं किया जाना चाहिए । यदि अंग्रेजी को एकदम न भी हटाया जाये, फिर भी हिन्दी शीघ्र लाने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें ।

अंग्रेजी को हम भारत से नहीं निकालेंगे । ये हमारी शिक्षा संस्थाओं और पुस्तकालयों में रहेगी । अंग्रेजी भाषा हमारी रचनात्मक कृतियों पर रुकावट है । रचनात्मक कृतियां तो हमारी अपनी भाषाओं में हो सकती हैं । आरम्भ से ही घरों में अंग्रेजी बोलने वाले बहुत कम लोग हैं । सामान्यतया लोग अपनी भाषायें ही बोलते हैं और शुरू में सीखते हैं । अतः उन भाषाओं में ही रचनात्मक काम हो सकता है ।

हमारे देश में जितने भी रचनात्मक कार्यवाहियां करने वाले बड़े व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपना काम देशीय भाषाओं द्वारा किया । अंग्रेजी जानने वाले लोग भी बड़े व्यक्ति हुए हैं परन्तु हमारे जीवनों पर अधिक प्रभाव डालने वाले लोग हमारी अपनी भाषाओं को जानने वाले हुए हैं ।

जिन भारत के लेखकों या कवियों ने अंग्रेजी साहित्य का सृजन किया है उन का अंग्रेजी भाषा में कोई ऊंचा स्थान नहीं है ।

चूंकि अंग्रेजी विकसित भाषा है, तो क्या हमें उसे ऊंचा दर्जा देते रहना है । ऐसी स्थिति में हमारी भाषाएं प्रगति नहीं कर सकतीं । हमारी भाषाओं में अधिक साहित्य नहीं है, इस का कारण यह है हम ने उन की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है । अब चूंकि हम ने अपने ऊपर भरोसा रखना है, अतः हमें अपने संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए ।

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति तेजी से होनी चाहिए । अभी तक बहुत धीमे प्रगति हुई है ।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी को राजभाषा बनाने में इतनी प्रगति नहीं हुई है । भाषा के बारे में संसदीय समिति ने हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति के बारे में कई अच्छे सुझाव दिये थे । उदाहरणतः लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का परीक्षा माध्यम के रूप में प्रयोग किये जाने के बारे में सुझाव दिये थे । अभी तक इस विषय में कोई भी जांच विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई है कि लोक सेवा आयोग आदि की परीक्षाओं में हिन्दी तथा अपनी अन्य भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार आरम्भ किया जायेगा । समिति ने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

उस समय कहा था कि अभ्यंश की पद्धति न्याययुक्त हो सकती है किन्तु इससे अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्तियां करने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिये हमें संयमित पद्धति अपनानी चाहिये जिससे सब भाषाओं का विकास हो सके। यह सिफारिश १९५८ में की गई थी, किन्तु अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं किया गया। कुछ अंग्रेजी पढ़े-लिखे अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के कारण ही अंग्रेजी को जारी रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। यदि यही क्रिया चलती रही तो यह धारणा प्रबल हो जायेगी कि समाज में एक चुना हुआ, विशेष योग्यताओं से पूर्ण, वर्ग है जो अन्य वर्गों से अधिक श्रेष्ठ है। यह धारणा हमारे समाजवाद, प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों पर आघात करेगी और फिर अंग्रेजी को हटा कर हिन्दी लाने का कार्य भी दुष्कर हो जायेगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल एक चुने हुए वर्ग के लिये ही, जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, होने चाहियें।

इसलिये यदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि यथासंभव शीघ्र अंग्रेजी को हटा कर अपनी भाषाओं को रखा जायेगा और अंग्रेजी को कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण केवल निश्चित समय के लिये ही जारी रखा जायेगा, तो इस विधेयक को सब की सम्मति प्राप्त हो जायेगी।

मेरा सुझाव है कि खंड ३ में "may" ["किया जा सकेगा"] के स्थान पर "shall" ["किया जायेगा"] रख दिया जाये। आज प्रातःकाल हम ने इस बात पर काफी चर्चा की है कि किस प्रकार इन दो शब्दों में एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से लगाया जा सकता है। जितना मुझे विधि का ज्ञान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि "may" ["कर सकेगा"] का अर्थ अनुमानतः "shall" ["करेगा"] के अर्थ में लगाया जायेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का खतरा उठाया जाये। इसलिये अच्छा है कि "may" ["किया जा सकेगा"] के स्थान पर "shall" ["किया जायगा"] ही रख दिया जाये।

खंड ४ में यह उपबंध है कि १० वर्ष के बाद नियुक्त की जाने वाली समिति के प्रतिवेदन पर संसद् में चर्चा होगी और इसे राज्य सरकारों को परिचालित किया जायेगा। मेरा सुझाव है कि इसे राज्य विधान सभाओं को भी चर्चा के हेतु परिचालित किया जाये।

खंड ५ से ७ न्यूनाधिक रूप से स्वीकार्य हैं। किन्तु मेरा निवेदन है कि अनुवाद पर हमें काफी व्यय करना होगा और इसके लिये एक प्रकार के संगठन की भी आवश्यकता होगी। मेरा सुझाव है कि यह कार्य केन्द्र अपने हाथ में ले ले।

मेरा सुझाव है कि सेवाओं में नियुक्तियों के विषय में भी संसदीय समिति की सिफारिशों की जांच की जाये। ऐसा निश्चित आश्वासन दिया जाये कि अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्तियां एक परीक्षा के द्वारा होंगी, जिस में परीक्षा का माध्यम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषायें होंगी। हिन्दी का प्रश्न पत्र अनिवार्य रखा जा सकता है और सेवा में प्रवेश के बाद भी एक परीक्षा का उपबन्ध रखा जा सकता है; किन्तु अहिन्दी भाषी व्यक्तियों के लिये यह परीक्षा अधिक कठिन नहीं होनी चाहिये। इसलिये यदि सम्भव हो तो इस विधेयक में अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को इस बात का स्पष्ट आश्वासन देने सम्बन्धी एक उपबन्ध रखा जाये कि उन्हें आशंकित होने अथवा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा सुझाव है कि परीक्षा के रूप में हम ऐसा उपाय अपनायें कि संसद् में साथ ही साथ अनुवाद करने की व्यवस्था हो। हम एक साथ १४ भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था नहीं कर सकते,

किन्तु हमें प्रयास आरम्भ कर देना चाहिये। मेरा ऐसा सुझाव देने का कारण यह है कि हमारे बहुत से मित्र अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में नहीं बोल सकते।

हमें हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विकास की गति में तीव्रता लानी है। राज्यों को चाहिये कि प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करना आरम्भ कर दें। जब तक स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक अंग्रेजी जारी रखी जा सकती है, किन्तु हमेशा के लिये नहीं।

हमारे देश में कई प्रथक प्रदेश हैं। किन्तु परंपरा से हमारी मूलभूत भावना अनेकता में एकता और विविधता में एकरूपता देखने की है। हमारा ध्येय भी समाजवादी ढंग के समाज की रचना करना है जिस में हम विविधता में एकरूपता देखने की भावना का सम्मान करें। सब प्रदेशों के लोगों को चाहिये कि देश की सेवा के हेतु मिल कर कार्य करें और वह हम अपनी भाषा का प्रयोग करके ही कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता; किन्तु मेरा सुझाव है कि इसमें इस प्रकार संशोनन कर दिया जाये कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों की सारी आशंकायें दूर हो जाय।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय ने जाते हुए एक बात कही थी कि यह मामला बहुत नाजुक मामला है। मैं उन से . . . .

†**श्री कन्डप्पन** : (तिरुचेंगोड) : मेरी एक प्रार्थना है।

डा० गोविन्द दास : जी नहीं; मैं अपनी भाषा में बोलूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। वह बात मानने के लिये तैयार नहीं।

डा० गोविन्द दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्षों तक यहां पर . . . .

†**श्री कन्डप्पन** : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम उनकी बात नहीं समझ पायेंगे। यदि वह हिन्दी में ही बोलना चाहें तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हमें उपलब्ध कराया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह डा० गोविन्द दास पर ही निर्भर है। यहां दोनों ही भाषाओं में भाषण दिया जासकता है।

डा० गोविन्द दास: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि बीसों वर्षों तक यहां पर अंग्रेजी में बोलता रहा हूं, और उसके बाद मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने देश में अपनी भाषामें बोलूंगा और विदेशों में अंग्रेजी बोलूंगा। इसलिये अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। जो बात मैं यहां कह रहा हूं यदि सदस्यों की इच्छा हुई तो अन्त में उन को अंग्रेजी में भी कह दूंगा।

मैं कह रहा था, आप से, कि अध्यक्ष जी एक बात कह कर गये हैं कि यह मामला बड़ा नाजुक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मेरे लिये यह इस लिये और भी नाजुक हो जाता है कि जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो के नेतृत्व में मैंने पिछले ४३ वर्ष तक काम किया, सार्वजनिक क्षेत्र में, जिन श्री लाल बहादुर जी के साथ साथ मैं न जाने कितने वर्षों तक काम करता रहा हूं, उनके मत के विरोध में शायद मुझे यहां कुछ कहना पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० गोविन्द दास]

शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस मामले में सदस्यों को 'स्ट्रांगव्यूज़' हैं । बिल्कुल ठीक है । इस सम्बंध में बड़ा बुनियादी मतभेद है, और मैं उन में से हूं जिन्होंने ५० वर्ष तक अपनी सारी जिन्दगी में, एक काम किया है । उस के विरुद्ध जाना मेरे जीवन के इस संध्या काल में संभव नहीं है । लेकिन मैं इतना पंडित जी और शास्त्री जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उनके इस विधेयक का विरोध करते हुए भी, उनके मतों का विरोध करते हुए भी, उनके प्रति मेरी वैसी ही श्रद्धा है, वैसा ही विश्वास है जैसा कि अब तक रहा है, और भविष्य में वैसा ही रहने वाला है । मैं जीवन भर कांग्रेस-वादी रहा हूं, और चाहे इस विधेयक के आज मैं विरुद्ध होऊं, लेकिन इसके बाद भी मैं कांग्रेस में ही रहने वाला हूं, किसी दूसरी संस्था में जाने वाला नहीं हूं ।

अभी यहां कुछ लोगों ने कहा कि हिन्दी कभी केन्द्र में आने वाली नहीं है । जो लोग ऐसा कहते हैं वे तो हिन्दी के ही विरोधी नहीं हैं, मैं तो कहूंगा कि वे भारत का विभाजन चाहते हैं और स्वयं अपनी भाषा के विरुद्ध हैं । कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो इस देश में निवास करते हैं और उन की दृष्टि अभी भी इंग्लैंड की तरफ है ।

शास्त्री जी ने उदारता की बात कही । मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं । एक लम्बा भाषण मैं देने वाला हूं क्योंकि यह मेरा विषय रहा है, लेकिन मैं उन को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि आरम्भ से अन्त तक वे उस में कटुता का एक शब्द कहीं नहीं पाएंगे ।

मानव समाज में जब कभी भी कोई बड़ी बात हुई है तो उसके लिए वातावरण तैयार किया गया है । हमारे देश की आधुनिक स्वतंत्रता का भी यही इतिहास है । हमारे देश का वर्तमान वायु मंडल तैयार किया था राष्ट्र पिता ने, जिन्होंने इस नये भारत का निर्माण किया है, और उन्होंने इस सम्बंध में क्या कहा था यदि मैं यहां उसे पढ़ दूं तो कोई अनुचित बात न होगी । इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आज जो कुछ मैं कहूंगा वह अपनी ओर से बहुत कम होगा, जो कुछ मैं यहां पर कहूंगा वह यहां के महापुरुषों के ओर से ही कहूंगा । गांधी जी ने सन् १९१८ में कहा था जब कि देश का नेतृत्व उनके हाथ में आ रहा था ।

"यह भाषा का विषय बड़ा भारी और बड़ा ही महत्वपूर्ण है । यदि सब नेता सब काम छोड़ कर केवल इसी विषय पर लगे रहे तो बस है । यदि हम लोग भाषा के प्रश्न को गौण समझ या उधर से मन हटा लेंगे, तो इस समय लोगों में जो प्रवृति चल रही है, लोगों के हृदयों में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह निष्फल हो जाएगा । भाषा माता के समान है । माता पर जो प्रेम होना चाहिये वह हम लोगों में नहीं है । . . . हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं । हमारी प्रजा अज्ञान में डूबी है, . . . हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रान्तीय सभाओं में और अन्य सभा समाज और सम्मेलनों में अंग्रेजी का एक शब्द भी सुनाई न पड़े । हम अंग्रेजी का व्यवहार बिल्कुल त्याग दें ।"

यह हमारे राष्ट्रपिता ने सन् १९१८ में कहा था । मैं कहना चाहता हूं कि यदि भारत को सच्चा भारत रहना है तो वह भारतीय भाषाओं के बिना नहीं रह सकता । यह प्रश्न हिन्दी का नहीं है । यह बहुत गलत कहा जाता है कि हिन्दी वाले यह चाहते हैं और हिन्दी वाले वह चाहते हैं । यह प्रश्न भारतीय भाषाओं का है । एक ओर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजी है । अंग्रेजी केवल भाषा के रूप में यहां नहीं है । अंग्रेजी के साथ सारी अंग्रेजियत बंधी हुई हैं । उसके साथ अंग्रेजी संस्कार बंधे हुए हैं, अंग्रेजी संस्कृति बंधी हुई है और अंग्रेजी सभ्यता बंधी हुई है । भारतीय

भाषाओं के साथ भारतीयता है। इसलिए यदि हमें इस देश को सच्चा भारत बनाना है तो वह हम अंग्रेजी द्वारा नहीं कर सकते। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कोई संघर्ष नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता जब हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं के संघर्ष की बात कही जाती है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की एक ही संस्कृति है। वे सब एक ही संस्कृति से निकली हैं। शब्द भंडार भी उन सब का एक है। उत्तर की भाषाएं तो संस्कृत से निकली हैं, दक्षिण की भाषाओं में प्रचुर परिमाण में संस्कृत की शब्दावली है।

एक माननीय सदस्य : वर्णमाला भी एक है।

डा० गोविन्द दास : फिर एक भाषा बढ़ती है तो सारी अन्य भाषाएं भी बढ़ती हैं। मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा। केन्द्रीय सरकार इस समय शब्दावली बना रही है। उस शब्दावली को कुछ थोड़े हेर फेर के साथ सब राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार एक भाषा बढ़ती है तो अन्य भाषाएं भी बढ़ती हैं।

फिर भाषा प्रयोगशाला में नहीं बढ़ती। भाषा बढ़ती है जब वह व्यवहार के क्षेत्र में आती है। प्रयोगशालाओं में कभी दुनिया में भाषा नहीं बढ़ी। मैं इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी रहा हूं। मैंने भाषाओं का इतिहास पढ़ा है, और क्योंकि यह मेरा विषय रहा है, मैं आप से कहना चाहता हूं कि कोई भी भाषा प्रयोगशाला में नहीं बढ़ी, भाषा बढ़ी है व्यवहार में।

फिर प्रान्तीय भाषाओं की बढ़ती भी केन्द्र में हिन्दी की बढ़ती से होगी। अगर केन्द्र में अंग्रेजी में सब कुछ चला तो अन्य भारतीय भाषाएं नहीं बढ़ सकतीं। प्रान्तीय भाषाओं का भी विकास नहीं हो सकता। फिर तो सारे प्रान्त अंग्रेजी की ओर देखेंगे। इस सम्बंध में भी राष्ट्रपिता का ही कथन सुनिए।

"अंग्रेजी को प्रान्तीय भाषाओं का या हिन्दी का स्थान नहीं दिया देना चाहिए। अगर अंग्रेजी ने यहां के लोगों की भाषाओं को निकाल न दिया होता तो प्रान्तीय भाषाएं आज आश्चर्यजनक रूप में समृद्ध होतीं। अगर इंग्लैंड फ्रैंच भाषा को अपने राष्ट्रीय काम काज की भाषा मान लेता, तो आज हम अंग्रेजी का साहित्य इतना समृद्ध न मिलता। नार्मन विजय के बाद वहां फ्रैंच भाषा का ही जोर था, लेकिन उसके बाद लोक प्रवाह विशुद्ध अंग्रेजी के पक्ष में हो गया। अंग्रेजी साहित्य को आज हम जिस महान रूप में देखते हैं, वह उसी का फल है"।

संविधान सभा में जब भाषा विषयक विवाद चल रहा था उस समय एक प्रश्न उठा कि आठवें शिड्यूल में हम अंग्रेजी को भी स्थान दें। उस समय जो कुछ हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था उस को भी आप सुन लीजिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा था :

"कुल लोगों का प्रस्ताव है कि अंग्रेजी को भी आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित कर लिया जाये। यह गलत है क्योंकि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। ऐसा करने से अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा रखने के मलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा करना होगा। यह पूर्ण रूप से संविधान के शब्दार्थ और भावार्थ दोनों का उल्लंघन करता है।"

यह हमारे प्रधान मंत्री जी का कथन है और किसी का कथन नहीं है।

सब से महत्वपूर्ण बात हमारे लिए स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता की हम रक्षा कब कर सकते हैं? स्वतंत्रता की रक्षा अंग्रेजी के दौर दौर से होने वाली नहीं है। स्वतंत्रता की रक्षा तब होगी जब उस स्वतंत्रता को, उस स्वराज्य को यहां के लोग अपनी स्वतंत्रता और अपना स्वराज्य मानेंगे। इस सम्बंध में भी आप राष्ट्रपिता का कथन सुनिए। उन्होंने कहा था :

[डा० गोविन्द दास]

"अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों, करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहनों और दलितों व अन्त्यजों का हो और इन सब के लिए होने वाला हो तो हिन्दी ही एक मात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है"।

स्वतंत्रता के साथ चार प्रमुख बातें जो हमें देखनी हैं। पहली बात है भारतीय एकता, दूसरी बात है भारत में समाजवादी समाज की रचना, तीसरी बात है भारत में प्रजातंत्र की सफलता और चौथी बात है भारत की आर्थिक उन्नति। हम एक एक बात को ले लें। क्या भारतीय एकता अंग्रेजी से रह सकती है। बार बार यह कहा जाता है कि यह विधेयक इसलिये लाया जा रहा है कि भारत की एकता बनी रहे। यह कैसी एकता है? आप देखें कि अंग्रेजी के द्वारा कैसे एकता रहेगी? अंग्रेजी भाषा ने यहां के पढ़े लिखे लोगों में और यहां की जनता के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खोद दी है, एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। जब तक हम उस खाई को पाट नहीं देंगे और जब तक हम उस दीवार को ढहा नहीं देंगे तब तक भारतीय एकता कायम नहीं रह सकती। आज क्या हाल है, आप देखें कि जितना काम हो रहा है, जितना भारत की एकता का प्रयत्न हो रहा है वह सब का सब प्रयत्न एक छोटे से तबके की ओर से, एक छोटे से तबके के द्वारा हो रहा है जो कि अंग्रेजी जानता है। इसमें बहुत कम हिस्सा यहां की आम जनता का है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कोई भी विदेशी भाषा काम नहीं दे सकती। इसी लिए हमने संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया था क्योंकि वह यहां के ५२ प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है, और देश के कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी समूचे देश में समझी जाती है। इस सम्बंध में भी महात्मा गांधी का ही एक कथन सुनिये :—

> "यह बात नहीं कि मैं भाषा के पीछे दीवाना हो गया हूं।...फिर भी मैं भाषा पर इतना जोर इसलिए देता हूं कि राष्ट्रीय एकता हासिल करने का यह एक बहुत जबरदस्त साधन है। और जितना दृढ़ इसका आधार होगा, उतनी ही प्रशस्त हमारी एकता होगी।"

आज यह खेद का विषय है कि गांधीजी की इन बातों को हम भूल गये जब एकता नहीं लाई जा सकती तो फिर समाजवाद इससे कैसे लाया जा सकता है? जिस अंग्रेज़ी भाषा को लोग समझते नहीं हैं समाजवाद की स्थापना अंग्रेज़ी के द्वारा कैसे होगी यह समझ में नहीं आता है? फिर जो प्रजातन्त्र के चलने की बात है वह भी अंग्रेज़ी द्वारा चलना सम्भव नहीं है क्योंकि इस देश के ९८ फ़ीसदी लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते। अगर हमको प्रजातन्त्र को चलाना है, अगर हमारे यहां बालिग़ मताधिकार है तो उस भाषा में प्रजातन्त्र चल सकता है जो कि इस देश की भाषा हो या इस देश की मातृभाषाएं हों। अंग्रेज़ी के द्वारा इस देश में प्रजातन्त्र नहीं चल सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे केन्द्रीय सरकार के कामों में, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में और हमारी अन्य दूसरी बातों में यहां की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है।

अब चौथी बात रही आर्थिक उन्नति की आर्थिक उन्नति बिना विज्ञान की उन्नति के नहीं हो सकती। और विज्ञान की उन्नति के लिए हमें वैज्ञानिक चाहिएं। अभी शिक्षा मन्त्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए मैं ने निवेदन किया था कि हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० कोठारी इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं। इस अवसर पर मैं डा० कोठारी ने जो कहा था उसको उद्धृत नहीं करना चाहता क्योंकि मैं थोड़े ही दिन पहले यह कह चुका हूं। हमारे वैज्ञानिक तीव्र गति से तभी तैयार हो सकते हैं जब हमारी वैज्ञानिक शिक्षा हिन्दी और हमारी अन्य भारतीय भाषाओं के द्वारा मिले।

इस सम्बन्ध में भी महात्मा गांधी का मत सुनिये :—

> "यह कभी नहीं हो सकता कि हजारों लोग अंग्रेजी भाषा को अपना माध्यम बनाएं, और यह अगर मुमकिन हो तो भी चाहने लायक़ तो क़तई नहीं। इस की सीधी-सादी वजह यह है कि अंग्रेज़ी के जरिए मिलने वाला उच्च और पारिभाषिक ज्ञान आम लोगों तक नहीं पहुंच सकता। यह तो तभी हो सकता है कि जब इस बात का प्रसार ऊपर के दरजे वालों में भी किसी देशी भाषा के द्वारा हो।"

जब संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया और चौदहों भाषाओं को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया तब हिन्दी के प्रति और हमारी अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों के मन में कितने उत्साह और जाग्रति की लहर उठी थी। लोग हिन्दी और भारतीय भाषाओं की ओर झुके थे लेकिन जब से यह चर्चा चलने लगी कि फिर से अंग्रेज़ी यहां हमेशा के लिए चलने वाली है तब से यह जोश जो हमारी जनता में हिन्दी के राजभाषा और शेष १३ भारतीय भाषाओं के राष्ट्रभाषा होने पर हुआ था वह जोश ठंडा होकर खत्म हो रहा है। फिर से लोग अंग्रेजी की ओर मुड़ रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी इसलिए पढ़ाते हैं कि इस ग़रीब देश में सरकारी नौकरियां अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों को ही मिलती हैं। जब छोटी से छोटी नौकरी भी बिना अंग्रेज़ी के ज्ञान के नहीं मिल सकती तब अगर लोग अंग्रेज़ी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लोगों का दोष नहीं है बल्कि यह हमारा दोष है।

यह कहना ग़लत है कि अकेले अहिन्दी भाषा भाषी लोग हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। हिन्दी का, प्रचलन, हिन्दी को केन्द्र में चलाया जाय इसका विरोध केवल अहिन्दी भाषा भाषी लोग ही नहीं वरन् हिन्दी भाषा भाषी भी कर रहे हैं और यह विरोध कौन लोग कर रहे हैं? यह विरोधी वही दो प्रतिशत: लोग हैं जिनके हाथ में भारी राजसत्ता है जिनके हाथ में सारे का सारा देश का कामकाज है, जो आज भी अपना आधिपत्य इस अंग्रेज़ी के द्वारा इस देश में बनाये रखना चाहते हैं, वे हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचलन नहीं होने देना चाहते क्योंकि उनका स्वार्थ अंग्रेज़ी से सधता है। इसलिए यह कहना कि केवल अहिन्दी भाषा भाषी विरोध कर रहे हैं यह बात सही नहीं है। अहिन्दी भाषा भाषी भी कर रहे हैं और हिन्दी भाषा भाषी भी कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका कि स्वार्थ अंग्रेजी से सधता है। फिर यह बात भी ग़लत है कि सारे अहिन्दी भाषा भाषी राज्य हिन्दी के विरोधी हैं। दक्षिण में मद्रास को छोड़ कर केरल, मैसूर और आन्ध्र हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। पूर्व में बंगाल को छोड़ कर असम और उड़ीसा हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। केवल बंगाल और तामिलनाड तक ही यह विरोध केन्द्रित है। पहले मैं बंगाल को लेता हूं। यह आवाज़ पहले पहल बंगाल से उठी थी कि भारतवर्ष में एक भाषा की ज़रूरत है और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। इस बारे में केवल बंगला भाषा के ही नहीं वरन् हमारे भारत के एक बड़े भारी साहित्यकार श्री बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने एक भाषण में यह कहा था :—

> "अंग्रेजी के विषय में लोगों की जो कुछ भी भावना हो, पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दी के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। हिन्दी की पुस्तकें लिख कर और हिन्दी बोल कर भारत के अधिकांश भाग को निश्चय ही लाभ हो सकता है। यदि हम देश में बंगला और अंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या का पता चलायें तो हमें

[डा० गोविन्द दास]

साफ प्रकट हो जायगा कि वह कितनी न्यून है। जो सज्जन हिन्दी भाषा द्वारा भारत में एकता पैदा करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भारतबन्धु हैं। हम सब को संगठित होकर इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिये।"

न्यायमूर्ति श्री शारदाचरण मित्र तो देवनागरी लिपि के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने "देवनागर" नामक पत्र निकाला, जिसमें समस्त भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में छपता था। सारे भारत की भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में निकालने का प्रयत्न किया था। अब फिर से वह त्रैमासिक पत्र संसदीय हिन्दी परिषद् द्वारा निकला है। उन्होंने उस समय हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में यह कहा था :—

"हिन्दी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। कलकत्ते की "एक लिपि विस्तार-परिषद्" समस्त भारतवर्ष में एक नागरी लिपि का प्रचार करने में तन मन से लगी हुई है। यद्यपि मैं बंगाली हूं। तथापि मेरे दफ्तर की भाषा हिन्दी है। इस वृद्धावस्था में मेरे लिये वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं हिन्दी में स्वच्छता के साथ बोलने लगूंगा और प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा होकर हिन्दी में वक्तृता दूंगा। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा। जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिन्दी में वार्तालाप करूंगा।"

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस बारे में क्या कहा था उसे भी सुन लीजिये :—

"सबसे पहले मैं एक ग़लतफहमी दूर कर देना चाहता हूं, कितने ही सज्जनों का ख्याल है कि बंगाली लोग या तो हिन्दी के विरोधी होते हैं या उसके प्रति उपेक्षा करते हैं। यह बात भ्रमपूर्ण है और इसका खण्डन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं व्यर्थ अभिमान नहीं करना चाहता, पर इतना तो अवश्य कहूंगा कि हिन्दी साहित्य के लिये जितना कार्य बंगालियों ने किया है, उतना हिन्दी भाषाप्रान्त छोड़ कर और किसी प्रान्त के निवासियों ने शायद ही किया हो। . . मैं इस बात को मानता हूं कि बंगाली लोग अपनी मातृभाषा से अत्यन्त प्रेम करते हैं और यह कोई अपराध नहीं है। शायद हम में से कुछ ऐसे आदमी भी हैं जिन्हें इस बात का डर है कि हिन्दी वाले हमारी मातृभाषा बंगला को छुड़ा कर उसके स्थान पर हिन्दी रखवाना चाहते हैं, यह भ्रम भी निराधार है। हिन्दी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि जो काम आज अंग्रेजी से लिया जाता है, वह आगे चल कर हिन्दी से लिया जाय।"

"प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिन्दी प्रचार से मिलेगी, उतनी किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी अपनी प्रान्तीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिये, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, पर सारे प्रान्तों की सार्वजनिक भाषा का पद हिन्दी को ही मिला है। . . . यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न न किया, तो वह दिन दूर नहीं है, जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी।"

यह हमारे नेताजी का कहना था। यह भी कहा जाता है कि तामिलनाड इसके खिलाफ़ है। इसके लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५८ में टामिलनाड में "दि लैंग्वेज कन्वेन्शन" नाम से एक परिषद् हुई थी। उस परिषद् के स्वागताध्यक्ष श्री के० भाष्यम् और उस परिषद् के अध्यक्ष भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री के० सन्तानम् थे जो कि आजकल हमारी राज्य सभा के सदस्य हैं। श्री भाष्यम ने अपने भाषण में क्या कहा था वह सुनिये :—

"यह कहा गया है कि हिन्दी को जबर्दस्ती लादने से देश के विघटन का खतरा है। क्या यह सच है? प्रतिकलतः यदि उत्तरोत्तर हिन्दी का प्रयोग किया गया तो विभिन्न प्रदेशों

के निवासियों की भावनाओं का आदान-प्रदान अंग्रेजी के माध्यम की अपेक्षा अधिक प्रभावी ढंग से होगा ।"

और श्री सन्तानम् ने अपने भाषण में क्या कहा था वह भी सुन लीजिये :—

"गत कई वर्षों से हिन्दी जनस्तर पर भारत की प्रमुख भाषा रही है । ब्रिटिश सरकर ने भी भारतीय सेना के लिये इसे प्रमुख भाषा बना कर इस तथ्य को स्वीकार किया है । महात्मा गांधी के नेतत्व में ४० वर्षों में हिन्दी के लिये तीव्र अभियान आरम्भ किया है और हजारों अहिन्दी भाषी राज्यों के लड़के-लड़कियों को हिन्दी सिखाई गयी है ।"

इसके बाद आप शेष अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के सम्बन्ध में कुछ बातें लीजिए । कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही---कर्नाटक दक्षिण में है---एक आल कर्नाटक हिन्दी कन्वेन्शन हुई, जिसके अध्यक्ष थे बंगलौर के एक्स मेयर, श्री आर० अनन्त रामन्, बी० एस० सी०, एल० एल० बी० और जिसका उद्घाटन किया मैसूर लेजिस्लेटिव कौंसिल के चेयरमैन, श्री जी० बी० हल्लीकेरी, ने । वहां पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसको सुनिये :—

"कुछ अहिन्दी भाषी लोगों के असाधारण दबाव के फलस्वरूप अंग्रेजी को १९६५ के बाद भी जारी रखने और सखी भाषा बनाने के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है । यह सम्मेलन इस पर चिन्ता व्यक्त करता है । सम्मेलन की राय यह है कि संशोधन में किसी विदेशी भाषा को राजभाषा की पदवी देना किसी भी राष्ट्र के आत्म-सम्मान के विरुद्ध है और राज भाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं के स्वस्थ विकास के लिए एक बाधा है ।

*	*	*	*

इसलिये यह सम्मेलन सरकार से सत्य निष्ठा से आग्रह करता है कि अंग्रेजी को अनिर्दिष्ट काल के लिये सखी राजभाषा बनाने का विचार त्याग दे ।"

इसी प्रकार कटक में एक सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पद्मश्री आर्त्तवल्लभ महान्ति एम० ए० । उस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया :

"यह सम्मेलन अंग्रेजी भाषा शिक्षा का विरोध न करते हुए भी अंग्रेजी भाषा को अनिर्दिष्ट काल के लिए हिन्दी के साथ सहयोगी या अतिरिक्त भाषा के रूप में ग्रहण करने का एकान्त विरोधी है । यदि अंग्रेजी को अतिरिक्त भाषा के रूप में ग्रहण करने का प्रयोजन हो ही, तो इसे केवल १९६५ से और पांच वर्ष अर्थात् १९७० ई० तक ही रखा जा सकता है ।"

इस विषय में स्वामी विचित्रानन्द दास, एडवोकेट, ने अपना यह संशोधन पेश किया था कि पांच वर्ष के स्थान पर दस वर्ष रखा जाये, किन्तु उपस्थित साहित्यकों में से किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया ।

[डा० गोविन्द दास]

हाल ही में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् का एक अधिवेशन हुआ, जिस के सभापति श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार थे, जो आंध्र के रहने वाले हैं, तेलुगु भाषा भाषी हैं। वह बहुत दिनों तक हमारे स्पीकर थे। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा :

"हिन्दी भाषा की समृद्धि से अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर भारत की सभी अन्य भगिनी भाषाओं की समृद्धि होगी और दक्षिणी भाषाओं की भी इस से समृद्धि होगी, क्योंकि उन के काम काज की भाषा हिन्दी ही होगी।"

आगे चल कर उन्होंने कहा :

"हिन्दी के प्रति भारत के किसी कोने में वास्तविक घृणा नहीं है और सामान्य रूप से सभी मानते हैं कि इस का प्रसार अवश्य होना चाहिये एवं यह पूर्ण रूप से राष्ट्र के काम काज की भाषा बने। ऊपर से जो विरोध कुछ ओर से देखने में आता है, उसका कारण यह है कि हिन्दी साहित्य को अधिकाधिक समृद्ध करने के पूर्व ही अंग्रेजी से हिन्दी पर उतर आने का हठ अथवा खींचा-तानी हो रही है।"

अभी दक्षिण के एक विद्वान और मैसूर विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर श्री चन्द्रहासन दिल्ली पधारे थे। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा :

"अगर अंग्रेजी को जबरदस्ती लादा जा सकता है, तो क्या कारण है कि हिन्दी को नहीं लादा जा सकता, जबकि बात ऐसी नहीं है। हिन्दी तो भारत की भाषा है, भारत की अधिक जनसंख्या द्वारा समझी और बोली जाने वाली भाषा है। संविधान में जब १९६५ के बाद हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने की व्यवस्था कर दी गई, तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हिन्दी को राजभाषा नहीं बनने दिया जायगा।......द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हिन्दी का विरोध करता है, पर यह तो भारत की अखंडता का भी विरोधी है। वह तो अलग द्रविड़स्तान चाहता है। उसे देश की एकता में विश्वास नहीं है।"

गाडगिल साहब महाराष्ट्रियन हैं, हिन्दी भाषा भाषी नहीं हैं। वह बहुत समय तक इस सदन के सदस्य थे और पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा है :—

"हिन्दी एक संघटित करने वाली शक्ति है। जन-साधारण को एक विशाल जीवन की तरफ ले जाने का मार्ग है। वह अब किसी एक प्रदेश की न होने की वजह से सारे देश की होगी और सारे देश का बौद्धिक और व्यवहारी जीवन समृद्ध करेगी। हिन्दी का प्रचार कार्य एक वाङ्यज्ञ है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

डा० गोविन्द दास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो दृष्टिकोण है, उसको कोई आप के सामने नहीं रखेगा और कम से कम कांग्रेस वाले तो नहीं रखेंगे। इसलिये मुझे अपनी बात कहने के लिये कुछ समय और दिया जाये।

गुजरात विद्यापीठ के उपकुलपति, श्री देसाई, ने अपने एक लेख में कहा है :—

"दुख तो यह है कि यह भी कहा जाता है कि हिन्दी तैयार नहीं है या पूरी तरह विकसित नहीं है। स्वभाषा का ऐसा अपमान करते हुये शर्म आनी चाहिये और कभी कोई भाषा बिना उस का उपयोग किये कहीं विकसित हुई देखी है? इसलिये सरकार को प्रामाणिकता से हिन्दी के उपयोग के लिये पूरा मौका देना चाहिये। अभी तक कानून से ऐसा नहीं किया गया है। इस बाधा को दूर करने की जरूरत है। इसके बजाये हिन्दी कभी आ ही न सके, ऐसा कानूनी कदम उठाया जा रहा है।"

वह आगे कहते हैं :

"ऊपर की विचारणा से उल्टा यह दिखाई देता है कि अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में ग्रहण करना, यह किसी तरह का उपाय ही नहीं है। इस से तो भाषाकीय अंधेर और कारबार में अराजकता ही पैदा होगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वैसे भी देश की जनसंख्या के एक प्रतिशत तक पहुंची है और वह भी उसे ठीक तरह से नहीं आती। और प्रजागति देखते हुये इस के बारे में हर साल शिथिलता ही बढ़ेगी। उस के चिह्न सर्वत्र नजर आते हैं। इस वजह से शिक्षा और राजव्यवस्था दोनों में सुधार नहीं हो रहा है। प्रजा चीखती रहती है, मगर कोई सुनता ही नहीं। स्वराज्य की नौकरशाही अंग्रेजीशाही बन चुकी है। यह भी निभ नहीं सकेगी, क्योंकि माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिये अंग्रजी ही उसे (नौकरशाही को) कम आती जायगी।"

मेरे पास और भी बहुत से उद्धरण हैं, लेकिन चूंकि आप कहते हैं कि वक्त नहीं है, इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बम्बई और पूना तथा अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अनेक लोगों ने हिन्दी को शीघ्र ही केन्द्र की राजभाषा के स्थान पर प्रस्थापित करने का अनुरोध किया है। उन में से कुछ नाम ये हैं : श्री विमलशंकर ना० शास्त्री, श्री कांतिलाल एम० जानी, श्री रतिलाल र० जोशी, श्री मधुसूदन एम० देसाई, कोकिला र० पटेल, श्री नन्द किशोर ओझा, इन्दिरा र० पारेख, श्री विपिन-चन्द्र बादवे, श्री किशोरीलाल वशिष्ट आदि। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने यह कहा है कि अंग्रेजी सहभाषा के रूप में हमेशा के लिये, अनिश्चित काल के लिये मुकर्रर न की जाये।

मैं अब इन उद्धरणों को पढ़ना समाप्त करता हूं और अन्त में अंग्रेजी के केवल दो उद्धरण पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

आयरलैंडके विख्यात कवि, थामस डेविस कहते हैं :

"कोई भी राष्ट्र बिना मातृ भाषा के राष्ट्र नहीं कहला सकता। इसकी रक्षा राष्ट्र की सीमा की रक्षा से भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि मातृभाषा रूपी रक्षा- भीति नदी, पर्वत आदि प्राकृतिक रुकावटों से भी अधिक शक्तिशाली है।"

यह कहा जाता है कि हमारी भाषायें सक्षम नहीं हैं। लेकिन अंग्रेजी के एक प्रमुख विद्वान श्री क्रस्ट कहते हैं :

"भारतीय भाषायें वाणी के सर्वोत्तम साधन हैं जो किसी भी मानवीय विचार को अभि-व्यक्त करने में समर्थ हैं, साथ ही सर्वोच्च वैज्ञानिक शिक्षा के भी माध्यम हैं।"

[डा० गोविन्द दास]

अन्त में मैं आप से यह कहूंगा कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस संकट कालीन परिस्थिति में इस विधेयक को क्यों लाया जा रहा है । अभी १९६५ तक बराबर अंग्रेजी चल सकती थी। इस लिये मैं इसका इस वक्त लाया जाना किसी प्रकार से भी उचित नहीं समझता । मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने इस संबंध में कोई काम नहीं किया है । उस ने कुछ काम किया है, लेकिन यदि गत बारह वर्षों के एक युग में उस ने संविधान की भावना के अनुसार उचित काम किया होता, तो आज इस विधेयक की आवश्यकता न होती । देश के प्रचंड बहुमत के विरोध में सरकार यह विधेयक ला रही है । इस देश के ९८ फी सदी लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं और दो फी सदी अंग्रेजी जानने वालों के लिये ९८ फी सदी लोगों के ऊपर अंग्रेजी लादी जा रही है।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, इससे स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकेगी, इस से एकता की स्थापना नहीं हो सकेगी, इससे समाजवाद की रचना नहीं होगी, इससे हमारी आर्थिक उन्नति नहीं होगी, इस से इस प्रकार के कोई भी महत्वपूर्ण काम हो जायें, यह संभव नहीं है । और प्रजातंत्र तो इसके द्वारा चल ही नहीं सकता । इस विधयक के द्वारा अनिश्चित काल के लिये अंग्रेजी लादी जा रही है । मुझ भय है कि गत बारह वर्षों में हिन्दी को चलाने के लिये जिस प्रकार कोई योग्य कार्य नहीं हुआ, यदि यह विधेयक इसी तरह से स्वीकृत हुआ, इसमें कोई समय न रखा गया--दस वर्ष, पांच वर्ष या कोई भी अवधि निर्धारित न की गई--तो उसी प्रकार इस विधेयक के स्वीकृत होने के बाद भी कोई व्यावहारिक कार्य नहीं हो सकेगा । जो कुछ पिछले बारह वर्षों में हुआ है, वही भविष्य में होने वाला है और पन्द्रह बीस वर्षों के बाद हमारे सामने वही परिस्थिति आयगी, जो कि आज हमारे सामने है ।

हिन्दी को चलाने के विषय में सरकार ने कभी कोई आयोजना नहीं बनाई है। जो आयोग मुकर्रर हुआ, वह भी कोई आयोजना नहीं बना सका और इसी प्रकार संसद् की कमेटी भी कोई आयोजना नहीं बना सकी । हमारी पंच वर्षीय योजनाओं में भी हिन्दी चलाने की कोई आयोजना नहीं बनी । बिना किसी निर्धारित अवधि के और बिना कोई आयोजना बनाये इस प्रकार के विधेयक को मैं स्वीकार नहीं कर सकता । मैं तो यह मानता हूं कि आज भी सारा काम काज हिन्दी में चल सकता है । मैं यह भी मानता हूं कि हम ने गलती की कि जिस दिन से संविधान लागू किया, उसी दिन से सब काम हिन्दी में क्यों नहीं चलाया । आयरलैंड में उसके स्वतंत्र होने के बाद दूसरे दिन से ही गैलिक में जब काम चल सकता है, इजराइल में उसके स्वतंत्र होने के बाद सब काम हीब्रू में चल सकता है, जोकि दोनों मृतभाषायें थीं, तो हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें जोकि मृत भाषायें नहीं हैं, इनके द्वारा उस दिन से सारा काम चल सकता था और आज भी मैं समझता हूं कि चल सकता है ।

जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया है, मुझे दुख है कि जिनके चरणों में बैठ कर, जिन के नेतृत्व में पंडित जी के, मैंने आज तक अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, शास्त्री जी मेरे साथी रहे हैं, उनके द्वारा लाये गये विधेयक का मुझे विरोध करना पड़ रहा है। तीन बार उनके मतों के विरूद्ध मुझे अपना मत देना पड़ा है । एक बार उस वक्त जबकि संविधान सभा में अंकों का प्रश्न आया था, दूसरी बार उस वक्त जबकि गोबध संबंधी मेरे विधेयक का सरकार ने विरोध किया था और तीसरी बार यह है । लेकिन यह मेरी अन्तरात्मा का प्रश्न है, यह वह प्रश्न है जिसको सुलझाते सुलझाते और जिसके लिये काम करते करते पचास वर्ष का अपना सारा जीवन मैंने व्यतीत किया है और जिस प्रश्न को स्वराज्य के बाद मैं सब से महत्वपूर्ण प्रश्न समझता हूं । इसलिये अपनी अन्तरात्मा के अनुसार

काम करने के लिये, इस जीवन के संध्याकाल में, मैं बाध्य हूं। मेरी निगाहों में पंडित जी इतने उदार हैं, शास्त्री जी इतने उदार हैं, कि वे मुझे गलत नहीं समझेंगे और मेरा जो इस संबंध में मत है उसका आदर करेंगे।

मुझे बड़े दु:ख के साथ इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आज यह सोच कर आया था कि आज हिन्दी में ही बोलूंगा। लेकिन मुझे मेरे कतिपय दक्षिण के मित्रों ने कहा कि आप हमें समझाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो इस वजह से आप अंग्रजी में जरूर बोलें। उनके इस अनुरोध का आदर करते हुये मैं ,अंग्रेजी में ही अपना भाषण दूंगा।

†हम संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसके अनुच्छेद ८७ में कहा गया है कि प्रथम सत्र के आरम्भ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष, एक साथ अभिभाषण देंगे और संसद् को बुलाने के कारण बतायेंगे। किन्तु अभिभाषण में इस विधेयक का उल्लेख नहीं किया गया था। मैं नहीं समझ पाता कि इस प्रकार विधि के उपबंधों का उल्लंघन क्यों किया गया है ?

सरकार ने संविधान के अनुच्छेद ३४६ और ३४४ के स्पष्ट उल्लंघनों का गोल-माल अर्थ निकाला है और उसकी भाषा को तोड़ा-मरोड़ा है। विधि मंत्री की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि पांच वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति करना ही पर्याप्त था और अगले पांच वर्ष बाद दूसरे आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं था। अनुच्छेद में स्पष्ट रूप में इन दोनों आयोगों को नियुक्त किये जाने का प्रयोजन दिया हुआ है। इन्हें हिन्दी की प्रगति का अध्ययन करके राजकीय कार्यों में इसके उत्तरोत्तर प्रयोग के विषय में सिफारिशें देनी थीं। आयोग का यह भी कार्य था कि दूसरे राज्यों में इस विषय में क्या कार्य किया जा रहा है, इसका अध्ययन करना। मध्य भारत में राजप्रमुख ने यह आदेश जारी कर दिया था कि राज्य का कार्य हिन्दी में होगा। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। इन सब बातों का अध्ययन १० वर्ष बाद ही किया जा सकता था। किन्तु बिना दूसरे आयोग की नियुक्ति किये ही पहले आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत करना अनुचित है। संविधान सभा में हुए वाद-विवादों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि उस समय सब इस विषय के सम्बन्ध में एक मत थे। कुछ आपत्तियां थीं। किन्तु उन सब का समाधान कर दिया गया था। यह सर्वसम्मत निर्णय था। इसकी पुष्टि उस समय और भी हो गई थी जब अंकों के प्रश्न पर चर्चा हुई थी और यह निश्चय किया गया था कि वह रोमन भाषा में ही प्रयुक्त किये जायेंगे। हमें इस बात से सहमत होना चाहिये कि हिन्दी ही इस देश की प्रमुख भाषा बन सकती है। मैं गुजराती हूं। मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है; किन्तु देश के विभिन्न भागों का भ्रमण कर के और विदेशों में बसे हुए भारतीयों से मिलने के पश्चात् मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच परस्पर विचार विनिमय हो सकता है।

निदेशक-तत्वों में यह दिया गया था कि १० वर्ष में बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता और बच्चों को हिन्दी पढ़ाई जाती तो आज इसका विरोध नहीं होता।

दक्षिण के लोग इसका यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि हिन्दी को किसी के ऊपर लादा न जाये। किन्तु कोई हिन्दी को किसी पर लादना नहीं चाहता। मैं ऐसे कार्य के विरुद्ध हूं। किन्तु जो लोग हिन्दी के विरुद्ध हैं उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वह क्या दूसरे लोगों पर अंग्रेजी नहीं लाद रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कंडप्पान :** यह भी हमारे लिये विदेशी भाषा है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** तब क्या यह उचित है कि अंग्रेजी को शेष २० करोड़ लोगों पर इसीलिये लादा जाये कि कुछ व्यक्ति हिन्दी के विरुद्ध हैं ?

†**श्री राजा राम :** हिन्दी भी हमारे लिये विदेशी भाषा ही है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** नहीं, यह विदेशी भाषा नहीं। आप इसे केवल पढ़-लिख नहीं सकते। केवल अंग्रेजी ही विदेशी भाषा है क्योंकि यह संविधान की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। यह भाग्य की विडंबना है कि संविधान में यह स्वीकार करने के १४ वर्ष बाद, कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा हो सकती है हम एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं जो लोगों के मस्तिष्क में शंकाओं को जन्म देने वाला है।

इस विधेयक से हिन्दी भाषी लोग प्रसन्न नहीं हैं। साथ ही अहिन्दी भाषी भी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी बातें पूरी तरह नहीं मानीं। हिन्दी के विषय में जितने संकल्प पारित किये गये हैं मैं उन के नाम गिनाना नहीं चाहता। किन्तु जो लोग दक्षिण में गये हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार वहां के कुछ लोगों ने हिन्दी सीखने का लगन से प्रयत्न किया है। मैं दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का अवैतनिक अध्यापक था और मुझे पता है कि कुछ लोगों ने इतनी लगन और अध्यवसाय से हिन्दी सीखी कि १५ दिन में ही वह पत्र लिखने लगे। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि यदि बिना किसी हठधर्मी के प्रेम और सम्मान के साथ उचित दिशा में हिन्दी का प्रचार किया जाता तो यह सुगमता से सारे देश को भाषा बन सकती थी।

यह सच है कि अंग्रेजी के कारण भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। किन्तु यह केवल इस कारण कि अंग्रेजी शासक जाति की भाषा थी। इसके स्थान पर यदि फ्रेंच अथवा अन्य कोई भाषा होती तब भी यही बात होती। अनुसूची में उल्लिखित सारी भाषाओं का शब्द भंडार इतना विशाल है कि उसके माध्यम से हमें हर प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। यह बात कि २० करोड़ व्यक्तियों की भाषा में वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, अविश्वसनीय है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इसका जितना विकास किया जाना चाहिये था उतना नहीं किया गया। हम ने वर्षों बाद दासता की जंजीरें तोड़ी हैं। अब एक विदेशी भाषा को अपने ऊपर लाद कर हम फिर अपने को जंजीरों में बांध रहे हैं। यह बात कि अंग्रेजी से ही हमारी भाषाओं का विकास हुआ सत्य होते हुए भी संयोगिक है। किन्तु इस कारण यदि हम यह चाहें कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी ही पढ़ें तो यह अनुचित होगा। विदेशों में जाकर यह बताते हुए हमें कितनी शर्म आती है कि हमारी राजभाषा अंग्रेजी है।

हमारी संस्कृति अंग्रेजों की संस्कृति से भिन्न है। अंग्रेजी को जारी रखना अपने आत्मगौरव पर आघात करना है।

कुछ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग अभ्यासवश अंग्रेजी में ही सोचते हैं और अंग्रेजी में ही बोलते हैं। हमें अंग्रेजी में कार्य करना अधिक सुगम प्रतीत होता है। किन्तु हम नदी किनारे के पेड़ हैं। फिर जाते-जाते अपने बच्चों के ऊपर इसे थोपना कहां तक उचित है ? यदि हमें सिर उठा कर चलना है तो अपनी ही कोई भाषा अपनानी होगी। और वह भाषा कौन सी हो सकती है ? यदि हम शांति से इस बात पर विचार करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। हिन्दी सीखने में कठिनाई भी क्या है ? मलयालम और तामिल को छोड़ कर सारी वर्णमाला हिन्दी जैसी ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कंडप्पन** : तामिल में ऐसा नहीं है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : हां, इस बात में तामिल समृद्ध है कि उसकी वर्णमाला में सब से कम अक्षर हैं । यह समृद्ध भाषा है । इसका अपना साहित्य है । किन्तु इस कारण यह सारे भारत की भाषा नहीं बनाई जा सकती । हां, जिस राज्य में यह प्रचलित है उसकी राज्य भाषा यह बन सकती है । साथ ही एक केन्द्रीय भाषा की भी आवश्यकता है । और इस तथ्य को हमें सारे भेदभाव भूल कर स्वीकार कर लेना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : इस विधेयक ने देश में एक तीव्र विवाद को जन्म दिया है । अपने पहले वक्ता के समान मैं भी यह अपील करता हूं कि इस विषय पर शांति से विचार किया जाये ।

इस विषय के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण विषय सम्बद्ध हैं, जैसे देश की एकता, संस्कृति का विकास, आदि । इसलिये हमें पक्षपातहीन दृष्टिकोण से इस पर विचार करना है । हठधर्मी को छोड़ना है । हिन्दी भाषी और हिन्दीतर भाषी, दोनों क्षेत्रों में ऐसे विवेकशील पुरुष हैं जो इस विषय पर शांति से विचार करते हैं । यदि वह लोग परस्पर वार्ता करें तो किसी निश्चय पर पहुंचा जा सकता है ।

पहली बात तो यह है कि विदेशी भाषा में कार्य करना हमारे आत्म सम्मान के विरुद्ध है । हमारी संस्कृति को भी इस से धक्का पहुंचता है । दूसरे लोगों की भी ऐसी संस्कृति के बारे में हीन धारणा होती है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं । हमारे देश के अतिरिक्त अन्य किसी देश ने अभी तक अपनी भाषा को अशक्त नहीं बताया । अंग्रेजी का इस देश में प्रयोग होता रहा है । इसका प्रचलन इसलिये हुआ कि यह शासकों की भाषा थी । किन्तु २०० वर्ष बाद भी यह भाषा २ प्रतिशत से अधिक जनता की भाषा नहीं बन सकी । और यह २ प्रतिशत भी कुशलतापूर्वक इसका प्रयोग नहीं कर पाते । मैं ने देखा है कि लेकचरर भी शुद्ध अंग्रेजी में एक पत्र तक नहीं लिख पाते । इस भाषा में हम ने अभी तक अधिक संख्या में रचनात्मक और मौलिक पुस्तकें नहीं लिखीं ।

हम ने केवल कुछ शब्दबन्ध स्मरण कर रखे हैं जिन का हम प्रयोग करते रहते हैं । कृति-साहित्य तथा संस्कृति में हमारा योगदान नगण्य है । रवीन्द्र ठाकुर अथवा जे० सी० बोस जैसे अधिक साहित्यकार आप को नहीं मिलेंगे । देश की ९८ प्रतिशत जनसंख्या को बुद्धि के भण्डार को प्रयोग में लाने का अवसर नहीं मिलता । हम केवल २ प्रतिशत शिक्षित लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो अपने को साधारण व्यक्ति से भिन्न समझते हैं, जो स्वयं अपने देशवासियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर सकते । हमारे देश में अधिकतर प्रतिभा निष्क्रिय पड़ी है । क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में माध्यम अंग्रेजी है इसलिये हमें अंग्रेजी भाषा को सीखना ही पड़ता है । परन्तु इस के परिणामस्वरूप सृजन शक्ति, बुद्धि तथा कृति-प्रयास विक्लांग हो गये हैं । हम अपनी ९८ प्रतिशत जनसंख्या की उपेक्षा कर रहे हैं ।

यह हमारे लिये राष्ट्रीय गर्व का प्रश्न है।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए]

हमें अंग्रेजी भाषा के प्रति कोई विरोध नहीं है। प्रश्न तो केवल यह है कि इसे शिक्षा का माध्यम नहीं होना चाहिए, संचार के लिये माध्यम नहीं होना चाहिए और प्रशासन में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए । हम अंग्रेजी को उपयुक्त स्थान देना चाहते हैं और हम हर देश

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री श० ना० चतुर्वेदी]

और भाषा से कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। परन्तु हमारे देश में हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। एक राज्य की जो भाषा है वहां उसी भाषा को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यदि अंग्रेजी माध्यम बनी रहेगी तो १४ भाषाओं में से किसी भाषा का उचित विकास नहीं हो सकता।

अब प्रश्न यह उठता है कि सारे देश के लिये एक भाषा होनी चाहिए। मैं समूचे हिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिये कह सकता हूं कि देश की राजभाषा हिन्दी बना कर हम कोई अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहते। हिन्दी को राजभाषा संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त, यही एक भाषा है जो देश के अत्यधिक भाग में समझी जाती है। इसलिये जितनी शीघ्रता से हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे उतनी शीघ्रता से यह प्रगति की ओर अग्रसर होगी। तभी ऐसी अनुपयुक्तता संबंधी शंकाएं दूर होंगी।

मैं अहिन्दी भाषी लोगों की शंकाओं को समझता हूं इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह राजभाषा उनकी सदभावना से ही बने। इस द्वारा हमें देश में एकता स्थापित करनी है, अखण्डता को चोट नहीं लगानी है।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि इस विधेयक के लाये जाने से हमें बहुत हर्ष हुआ है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यह हमारी सबकी एक सांझी समस्या है जिसे हमें मिल कर हल करना है। इसी भावना से प्रेरित होकर हमें इस पर विचार करना है और किसी समुचित निर्णय पर पहुंचना है। यदि हम इस भावना से काम करेंगे तो इतिहास में इस संसद को यह श्रेय प्राप्त होगा कि उसने देश में एक भाषा स्थापित की। इसीलिये मैं अपील कर रहा हूं कि इस पर सदभाव से विचार किया जाना चाहिये। हमारे देश में १४ भाषायें हैं और इन्हीं में से एक भाषा को राजभाषा बनना है, और यह स्थान केवल हिन्दी ही ले सकती है।

जहां तक हिन्दी भाषा के सीखने का प्रश्न है, यदि हम अंग्रेजी भाषा सीख कर एक अंग्रेज का मुकाबला कर सकने योग्य हो सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हिन्दी भाषा सीख कर हिन्दी जानने वालों का मुकाबला प्रतियोगिता परीक्षाओं में न किया जा सके। इस संबंध में यदि कोई शंकायें हैं तो हम यह मानने को तैयार हैं कि अहिन्दी भाषी लोगों को सेवाओं में अन्तरिम काल के लिये कोटा दे दिया जाय। परन्तु यह अधिक अच्छा होगा कि समिति का सुझाव मान कर एक भाषा में सामान्यता ला कर एक स्तर निश्चित किया जाये।

मैं समझता हूं कि इस समस्या को हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी लोगों में एक विवाद न बना कर उत्तेजनारहित ढंग से एक ऐसा हल निकालना चाहिए जो देश के लिये, संसद के लिये और विविध भाषी लोगों के लिये सम्मानजनक हो।

†**श्री अ० श० आल्वा** (मंगलौर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जब हमने हिन्दी को राजभाषा का स्थान देने के बारे में निश्चय कर लिया है तो हिन्दी का अन्य भाषाओं से विरोध समाप्त हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान में उपबन्ध है कि हिन्दी राजभाषा होगी और कि १५ वर्ष की अवधि के पश्चात हम हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान दे सकते हैं। परन्तु जो समिति नियुक्त की गई उसने वस्तुस्थिति का निरीक्षण का यह सुझाव दिया कि अभी हिन्दी इस योग्य नहीं है कि वह अंग्रेजी का स्थान ले सके। इसलिये सावधानी बरतने की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है। अतः इस विधेयक के प्रति विरोध की कोई गुंजाईश नहीं है।

अंग्रेजी के प्रति किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये और इन क्षेत्रों में विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे और इसकी उपेक्षा न की जाय। समिति ने भी अंग्रेजी के प्रयोग किये जाने के बारे में यही सुझाव दिया है।

इस समय तत्काल ही हिन्दी के लिये अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करना कठिन है। इससे संसद के और सरकार के काम काज में बाधा पड़ेगी। गत दस वर्षों में हिन्दी ने दक्षिण में भी काफी विकास किया है और हमें आशा है कि आगामी १० वर्षों में हिन्दी का पूर्णरूप से सरकारी काम काज में प्रयोग दिया जा सकेगा।

विधि मंत्री ने कहा है कि "कर सकेगा" शब्द पर्याप्त है। परन्तु मैं समझता हूं कि "करेगा" और कर सकेगा" में अन्तर है। इस लिये "करेगा" शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): राजभाषा के विषय पर संसद में और देश में बहुत तनाव और खींचातानी का वातावरण उत्पन्न किया गया है परन्तु मैं समझता हूं कि यह सब निस्सार है और इस समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जा रहा।

दो प्रकार के विचार मुख्यतया प्रकट किये गये हैं जो चरमपंथी हैं एक जो डा० गोविन्द दास द्वारा व्यक्त किये गये दूसरे जो श्री फ्रैंक एन्थनी द्वारा व्यक्त किये गये।

प्रस्तुत विधेयक, मैं समझता हूं, कि हम दो चरमपंथियों की विचारधाराओं में समझौता कराने के लिये एक सच्चा प्रयास है। हमारे प्रधान मंत्री अंग्रेजी भाषा के अनुयायी हैं और श्री लाल बहादुर शास्त्री हिन्दी भाषा के प्रेमी। इसलिये मैं कहूंगा कि यह इन दोनों में संयोग लाने के लिये एक प्रयास है।

हमें इस बात पर विचार करना है कि भारतवर्ष के लिये एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता क्यों हैं। यह कहना गलत है कि यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि संसार का कोई देश जो अपने आपको लोकतंत्रात्मक और स्वतंत्र देश कहता है अपने काम काज को किसी विदेशी भाषा में होते नहीं देख सकता। यदि लोग अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकेंगे और आदान-प्रदान नहीं कर सकेंगे तो लोकतंत्र कहां रहेगा। यदि लोग राजभाषा को ही नहीं समझ पायेंगे तो संविधान में जो मूल अधिकार आदि हैं उनका क्या लाभ होगा और जो व्यस्क मताधिकार है उसका क्या लाभ होगा। इसीलिये गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्र भाषा के बगैर स्वतंत्रता निस्सार है।

संविधान में हमने हिन्दी ही को राष्ट्र भाषा का स्थान दिया है। यह इस लिये नहीं दिया गया कि हिन्दी किन्हीं अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में अधिक विकसित है अथवा तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिये बेहतर माध्यम हैं, बल्कि इसलिये कि इस भाषा को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

देश के अधिकतर भागों में समझा जाता है। तामिल और बंगाली हिन्दी की तुलना में अधिक विकसित हैं। परन्तु राष्ट्रभाषा का स्थान साहित्यिक समृद्धि के आधार पर नहीं किया जा सकता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रस्तुत विधेयक से एक यह शंका उत्पन्न हुई है कि हिन्दी के आने से अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास में बाधा पड़ेगी। परन्तु सभी प्रादेशिक भाषाओं का समान विकास होना देश के लिये हितकारी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री आश्वासन दें कि हिन्दी को प्रमुख स्थान देकर अन्य भाषाओं में विकास में बाधा नहीं पड़ने दी जायेगी।

दूसरी आशंका यह है कि हिन्दी के आ जाने से हिन्दी भाषी लोगों को ही लाभ होगा और अहिन्दी भाषियों को हानि होगी। इससे सरकारी सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बेकारी बढ़ेगी। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में भी आश्वासन दिया जाये कि हिन्दी के आने से अहिन्दी भाषियों को हानि नहीं पहुंचने दी जायेगी।

तीसरी शंका यह है कि प्रस्तुत विधेयक द्वारा अंग्रेजी को देशनिकाला देने की योजना है। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अंग्रेजी भाषा के माधुर्य को सब स्वीकार करते हैं परन्तु अंग्रेजों के १०० वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी इस भाषा का ज्ञान आना २ प्रतिशत लोगों को ही है। जो काम अंग्रेजी भाषा इतने समय में सम्पन्न नहीं कर सकी मैं समझता हूं कि हिन्दी उसी काम को २५ वर्षों तक भी सम्पन्न नहीं कर सकेगी।

अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बनाये रखने के लिये कोई भी तैयार नहीं है और इस पर किसी को प्रसन्नता नहीं होती। परन्तु हमें एक बात को सदैव सम्मुख रखना है कि देश की एकता हमारे लिये सर्वप्रथम है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिन में देश की अखण्डता को चोट पहुंचने की सम्भावना हो बुद्धिमत्ता नहीं होगी। यदि हम इतिहास के पृष्ठों को उलटें तो ज्ञात होगा कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था सिख और मराठों ने भारत की एकता के लिये युद्ध लड़े। हमें भूतकाल से केवल सांस्कृतिक एकता ही विरासत में मिली है। और उस सांस्कृतिक एकता का आधारभूत तथ्य यह इसकी विविधता तथा भिन्नता। भारतवर्ष की विविधता ही इस का सौंदर्य है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेजों से हमें एक ही चीज विरासत में मिली है और वह है प्रशासनिक एकता। गांधी जी से हमें राजनीतिक एकता विरासत में मिली है। मेरा अनुरोध है कि इस एकता को बनाये रखना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि हम एकता को चोट लगायेंगे तो नष्ट हो जायेंगे। हमें हिन्दी भाषा के प्रति विरोध नहीं है। परन्तु देश की एकता बनाये रखने के लिए जो हल इस विधेयक में इस समस्या का निकाला गया है वही उचित है।

केवल हिन्दी को राजभाषा बना कर अहिन्दी भाषी लोगों की अवहेलना करना इस समय सर्वथा घातक सिद्ध होगा। इससे देश की एकता खतरे में पड़ जायेगी।

हमें कनाडा और आयरलैंड को देखना चाहिए जहां दो राजभाषायें हैं और दोनों को समान स्थान प्राप्त है। इस विधेयक में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को राजभाषा मान कर एक उचित कदम उठाया गया है।

यदि हिन्दी भाषा का विकास करना है तो उसके लिये सीमित वातावरण नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी का उदाहरण सामने रख कर हिन्दी वालों को इस भाषा के विकास संबंधी उचित कदम उठाने चाहिएं। अन्य भाषाओं से भी शब्दों को अन्तर्ग्रहण करना चाहिए जैसे अंग्रेजी ने किया। यदि हिन्दी सभी प्रादेशिक भाषाओं से कुछ शब्दों को ग्रहण करेगी तो यह अधिक स्मृद्ध बन सकेगी। अधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी अधिक से अधिक लोगों के लिये स्वीकार्य हो तो हमें इसे अधिक गतिशील बनाना होगा और इसमें सजीवता लानी होगी।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस लैंग्वेज बिल का स्वागत तो करता हूं लेकिन साथ ही लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं जिनके कारण कुछ डर लगता है। मैं उन बातों को यहां कह देना मुनासिब समझता हूं।

अक्सर कहा जाता है कि हिन्दी फैनेटिक्स इस देश में हिन्दी का नाश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हिन्दी फैनेटिक किसको कहते हैं कौन हिन्दी फैनाटिक है। हां मैं एक लेंग्वेज फैनेटिक को जनता हूं जो अंग्रेज़ी लैंग्वेज का फैनेटिक है और वह मिस्टर एंथनी हैं। मैं उनको लेंग्वेज फैनेटिक समझता हूं। वह मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करेंगे, लेकिन ऐसा कहने के लिए मेरे पास प्रमाण हैं कि उनको फैनेटिक कहा जा सकता है।

जो हिन्दी को राजभाषा के रूप में देखना चाहते हैं वे तो वही बात कहते हैं जिसको कि संविधान में रखा गया है। उनको फैनेटिक क्यों कहा जाता है वह तो वही बात कहते हैं जिसको हम संविधान के द्वारा देश को देना चाहते हैं। यदि मैं कहूं कि देश में सोशल जस्टिस होनी चाहिए तो क्या यह उसको लादना समझा जाएगा। यह तो हमारे संविधान में है। हम तो संविधान की चीजों को मान्यता देना चाहते हैं। चूंकि हिन्दी १५ वर्ष के बाद राजभाषा होने वाली थी इस वास्ते हमने अक्सर इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। यह दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने अपने काम में फेल किया, गवर्नमेंट ने अपना काम ठीक से नहीं किया। और इसी कारण आज यह भाषा का विवाद फिर आ गया है। अगर गवर्नमेंट चाहती कि १५ वर्षों में हिन्दी अधिक से अधिक फैले तो वह ऐसा कर सकती थी लेकिन गवर्नमेंट ने किया नहीं।

जिस समय संविधान में हिन्दी राज भाषा रखी गई उस वक्त किसी पर कोई दबाव नहीं था, इसको न भी माना जा सकता था, या अंग्रेज़ी या किसी दूसरी भाषा को राजभाषा रखा जा सकता था। लेकिन लोगों ने संविधान बनाते समय समझा कि अगर हम को हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट और हिन्दुस्तान की सरकार बनानी है, विदेशी पार्लियामेंट और विदेशी सरकार नहीं बनानी है, तो हमको हिन्दुस्तान की किसी भाषा को राजभाषा रखना जरूरी है और सब बातों को सोच कर ही हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया। अब चूंकि सरकार चूक गई और उसने हिन्दी का काम ठीक से नहीं किया, इसलिये यह विवाद फिर शुरू हो गया।

यह विवाद किस तरफ से आता है। तीन तरह के लोगों की तरफ से यह विवाद आता है। पहले तो वे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि इस देश में अंग्रेज़ी लदी रहे जैसे मिस्टर फ्रेंक एंथनी और उनके दो चार दस साथी हैं। ये लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी ही यहां की मातृभाषा हो सकती है या मातृ भाषा होनी चाहिये ये लोग नहीं चाहते कि अंग्रेज़ी के सिवा देश में किसी और भाषा को चयाला जाये।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

कुछ लोग साउथ को दोष देते हैं। मैं नहीं समझता कि साउथ में कहीं इस बात का विरोध है कि हिन्दी राजभाषा न हो, लेकिन उनकी बात गलत तरह से कही जाती है। हां, बंगाल की लैजिस्लेटिव असेम्बली के लिए मुझे अफसोस है बंगला और हिन्दी तो मिली जुली भाषाएं हैं, उनकी वर्णमाला में बड़ी समानता है। बंगाल का विरोध मेरी समझ में नहीं आता। आप देखेंगे कि दक्षिण के चार राज्यों को छोड़ कर शेष राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, या बंगाल की भाषाओं का स्क्रिप्ट करीब करीब हिन्दी से मिलता जुलता है। थोड़ा सा इधर उधर फर्क है। और अगर आप इन प्रान्तों में से किसी में दस दिन भी रहें तो आप वहां की बोलचाल को समझ सकते हैं। केवल दक्षिण के चार राज्यों के लिए यह नहीं कहा जा सकता। दक्षिण की भी चार भाषाओं में से दो भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। उन भाषा वालों को भी हिन्दी की वजह से कोई अधिक कठिनाई नहीं हो सकती।

जो लोग हिन्दी को नहीं चाहते वे तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पार्लियामेंट की आफिशियल लैंग्वेज कमिटी की जो रिपोर्ट है उसमें मैंने फ्रैंक एंथनी साहब का नोट आफ डिसेंट पढ़ा है। मुझे ताज्जुब होता है कि श्री एंथनी जैसे विद्वान आदमी का दिमाग इस प्रकार की गलत बातों की ओर कैसे चला गया। उन्होंने गलत बातें रखीं। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में हिन्दी जानने वाले आधा परसेंट हैं और अंग्रेजी जानने वालों से हिन्दी जानने वाले कम हैं। मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि अपने आरग्यूमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह आदमी का दिमाग कलर्ड हो जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपैलिटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि उरदू को न रखा जाए और हिन्दी को रखा जाए और इस सबन्ध में उन्होंने लिखा है :

> "हिन्दी भाषी राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों का आत्मसम्मान से रहना असम्भव हो रहा है। दिल्ली निगम की भाषा समिति का निर्णय कि उर्दू शब्दों का हिन्दी में प्रयोग न किया जाय उर्दू के प्रति घृणा का द्योतक है।"

यह एकदम गलत बात है। ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया लेकिन अपने आरग्यूमेंट को पुष्ट करने के लिए उन्होंने यह बात लिख दी। यदि आप उनका समूचा नोट आफ डिस्सेंट पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उन्होंने हिन्दी और नान हिन्दी वालों को लड़ाने के लिए तर्क दिए हैं मेरे पास समय नहीं है कि मैं वह सारा नोट पढ़ कर सुना सकूं लेकिन आप पढ़े तो देखेंगे कि यह देश के लोगों को लड़ाने के लिए लिखा गया है। एक तो इस प्रकार के लोग भी हैं जो कि हिन्दी को नहीं चाहते।

दूसरे लोग जो हिन्दी नहीं चाहते वे वे लोग हैं जो कि समझते हैं कि आज हिन्दी को लाना प्रैक्टिकल नहीं है। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं उनकी बात मानता हूं। मैं समझता हूं कि जब हिन्दी को हम लोग राज भाषा हिन्दी प्रांतों में नहीं बना सके, वहां उन लोगों को डिफिकल्टीज़ हुई और सब काम वहां हिन्दी में नहीं कर सकते हैं तो उन प्रान्तों में जहां कि हिन्दी मातृभाषा नहीं है उन में तो और दिक्कत होगी। इसलिए जो प्रान्त हिन्दी नहीं जानते हैं और जो अंग्रेजी में बराबर काम करते आये हैं उन लोगों के लिए छूट होनी चाहिए। इसलिए संविधान ने १५ साल का समय दिया था। १५ साल का समय इसीलिए दिया गया था कि यदि ५ वर्ष का भी लड़का हो और यह हिन्दी पढ़ना शुरू करे तो वह भी १५ वर्ष के भीतर हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ सकता है और वह सरकारी कामकाज हिन्दी में भली प्रकार कर सकता है। १५ वर्ष का समय जो संविधान में रखा गया था वह फिजल में हो नहीं रखा गया था। जो

लड़के अभी पाठ्यक्रम शुरू करते हैं, जो अभी हिन्दी की क, ख, ग, घ शुरू करेंगे, उनको हिन्दी पढ़ाई जाये तो वह १५ वर्ष में हिन्दी का समुचित ज्ञान हासिल कर सकते हैं जिससे कि हिन्दी में वे अपना कामकाज कर सकें। हिन्दी के शिक्षण और प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार ने अवहेलना बर्त्ती और राज्य सरकारों ने भी उस की अवहेलना की और इस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं उन की दिक्कत को समझता हूं और आज वस्तुस्थिति यह है कि अभी कुछ दिन और अंग्रेज़ी को हमें चलाना चाहिए।

हिन्दी का विरोध वे लोग भी करते हैं जो कि नौकरियों में बैठे हुए हैं, या जिनको कि नौगरियों की फिक्र है। राजाजी ने तो साफ़ कहा था कि हिन्दी के आजाने से दक्षिण के लोगों को नौकरियों में कम जगह मिलेगी। मैं मानता हूं कि उन की आशंका किसी हद तक सही हो सकती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की सर्विसेज़ को उठा कर देखें तो मालूम होगा कि दक्षिण के लोग उस में बहुत अधिक हैं। वे इसलिये अधिक हैं कि वे हम लोगों से अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं। चूंकि कलकत्ते, मद्रास वगैरह में अंग्रेज पहले आये, उन का पहले अंग्रेज़ी से टच हुआ, कुछ अंग्रेज़ी ज्यादा सीख गये। इसलिये जब अंग्रेज़ी में परीक्षा होती है तो नेचुरली उनको ज्यादा जगह मिलती है। हम को कोई ग्रज नहीं कि उनको ज्यादा जगहें क्यों मिलती हैं लेकिन जो महज़ नौकरियों की बिना पर हिन्दी को अपोज़ करते हैं वे देश के साथ घात करते हैं। यदि यह मनोवृत्ति है तो आप कोटा सिस्टम कर दीजिये कि इतनी जबहें अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए सुरक्षित रहेंगी। हिन्दी का पेपर कम्पलसरी हो, अंग्रेज़ी भी हो लेकिन जो अहिन्दी भाषा भाषी लोग हैं उन की नौकरियां इसी कदर सुरक्षित रहेंगी। आप भले ही वर्त्तमान आंकड़ों पर यह व्यवस्था कर दीजिए, मुझे कोई उत्र नहीं होगा लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरह जो कि नौकरियों के कारण हिन्दी का विरोध करना चाहते हैं, उनका विरोध इस तरह से ही खत्म हो जाये।

हिन्दी का विरोध वह लोग भी करते हैं जो कि समझते हैं कि अंग्रेज़ी हट जाने से हमारी मिलकियत छिन जायगी। जो डौमिनेशन उन्होंने लोगों पर किया हुआ है वह हट जायेगा और उनकी मिलकियत छिन जायेगी, इस तरह के ही लोग उसका विरोध करते हैं। अब किया क्या जाय ? बिल ठीक है लेकिन बिल में एक ग़लत बात यह है कि उसमें टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया जा रहा है मेरा तो कहना है कि आज जो लड़के जन्म लेते हैं उनको यदि आप हिन्दी पढ़ाने की कोशिश कीजिये तो २० वर्ष के बाद सब लोग अच्छे तरीके से हिन्दी पढ़ सकेंगे। इसलिए हिन्दी के लिए २० वर्ष की लिमिट कर दी जाय तो भी ठीक रहेगा। आप इस को अनिश्चित काल के लिए छोड़ देते हैं यह ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं उन पर यह लादी जाय लेकिन यदि मन हो तो वे इसे आसानी से सीख सकते हैं। यदि उन के मन में हो कि हिन्दी राजभाषा हो तो आप इसके लिए कोई टाइम लिमिट २० वर्ष आदि को रख सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था रहने से आज जो जन्म लेने वाला बालक है वह भी २० वर्ष बाद हिन्दी पढ़ जाएगा और तब हिन्दी लागू कर दी जाय। इसलिए मेरा विचार है कि हिन्दी लागू करने के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स करना ज़रूरी होता है।

मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं। हमारी १४ राष्ट्रभाषाओं में १२, १३ राष्ट्रभाषाएं ऐसी हैं जो कि संस्कृत से निकली हुई हैं और जिनकी कि स्क्रिप्ट को छोड़ कर फोनोटिक्स और ऐलफैबेट एक है। उन की एक स्क्रिप्ट बना दीजिए। एक स्क्रिप्ट सारे देश के लिए बना दीजिए तो सब लोग सब लैंग्वेजेज़ पढ़ लेंगे . . .

एक माननीय सदस्य : रोमन स्क्रिप्ट कर दीजिए।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आप देश के बाहर की चीज को ही लेंगे क्योंकि राष्ट्रीय भावना आप में पनपी नहीं है इसीलिये आप को रोमन स्क्रिप्ट करने की बात सूझती है। जो चीज हिन्दुस्तान की नहीं है उस को लेने की बात आप करते हैं।

मैं तो कहूंगा कि यह जितनी भी संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं उन की एक स्क्रिप्ट तैयार कर दीजिये। मैं इस के लिय यह भी मान लूंगा कि हिन्दी में जरा इस के लिए इधर उधर चेंज करना हो तो वह भी करना मान लिया जाय। सब की एक स्क्रिप्ट कर देने से ही सब भाषाओं की समस्या किसी हद तक हल हो जायगी और इस तरह लोग सभी भाषायें पढ़ सकते हैं।

जैसा मैं ने कहा नौकरियों में एक परसेंटेंज रख दिया जाय नहीं तो यह काम चलने वाला नहीं है। आज जितने माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया है सबों की इस बारे में एक राय है कि हमारी एक राज भाषा होनी चहिये। अभी श्री एन्थोनी नहीं बोले हैं, संभव है उन की दूसरी राय हो .....

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी श्री एन्थोनी को बुलाने वाला हूं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : अभी तक जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन सभी लोगों ने यह कहा है कि एक राज भाषा होनी चाहिये और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। मैं तो यहां तक आगे जाने वाला हूं कि अगर्चे हिन्दी से आप लोगों को कोई नफरत हो तो उस के स्थान पर कोई दूसरी राजभाषा बना दीजिय लेकिन कोई भारतवर्ष की ही मातृभाषा राजभाषा बनाइये। किसी भी सूरत में इस देश की राजभाषा अंग्रेजी नहीं होनी चाहिये।

दूसरे डी० एम० के० पार्टी के लोगों को हिन्दी से चिढ़ है। अब उन को तो भारतवर्ष से ही चिढ़ है और वे हिन्दुस्तान से ही अलग होना चाहते हैं इसलिए उन की बात मैं नहीं कहना चाहता। इसलिए उन के विरोध को मैं कोई विरोध नहीं समझता लेकिन जो लोग हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, हिन्दुस्तान की एकता में विश्वास करते हैं, उन के लिए मैं कहूंगा कि आप सब मिल कर बैठिये और भाषा की समस्या पर शांतिपूर्वक विचार विमर्श कीजिये। अगर यहां की राजभाषा हिन्दी नहीं होती है तो उस के स्थान पर कोई दूसरी देशी मातृभाषा राज भाषा बना दीजिये लेकिन अंग्रेजी को इस देश में राजभाषा नहीं रहना चाहिए।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने मुझे हठधर्मी बताया इसलिए मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। संविधान सभा में मैं ने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के बारे में प्रस्ताव किया था और यह भी कहा था कि पांचवी श्रेणी से यही शिक्षा का माध्यम होना चाहिये। उस से यह सिद्ध नहीं होता कि मैं हठधर्मी हूं। परन्तु कुछ वर्षों से मुझे बहुत कटु अनुभव हुआ है। मैं ने प्रधान मंत्री को कहा कि आप हिन्दुस्तानी को क्यों नहीं मानते . . . (**अन्तर्बाधा**) गांधी जी समझते थे कि हिन्दी हिन्दुओं के हाथों में साम्प्रदायिक का रूप धारण कर लेगी और उस द्वारा अल्पसंख्यकों का दमन किया जायगा।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** (गुना) : एक औचित्य प्रश्न है। माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह हिन्दी की आलोचना करें परन्तु यह धारणा प्रकट करना कि जो हिन्दी के पक्ष में हैं वह साम्प्रदायिकता के पक्ष में हैं गलत है क्योंकि इसे संविधान में स्वीकार किया गया है . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में औचित्य संबंधी प्रश्न तो नहीं आता। आप केवल बोलने का अवसर प्राप्त करना चाहते थे।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं इस प्रकार बोलना आरम्भ न करता परन्तु मुझे चूंकि कुछ गलतफहमी के शिकार हिन्दी के अनुयायियों ने हठधर्मी कहा, इसलिये मैं उत्तर देना चाहता हूं . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : मैं इस पर आपत्ति करता हूं । वह कह रहे हैं कि गलतफहमी का शिकार हिन्दी के अनुयायी . . . . (**अन्तर्बाधा**) वह स्वयं गलतफहमी का शिकार हैं . . . . **अन्तर्बाधा**

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । बेशक कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगतीं परन्तु फिर भी हमें उन्हें शांतिपूर्वक सुनना है । हमें सहनशीलता दिखानी चाहिये ।

†**श्री अ० प्र० शर्मा** (बक्सर) : यह कहना गलत है कि हिन्दी साम्प्रदायिकता की द्योतक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । वह कह रहे हैं कि उन्हों ने प्रधान मंत्री के पास प्रतिनिधित्व किया था । वह इस की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु वह कहते हैं कि उन्हें हठधर्मी कहा गया । मैं उन्हें भी कहूंगा कि वह अधिक संयम से काम लें ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं इस विवाद में न पड़ कर अब सीधी विधेयक की चर्चा करूंगा ।

मैं ने इस विधेयक को परिचारित करने के लिये कई कारणों से कहा । एक कारण यह है कि इस विधयक को तैयार करते समय वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा गया और यह हिन्दी के अनुयायियों के प्रभाव में आकर तैयार किया गया है । परन्तु इस विषय में अहिन्दी भाषी लोग जो ८० प्रतिशत हैं . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : यह गलत है कि अहिन्दी भाषी ८० प्रतिशत हैं ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय गणराज्य में सब से बड़ी राजनीतिक गप यह है कि हिन्दी भाषी ४० प्रतिशत हैं । गत वर्ष १९५१ की परिगणना में उर्दू, पंजाबी और राजस्थानी भाषी लोगों को भी हिन्दी भाषी बता कर हिन्दी भाषियों की संख्या ४० प्रतिशत बताई गई ।

विधेयक को पुरःस्थापित करते समय हिन्दी के घोर अनुयायियों की ओर से जो सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया गया वह अत्यन्त लज्जाजनक, अशिष्ट और अश्लील था . . . . (**अन्तर्बाधा**)

इस विधेयक पर विचार करने का अवसर अहिन्दी भाषी राज्यों में से किसी को नहीं मिला । मद्रास और बंगाल के मुख्य मंत्री भी उस से अनभिज्ञ हैं । उन राज्यों में इस विधेयक के बारे में पूर्ण अज्ञानता पाई जाती है ।

†**श्री हनुमन्तैया** : यह **हिन्दू** समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह गजेट में भी प्रकाशित हुआ था ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : परन्तु उन्हें इस पर विचार करने के लिये अधिक समय नहीं मिला । लोकतन्त्रात्मक शिष्टता का ध्यान रखते हुए ऐसे विधेयक को, जिस के ऐसे परिणाम निकलते हैं, और जिस से अहिन्दी भाषी राज्य प्रभावित होते हैं, विधान सभाओं को निर्दिष्ट करना चाहिए था । क्योंकि इसे इस प्रकार शीघ्रता से पारित करने की चेष्टा की जा रही है इसीलिये मैं ने इसे परिचारित करने के लिये कहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक अन्थनी]

यह तर्क दिया गया है कि स्थगित करने से हिन्दी आन्दोलन को रियायत मिलेगी। हिन्दी के समर्थक अनिश्चित काल के लिये इसे स्थगित करना चाहते हैं। ताकि नेहरू जी के गद्दी से उतरने के पश्चात् हिन्दी समर्थक अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी को लाद सकें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं केवल अगले सत्र तक के लिये इसे स्थगित करवाना चाहता हूं ताकि अहिन्दी भाषी जनता को सोचने का अवसर मिले। किन्तु सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है।

१६५६ में मैं ने अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पेश किया था। तब लोगों में बड़ी घृणा की भावना थी और दूषित वातावरण को देख कर प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप किया। तब उन्होंने अहिन्दी भाषी लोगों को आश्वासन दिया कि जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे, अंग्रेजी सखी भाषा बनी रहेगी। उस के एक महीने बाद पंत जी ने सभा में संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की और मैं ने एक संशोधन विचारार्थ पेश किया। जिस के द्वारा प्रधान मंत्री के आश्वासन की क्रियान्विति की व्यवस्था होनी थी। किन्तु हिन्दी के समर्थकों ने इसे दबा दिया। कांग्रेस के अन्दर भी जो हिन्दी के समर्थक हैं वे प्रधान मंत्री के आश्वासन को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। वे प्रधान मंत्री से प्यार भले ही करते हैं, किन्तु उन के सूत्र से प्यार नहीं करते। उन की हिम्मत नहीं कि नेहरू जी के सामने विरोध करें, परन्तु पीछे उन के आश्वासन को जान बूझ कर तोड़ते हैं।

डा० गोबिन्द दास मुझे दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय उन्हों ने प्रधान मंत्री के आश्वासन को स्वीकार किया था। परन्तु अब वह उस आश्वासन का समर्थन करते हैं या नहीं, यह सन्देह का विषय है।

परन्तु गृह-कार्य मंत्री ने इस रिपोर्ट को पेश करते हुए प्रधान मंत्री के आश्वासन का कोई उल्लेख नहीं किया। तब प्रधान मंत्री ने लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिये ४ सितम्बर को अपना आश्वासन दोहराया, परन्तु फिर वे हिन्दी के समर्थकों ने उसे नहीं माना।

इस विधेयक को लाने में भी विलम्ब हुआ। एक कांग्रेसी सदस्य ने मुझे कहा कि उन के दल के अन्दर हिन्दी के लोग आन्दोलन कर रहे हैं अतः मुझे समझौता करने को कहा गया। मैं ने उन की बात को नहीं माना। तब गृह-मंत्री पर दबाव डाला गया और यह विधेयक लाया गया।

वे "सहयोजित" के स्थान पर "अतिरिक्त" लाना चाहते हैं। वे नेहरू सूत्र में अनिश्चित काल को नहीं मानते, और इस मामले को अहिन्दी भाषी लोगों पर नहीं छोड़ना चाहते।

शास्त्रीजी ने मुझ से परामर्श भी नहीं किया और एक दम इस विधेयक को ले आये और जो बातें हिन्दी समर्थक चाहते हैं उन को विधेयक में स्थान दे दिया। कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा के बारे में निष्पक्ष नहीं रह सकता और शास्त्री जी भी नहीं रहे।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (महासमन्द) : क्या कांग्रेसी सदस्य उनके पास किसी अधिकार से आया था, या अपनी इच्छा से ?

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : वह कांग्रेस का मान्य व्यक्ति था। हिन्दी साम्राज्यवाद पनप रहा है। हिन्दी और अंग्रेजी की तुलना में लोग अंग्रेजी को अपनाते है, क्योंकि हिन्दी के अध्ययन से समय नष्ट होता है। (**अन्तर्बाधायें**)।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा** : क्या वह किसी अहिन्दी भाषी क्षेत्र के हैं जो वहां के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधान करना चाहते हैं ?

†**श्री जोकीम अल्वा** (कनारा) : मा० सदस्य ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे संसदीय भाषा नहीं कहा जा सकता । किसी सदस्य पर 'उद्देश्य का बहाना' का आरोप नहीं लगाया जा सकता ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : क्या अपने आप को गाली दे कर दूसरे का गाली देना उचित है ?

श्री राम सेवक यादव : श्री एंथनी का यह रवैया गलत है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : हिन्दीवालों का यह तर्क है कि प्रधान मंत्री ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया और उनका यह अर्थ नहीं था। यह प्रधान मंत्री के प्रति अन्याय है । क्योंकि प्रधान मंत्री ने श्री सम्पत्त को लिखा था कि हमारी सरकार लोक सभा में दिये गये मेरे आश्वासन से पीछे नहीं हटती । अतः हिन्दी वालों का तर्क गलत है कि आश्वासन नहीं दिया गया।

हिन्दी वालों का यह तर्क, कि प्रधान मंत्री ने 'मैं' शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ 'होगा' नहीं होता, बेकार है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : मा० सदस्य अनेकानेक आरोप सदस्यों पर लगाते जा रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : 'मैं' शब्द का अर्थ 'होगा' होता है, इस विधेयक के प्रसंग में यह विधेयक एक पंक्ति का होना चाहिये कि अंग्रेजी सखी वैकल्पिक भाषा होगी । अवधि नियत नहीं की जानी चाहिये थी। मैं ने संशोधन दिये कि प्रधान मंत्री के आश्वासन को कार्यान्वित किया जाए। परन्तु क्योंकि उनके आश्वासन को कार्यान्वित करने का इरादा नहीं था, अतः उसे स्वीकार नहीं किया गया। बल्कि हिन्दी को निर्बाध रूप से लादने का उपाय किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाषा संसदीय होने के साथ साथ असभ्य या असुन्दर नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी प्रथाएं बनानी चाहियें । मा० सदस्य जिन विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उन को समझने में असमर्थ हूं। किन्तु मैं उनके विशेषणों की सराहना नहीं कर सकता।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : अहिन्दी भाषा लोग इस उपबन्ध "हिन्दी के अतिरिक्त" को समझने में असमर्थ हैं । इस प्रकार १९६५ में निर्बाध रूप से हिन्दी लादी जाएगी। उस संसदीय समिति ने भी इतना बुरा नहीं किया था, जिस ने पक्षपात से काम किया था। उनके मतानुसार १९६५ के पश्चात् भी हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रयोग करने के लिये हिन्दी पूर्णतः विकसित नहीं होगी । परन्तु दस वर्षों की अवधि में, प्रधान मंत्री नेहरू के न रहने पर सत्यनारायण सिंह जैसे हिन्दी प्रेमी हिन्दी को सब कामों के लिये लाद देंगे।

खण्ड ४ जान बूझ कर रखा गया है कि हिन्दी का धीरे धीरे प्रयोग होना चाहिये । और इसके द्वारा १० वर्षों बाद अंग्रेजी को हटा दिया जायेगा।

खण्ड ६ और ७ हिन्दी अनुवादों को लागू करने के हैं। शिष्टता के नाते भी राज्यों को विधान सभाओं से इस के बारे में पूछा जाना चाहिये था। गृह-कार्य मंत्री को इसे शरद सत्र तक के लिये स्थगित कर देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है कि हमारे एंथनी साहब हिन्दी के खिलाफ हैं। वह नामिनेटेड मेम्बर हैं और इसलिए उनके आइडियाज भी नामिनेटेड हैं। मैं इतनी दरखास्त जरूर करूंगा कि भाषा एक अहम विषय है और इस पर कम से कम मुझे आधा घंटा दिया जाए। यह हिन्दुस्तान के ४४ करोड़ इंसानों की जिन्दगी और मौत का सवाल है।

मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिए बिल्कुल मुबारकबाद नहीं दे सकता कि वह इस वक्त इस बिल को लाए। अगर माननीय गृह मंत्री जी चाहते तो १५ साल की अवधि में देश का एक एक बचा हिन्दी सीख सकता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझ जैसे मन्द बुद्धि आदमी को अगर माननीय गृह मंत्री जी गुरु बन कर लैटिन, फ्रेंच, अरबी, फारसी आदि किसी भी भाषा की शिक्षा दें तो मैं ६ महीने में उस जबान को सीख सकता हूं। और अगर मैं ऐसा न कर सकूं तो मुझे यहां से निकाल बाहर कर दिया जाए। तो जब मेरे जैसे मन्द बुद्धि सीख सकता है तो क्या गृह मंत्री जी के आई० सी० एस०, आइ० ए० एस० और पी० सी० एस० अफसर हिन्दी नहीं सीख सकते थे। यह गवर्नमेंट का कुसूर है कि उसने ऐसा नहीं किया, और अब बजाए अपने कुसूर के लिए पश्चाताप करने के वह यह बिल लाए हैं जिसको कि इस समय पर लाना बिल्कुल नामुनासिब है। इसको आज सिर्फ इसलिए लाया गया है कि जनता सरकार से यह न पूछे कि डिफेंस में क्या हो रहा है और उधर से अपनी दृष्टि हटा कर भाषा के प्रश्न की ओर लगा ले। और इस प्रकार भाषा के मसले में उलझ जाए। यह देश की आजादी का सवाल है। मुझे इस सम्बन्ध में आयरलेंड के नेता श्री डिवेलरा का एक कथन याद आता है। उन्होंने कहा था कि अगर तराजू के एक पलडे में मेरे देश आयरलेंड की आजादी हो और दूसरे पलड़े में मेरी मातृभाषा हो तो मैं उस पलड़े की ओर झुकूंगा जिसमें मेरी मातृभाषा है न कि उस पलड़े की तरफ जिसमें कि मेरे देश की आजादी है, क्योंकि मेरी मातृभाषा कायम रहेगी तो देश की आजादी भी वापस आ जाएगी, अगर मेरी मातृभाषा कायम नहीं रही तो देश की आजादी भी कायम नहीं रह सकेगी।

इन १५ सालों का इतिहास कांग्रेस सरकार की पराजय का इतिहास रहा है। वह देश के सामने कोई आइडियल नहीं रख सकी। और यह केवल भाषा का ही मसला नहीं है जिसमें सरकार को यह स्थिति रही हो कि हर मसले में यही स्थिति रही है, चाहे वह काश्मीर का मसला हो, चाहे इवेक्युयी प्रापर्टी का मसला हो या कोई और मसला हो, कांग्रेस सरकार का इतिहास पराजय का इतिहास रहा है। यह केवल भाषा का ही सवाल नहीं है। देश की रक्षा के मामले में सरकार बुरी तरह फेल हुई है। एक भी मामले में गवर्नमैंट को कामयाबी नहीं हुई। मिर्जा गालिब के शब्दों में :—

बूए गुल नालाए दिल दूदे चिराग़े महफिल,
जो तेरी बज्म से निकला वो परीशां निकला।

मेरा दावा है कि अगर हमारे माननीय गृह मंत्री और सरकार चाहती तो इन १५ सालों में देश का एक एक नागरिक हिन्दी सीख सकता था लेकिन सरकार ने चाहा नहीं। आज सरकार अपनी नाकामयाबी पर परदा डालना चाहती है और यह नहीं कहती है कि हमारी इन-एफीशेंसी रही है, और हम से एक बड़ी भारी भूल हो गयी है, बल्कि उस चीज को एक नए रूप में ला कर देश पर अंग्रेजी लादना चाहती है। लेकिन जनता आज इतनी भोली नहीं रह गयी है कि इन बातों में आ जाए। मैं आज यहां आप से हिन्दी की रक्षा

की भीख नहीं मांगता । हिन्दी की रक्षा करने के लिए हमारे बाहुओं में बल है, अपने संविधान की रक्षा करने का हमारे जज्बात में बल है । लेकिन सरकार को नेक रास्ता दिखलाना हमारा कर्त्तव्य है । अगर आज यह बिल न लाया जाता तो हिन्दुस्तान की जनता में जो एकता की गंगा बह रही थी, जनता में प्रेम का जो दरिया उमड़ रहा था, उसको धक्का न लगता । आज उस एकता और प्रेम को खंडित करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह ४४ करोड़ इन्सानों की जबान का सवाल है । जिस संविधान को पूरा करने के लिए हम ने तीन तीन बार शपथ उठायी है, उसी को आज हम पूरा नहीं कर रहे है। क्या संसार में कोई ऐसा अभागा देश है कि जिसको स्वतंत्र हुए १५–१६ साल हो गए हों और वहां का काम दूसरे मुल्क की जबान में चल रहा हो। ऐसा कोई भी बदकिस्मत मुल्क दुनिया में न होगा।

हमसे कहा जाता है कि अंग्रेजी नहीं रहेगी तो टैकनालाजी कहां से आएगी, अगर अंग्रेजी नहीं रहेगी तो नव विज्ञान कहां से आएगा। मैं पूछता हूं कि रूस के एक बेटे ने भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने स्पूटनिक को ला कर जमीन पर कैसे खड़ा कर दिया। रूस के एक बेटे ने भी गुलामी की भाषा को नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने जमीन पर राकेट को ला कर रख दिया। वे लोग चांद तक पहुंच गए। अगर हमारी सरकार चाहती तो १५ सालों में हिन्दी का समुद्र उडेल सकती थी, सरकार चाहती तो इस अवधि में हिन्दी के लाखों ग्रंथ लिखे जा सकते थे। और उसको आज यह बिल लाने की जरूरत न होती।

मेरी दरखास्त है कि इस मामले में सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। मैं आज सरकार से हिन्दी की रक्षा की भीख नहीं मांगता । हम उसकी रक्षा करने में समर्थ हैं। हम बैल की जोड़ी के प्रताप से यहां नहीं आए । लाखों इंसानों के दिल और दिमाग ने हमको वोट दिया है । वे लाखों इंसान जानना चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा के मामले म सरकार ने क्या किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज श्री पुरुषोत्तम दास टंडन यहां होते तो क्या सरकार इस बिल को ला सकती थी, अगर आज महात्मा गांधी जीवित होते तो क्या सरकार इस विल को ला सकती थी? अगर सरदार पटेल आज होते तो क्या सरकार इस बिल को ला सकती थी ? अगर राजेन्द्र बाबू आज होते तो क्या सरकार इस बिल को ला सकती थी। आज सूना देख कर सरकार जनता के हुकूक पर आक्रमण कर रही है । मैं सरकार से हिन्दी की रक्षा की भीख नहीं मांगता। कोटि कोटि देश की जनता इसकी रक्षा करेगी, मेरे जैसे सिपाही हिन्दी की रक्षा करेंगे, लेकिन सरकार को नेक रास्ता दिखाना हमारा काम है । माननीय गृह मंत्री जी एक टीचर हैं जिनके चरणों में बैठ कर हजारों नौजवानों ने शिक्षा पायी है । इसलिए मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उन से कहूं :

स किं सखा सधु न शास्ति योधिपम्,
हिताभ्र यः संश्रृणुते स किं प्रभुः

मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उनको नेक रास्ता दिखलाऊं । उनको देश की भाषा हिन्दी का विरोध करना शोभा नहीं देता। मैं तो कहता हूं कि मुझे देश की किसी भी भाषा से विरोध नहीं है, चाहे वह बंगला हो, चाहे वह गुजराती हो, चाहे उरदू हो चाहे गुरमुखी हो। इस देश की जो भाषाएं हैं उन से मुझे कोई ऐतराज नहीं है । मैं उन सब भाषाओं की इज्जत करता हूं और उनके लिए अपने प्राण दे सकता हूं। साथ ही साथ मैं

[श्री यशपाल सिंह]

बंगाल के मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बंगाल से अंग्रेजी भाषा को बाहर कर दिया और ९ मई से बंगाल का सारा काम काज बंगला भाषा में होगा।

देश की कोई भी भाषा हो मुझे उसके प्रति आदर है। लेकिन आज के जमाने में जब कि दुनिया प्रकाश की ओर बढ़ रही है, आज जब कि आदमी चन्द्रमा जाने का प्रयत्न कर रहा है, उस जमाने में एक बोसीदा जबान को हमारे ऊपर लादा जा रहा है, जिस जबान को जरमनी ने निकाल बाहर किया, जिसको आयरलैंड ने निकाल बहार कर दिया, जिसको चीन ने निकाल बाहर कर दिया, जिसको रूस ने निकाल बाहर कर दिया वही हमारे, ऊपर लादी जा रही है। हमें हिन्दी के लिए अभिमान है। हमने हिन्दी को संविधान में यह बात सोच कर ही रखा था। अगर आज देश में हमारी भाषा होती और अंग्रेजी न होती तो चीन की इतनी हिम्मत न होती कि वह हम पर हमलाआवर होता।

अध्यक्ष महोदय : अब आप आगे कल जारी रखें।

अनिवार्य जमा योजना विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २२ अप्रैल, १९६३ के श्री मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में अनिवार्य जमा और तत्सम्बन्धी योजना बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : इस योजना में वित्त मंत्री द्वारा किये गये सुधारों का स्वागत है, किंतु और कई सुधारों की आवश्यकता भी है।

बचत तथा बीमा में साझा आधार होता है और अनुभव से हम देख रहे हैं कि लोक बीमा को अधिक पसन्द करते हैं, अतः बचत की जगह बीमा को अधिमान दिया जाना चाहिये। इससे सरकार को भी लाभ होता है क्योंकि बीमा की राशि बीस वर्ष में लौटानी पड़ती है और ब्याज भी कम देना पड़ता है बजत योजना की तुलना में। यदि वह अनिवार्य बीमा योजना जारी करते तो जनता में उसका विरोध कम होता।

बीमा तथा भविष्य निधि में दी जाने वाली राशि अनिवार्य बचत योजना के अंशदान में से कम कर दी जानी चाहिये।

इस योजना के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों द्वारा इसकी स्वीकृति की बात कर के राज्यों के विधान मंडलों को इस के विरुद्ध आन्दोलन का अखाड़ा बना दिया गया है किन्तु उन में इस योजना पर चर्चा भी नहीं होगी। इस के बारे में जनता का मत मालूम करना अत्यन्त आवश्यक है।

किसानों के बारे में ५ रुपये तक लगान वालों को रियायत दी गई है। किन्तु जो लोग ६ रुपये लगान देते हैं उन्हें ३ रुपये लगान देना पड़ेगा। यह क्या बात है। वे लोग

†मूल अंग्रेजी में

३ रुपये का राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीद कर पटवारी को दिखा कर उस से बच जायेंगे। देहातों में तो यह योजना कर का रूप धारण करेगी। अतः इस के स्थान बिना डाक्टरी परक्षी ५०० रुपये की बीमा की योजना होनी चाहिये ताकि छोटे किसान उस में भाग ले सकें।

सम्पत्ति वाले वर्गों के लिये वित्त मंत्री कई रियायतें दे चुके हैं, किन्तु जिन लोगों का एक घर अपने रहने के लिये होता है, जो नगरपालिका आदि को कर देते हैं, उन पर अनिवार्य बचत योजना भार होगा, अतः उनको भी रियायत दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री करुथिरमण** (गोबीचेट्टिपलयम) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। किंतु किसानों को इस से मुक्ति मिलनी चाहिये क्योंकि वे बचाने की स्थिति में नहीं हैं।

देहाती क्षेत्रों में १० एकड़ सिंधी गीली भूमि वाले किसान और मध्यम वर्ग के लोग १५०० रुपये वार्षिक भी नहीं कमाते, फिर उनको लगान की किश्त का ५० प्रतिशत तक देने को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। किसानों के लिये जब उन की फसल का निम्नतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो खेती की लागत से बहुत अधिक नहीं होता, तो वे वहां से बचा सकते हैं। २५० रुपये से अधिक किश्त देने वालों को अनिवार्य बचत में लाना चाहिये उससे कम लगान वालों को नहीं।

मद्रास में किसानों के लिये ऋण राहत अधिनियम है, जिस से उन पर ऋण ग्रस्तता का पता चलता है। यदि उन को ऋण ले कर जमा करना पड़े, तो क्या हम उनकी सहायता करेंगे? बल्कि हम तो उल्टी बात कर रहे हैं।

खेती की बचत को लोग अपनी भूमि को सुधारने में लगाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से उन नगरों को ही लाभ हुआ है। किसानों की दशा दयनीय है, किसी ने पक्का मकान नहीं बनाया, ऋण बढ़ते जा रहे हैं और भूमि का विभाजन भी होता रहता है। यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उनसे अनिवार्य बचत लेने के स्थान पर उनकी सहायता करनी चाहिये। ७० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। यदि शहरी जनता पर इस योजना में शोधन कर दिया जाए तो ४० करोड़ के स्थान पर १०० करोड़ रुपये जमा हो सकते हैं किसान बिल्कुल बचाने की स्थिति में नहीं अतः उनको इस बचत योजना में नहीं लाना चाहिये।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : यह अनिवार्य बचत योजना चूं चूं का मरब्बा है। किसानों को मजदूरों से अधिक आय नहीं होती। २५ रुपये तक लगान देने वाले किसान की आय ५०० रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होती। फिर वह कैसे अनिवार्य बचत योजना में धन दे सकता है?

१५०० रुपये वार्षिक बिक्री वाले दुकानदारों की वार्षिक आय ७५० रुपये से अधिक नहीं होती। जब वित्त मंत्री ने १२५ रुपये मासिक वाले कर्मचारियों को ही बचत के योग्य समझा है, तो वह कैसे उस से कम आय वाले किसानों और दूकानदारों पर यह बचत लागू करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशीराम गुप्त]

दिल्ली सचिवालय के ६० प्रतिशत कम वेतन वाले कर्मचारी ऋण ग्रस्त हैं। किसान लोग भी ऋणग्रस्त हैं। उन पर बचत का भार डालना उनको अधिक ऋणी बना देगा।

ऐसे संकटकालीन विधि न बना कर समाज सुधार की विधि का काम दिया गया है। वास्तव में यह लोगों को परेशान करने का तरीका है। लोगों पर दंड लगाने का उपाय है। फिर यह समाज सुधार का उपाय कैसे कहा जा सकता है? यह तो लोगों को परेशान करने का सरकार का तरीका है। अतः किसानों को सर्वथा इससे मुक्त कर दिया जाना चाहिये और वेतन वाले लोगों की आय सीमा कम से कम १८०० रुपये वार्षिक की जानी चाहिये।

दूकानदारों और मकान बना कर देने वाले लोगों को विशेष कठिनाई होती है। वे कुछ नहीं बचा पाते।

इन सब बातों का हिसाब वैज्ञानिक ढंग पर किया जाना चाहिये। केवल आय कर देने वाले लोग ही अनिवार्य जमा कर सकते हैं। या बड़े धन व सम्पत्ति वाले लोग कर सकते हैं। अथवा इस योजना से लाभ के स्थान पर लोगों को परेशानी ही होगी।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): यह योजना एक या दो वर्ष भी नहीं, नियमित रूप वाली दिखाई देती है जैसा कि वित्त मंत्री के वक्तव्य से प्रतीत होता है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस विधेयक से लोगों पर भार पड़ेगा मैं उन से कहना चाहता हूं कि यह भार कम से कम होना चाहिये।

मैं यह नहीं समझ सका कि उन्होंने यह कैसे निर्णय कर लिया है कि जो किसान ५ रुपये लगान देता है, उस पर कर लगाना चाहिये, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में ५ रुपये लगान वाली भूमियों से भिन्न भिन्न लाभ हो सकता है। इसलिए मेरे विचार में करारोपण का प्रस्ताव ५ रुपये लगान नहीं होना चाहिये, बल्कि भूमि से होने वाली एक न्यूनतम आय होनी चाहिये। जिन की आय उस सीमा से अधिक हो, उन से अनिवार्य जमा की आशा करनी चाहिये। यदि वे इस प्रकार की कसौटी रखें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करते हुए मैं वित्त मंत्री महोदय तथा वित्त मंत्रालय को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। खास तौर से हिन्दुस्तान के उस तबके के लोगों की तरफ से जिन को इंडस्ट्रियल वर्कर्ज़ कहा जाता है या जो देश के भिन्न भिन्न उद्योगों में काम करने वाले मज़दूर हैं।

माननीय बनर्जी जब कल इस बिल के सम्बन्ध में बोल रहे थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं उनका विरोध करना चाहूंगा और आज कर भी रहा हूं . . .

श्री स० मो० बनर्जी: वह तो पता ही था।

एक माननीय सदस्य: कल कैसे कह दिया था?

श्री अ० प्र० शर्मा: कल कहा था और आप से भी कहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय: समय गुज़रता जा रहा है। आप उस तरफ झगड़े में न पड़ जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं यह कह रहा था कि जिस समय हमारे देश में एमरजेंसी डिक्लेयर हुई उस वक्त हिन्दुस्तान की आम जनता की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया था और हिन्दुस्तान के मजदूर वर्ग की तरफ से काफी जोश भी दिखलाया गया था कि वे सभी पैसा सुरक्षा कोष में देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दिया भी। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह जो कम्पल्सरी सेविंग स्कीम की बात है, इसका आम तौर से वे लोग विरोध कर रहे हैं जो पैसे वाले हैं या फिर वे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने पहले तो मजदूरों की तरफ से इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन पास किया था और उसके जरिये से सब लोगों ने तय किया था, यह आश्वासन दिया था कि हिन्दुस्तान पर जो चीनी आक्रमण हुआ है, उसके खिलाफ हिन्दुस्तान के सारे मजदूर इकट्ठे हो कर हर तरह से देश के साथ हैं, सरकार के साथ हाथ बंटाने के लिए तैयार हैं, उसके सुरक्षा प्रयत्नों में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब काम करने का मौका आया तो बहुत सी जगहों पर इससे बिल्कुल उलट काम किया। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो मनोवृत्ति रही है, उसके यह चीज़ बिल्कुल अनुकूल है दो तरह के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, एक तो पैसे वाले लोग हैं और दूसरे कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के भाई हैं जो कि छिप छिप कर इस तरह का विरोध करते थे। सरकारी महकमों में बड़े बड़े अफसर जो हैं, जिन को काफी पैसा देना पड़ेगा अगर सारे के सारे मजदूर पैसे देते हैं, उन्होंने भी यह स्कीम सफलीभूत न हो, इसकी काफ़ी चेष्टा की।

मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कीम सदन के सामने है, खास तौर से मजदूर इससे काफ़ी खुश हैं। हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। इस में विवाद का कोई सवाल नहीं है। यह बिल्कुल साफ बात है कि मजदूर हर मौके पर कर्ज़ लेते हैं, इसलिये अगर यह कम्पलसरी सेविंग स्कीम लागू की जाती है और लोगों का कुछ पैसा बचता है जो पैसा कि उनको कुछ दिनों के बाद मिल भी जायगा तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात मजदूरों के लिये और कोई नहीं हो सकती है....

श्री स० मो० बनर्जी : कर्ज़ ले कर उनका गुज़ारा चलता है और इसके लिए भी उनको कर्ज़ लेना पड़ेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : कर्ज़ लेने का सवाल नहीं है। कल बनर्जी साहब ने कहा था कि एक परसेंट तो हम लोग दे रहे हैं। जब एक परसेंट लोग दे रहे हैं और कहीं कहीं एक दिन की तनख्वाह भी दे रहे हैं और कहीं कहीं उससे भी अधिक दे रहे हैं, तो उस सूरत में कर्ज़ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य ने कल कहा था कि मजदूरों का जहां तक सवाल है उनका वेतन, उनकी तनख्वाह, उनकी सेलेरी इतनी अधिक नहीं है कि उनका जो रोज़ का खर्चा है, वह भी चल सके और किस तरह से वे पैसे आज बचा कर देंगे। मैं समझता हूं कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, शायद मजदूरों की मनोवृत्ति का उन्हें आज कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। कल श्री अजित प्रसाद जैन ने एक कानूनी बहस के दौरान इस सदन में काफ़ी वाद-विवाद उठाया। ला मिनिस्टर के स्पष्टीकरण के बाद भी जो उन्होंने एक तरह की बहस की, उस से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, खास तौर से जब यह बतलाया गया कि इस बिल का मतलब कोई टैक्सेशन लोगों पर लगाना नहीं है, बल्कि इस का मतलब यह है कि लोग जो कुछ भी कमाते हैं उन में से कहां तक वह अपने हित के लिये खर्च करें और कहां तक देश के निर्माण के लिये खर्च करें। सभी लोगों की आमदनी के एक हिस्से को देश के विकास के काम में खर्च करने की

[श्री अ० प्र० शर्मा]

बात उस में है। उस में कोई टैक्सेशन की बात नहीं है। मेरे एक साथी ने, जिन्होंने अभी इंटरप्ट किया था, औरंगजेब के जमाने में जज़िया टैक्स जो लगाया गया था उससे इसकी तुलना की। लेकिन इस तरह की बातें करने का मतलब तो यह है कि अगर देश के अन्दर कोई भी विकास का काम होता है तो कुछ लोग उस का भी विरोध करते हैं।

श्री बड़े (खारगोन) : आप को किसानों की स्थिति मालूम नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा : किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में मुझे आप से ज्यादा तो मालूम नहीं है लेकिन किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे मालूम है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि जो मौजूदा बिल सदन के सामने है उस से कम से कम ६० फी सदी किसान इस स्कीम से बरी हो जायेंगे। मुझे आशा है कि बहस के बाद जब हमारे वित्त मंत्री जी इस का जवाब देंगे तो वे इस बात के ऊपर भी विचार करेंगे कि अगर थोड़े से किसान और इस से बरी हो जायें, ६० के बदले ७० प्रतिशत किसान बरी हो जायें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री योगेन्द्र झा (मधुवनी) : अध्यक्ष महोदय, अनिवार्य बचत योजना को मैं प्रजातान्त्रिक भावना के विरुद्ध और प्रजातन्त्र के विरुद्ध मानता हूं। यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर घोर आघात है। मैं अपनी बचत का पैसा किस तरह से लगाऊं, इस सम्बन्ध में अगर मेरे ऊपर कोई मजबूरी हो तो मैं इसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के खिलाफ मानता हूं। अगर आकर्षक कार्यक्रम के द्वारा, आकर्षक शर्तों के द्वारा हम लोगों में बचत की भावना आती है और हम जहां तक सम्भव हो बचायें, यह अपने लिये भी और देश के लिए भी अच्छा है। इस ख्याल से किसी को भी विरोध नहीं हो सकता। देश में पैसे की जरूरत है, उस की पूर्ति होनी चाहिये, लेकिन यह पैसा कहां से आये, इस के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिये।

इस सदन में २१-३-६३ को हमारे खाद्य और कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि देश के अन्दर अब से सरकारी नीति फार्मर ओरिएन्टेड होगी लेकिन मैं कहूंगा कि यह फार्मर के विरुद्ध ओरिइन्टेड है और अधिक उपज के विरुद्ध ओरिएन्टेड है। इस का उचित नाम अनिवार्य उपज कम करो योजना होना चाहिये। इसलिये कि जिस पैसे को किसान उन्नत बीज, उन्नत औजार और सिंचाई के काम में लगाता, खाद में लगाता, उस पैसे को बचा कर किसान को मजबूरन अनिवार्य बचत के अन्दर जमा करना पड़ेगा, जिस का अनिवार्य परिणाम उपज में कमी होगा। यह देश के लिये बड़ा खतरा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज देहात में रहने वाले ८० प्रतिशत किसानों की आमदनी १,००० रु० से कम है। अगर उस को पांच व्यक्तियों के परिवार पर बांटा जाय तो प्रति व्यक्ति को प्रति माह १६ रु० ६६ नये पैसे की आय है। यह इस सदन के एक सदस्य के दैनिक भत्ते से भी कम है। मंत्रियों के बंगलों की कल्पना तो पागलपन होगी, लेकिन हमारे साधारण सदस्यों के फ्लेट्स में जो फर्निचर है उस के मासिक किराये से भी कम है और मंत्रियों के पानी और बिजली के उपर जो मासिक खर्च आता है उस के तीसवें हिस्से से भी कम है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दर्ख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने देश के लिये बजट बनवाया है उसी तरह से जब कभी वे देश का बजट तैयार करें तो भिन्न भिन्न आमदनी वालों के लिये वे एक पारिवाहिक बजट भी दें। ऐसा पारिवारिक बजट दें कि किस आमदनी के के लोगों को किस तरह से खर्च करना चाहिये और वह कितना बचा सकते हैं। इस तरह से

जो बचा हुआ पैसा हो वह बचत में ले लिया जाय। अगर आप ऐसा कर दें तो हम लोगों के लिये भी सुविधा होगी हम लोग जनता को समझा सकेंगे कि तुम्हारा हिसाब,इतना आता है। जिस तरह से इंश्योरेन्स वाला आ कर कहता है कि तुम्हारी इतनी उम्र है और तुम यह पालिसी ले सकते हो, उसी तरह से हम लोग भी उस की आय दिखला सकेंगे कि तुम्हारा इतना खर्च है और तुम इतना बचा कर सरकार को कर दे दो। इस लिये मंत्री जी भिन्न भिन्न आमदनी वालों के लिये पारिवारिक बजट देने की कृपा करें।

मैं कहना चाहता हूं कि अनिवार्य बचत के रूप में लगान का ५० प्रतिशत लेकर आज राज्य सरकारों के लिये पैसे की व्यवस्था की जा रही है। हमारे वित्त मन्त्री जी राज्य सरकारों को सलाह दें कि वे अपने राज्यों में भूमि कर में परिवर्तन करें क्योंकि आज जो भूमि कर प्रणाली है वह घोर अवैज्ञानिक और प्रतिगामी है। व्यक्ति की आमदनी और जमीन की उपज से कोई सरोकार नहीं है। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि जिनके पास अधिक जमीन है, अच्छी जमीन है वे लगान कम देते हैं उसका लगान प्रति एकड़ कम लगता है अगर कभी मौका मिला तो मैं इसे स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दूंगा क्योंकि मैं यह व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। आज इस बात की जरूरत है कि जिस तरह से आय कर के क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने पर कर भी बढ़ता है उसी तरह भूमि करके सम्बन्ध में भी होना चाहिये, आज दुनिया ने इस प्रगतिशील कर सिद्धान्त को मान लिया है, लेकिन भूमि कर के क्षेत्र में इसे लागू नहीं किया गया है।

इस देश में ७० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है जो कि कुल जोत का १७ प्रतिशत होता है। सिर्फ १ प्रतिशत किसान हैं जिनके पास ५० एकड़ से अधिक भूमि है जो कि कुल जोत का १७.५ प्रतिशत होता है। यानी ७० प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक जमीन १ प्रतिशत लोगों के अधिकार में है। लेकिन मालगुजारी की दर में, लगान की दर में कोई फर्क नहीं है। यदि यहां प्राग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील कर सिद्धान्त को लागू किया जाय तो जितनी रकम बचत के रूप में आप लेना चाहते हैं उतनी भूमि करके रूप में ली जा सकती है। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर आज किसानों की क्या स्थिति है। एक भागलपुर प्रमण्डल में ही ८।।। करोड़ किसानों के जिम्मे कर और कर्ज का रुपया बकाया है चालू वर्ष का। चालू वर्ष की जो लगान होगी वह उसके ऊपर होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर बचत का रुपया उनसे वसूल किया गया तो लगान की वसूली का प्रतिशत जो आज है वह स्पष्ट रूप से गिरने वाला है क्योंकि लोग बचत का पैसा दे नहीं सकेंगे और बिना बचत का पैसा दिये हुए लगान लिया नहीं जायेगा। लगान की वसूली का प्रतिशत गिरने वाला है। यह एक बड़ा भारी खतरा है। इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वे इस बात के ऊपर विचार करें कि किसानों के ऊपर किस हद तक इस बचत को लागू किया जाय। मैंने संशोधन दिया है कि कम से कम ५० रु० मालगुजारी देने वाले व्यक्तियों को या जिस परिवार की सालाना आमदनी १५०० रु० से कम है, ऐसे परिवारों को इससे मुक्त किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में कोई छूट की व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक विपत्तियों में पड़ने वाले व्यक्तियों के लिये किसी छूट की व्यवस्था नहीं है। हर साल असम, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि में बाढ़ आती है, सूखा का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस में किसी के लिये किसी छूट की गुंजाइश नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा वित्त मन्त्री जी से कि ऐसे व्यक्तियों के लिये छूट की गुंजाइश रक्खी जाय। जवानों के लिये जो खून लिया जाता था उसमें कम खून वालों से तथा रोगियों से खून नहीं लिया जाता था कारण कि जिसके शरीर में स्वयम् खून नहीं, वह खून क्या देगा? क्या दे सकेंगे ऐसे लोग जो अकाल पीड़ित हों, बाढ़ पीड़ित हों, अग्निकांड पीड़ित हों या दूसरे दैवी या प्राकृतिक

[श्री योगेन्द्र झा]

प्रकोपों से पीड़ित हों ? ऐसे लोगों को इससे मुक्त किया जाय। इस सम्बन्ध में भी मैं ने संशोधन दिया है। मैं आशा करता हूं कि उस को वित्त मन्त्री महोदय अवश्य मान लेंगे और उस को मान कर उदारता का परिचय देंगे।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, जो अनिवार्य बचत योजना विधेयक प्रस्तुत है जहां तक उसका सवाल है, अच्छा है अगर बचत हो और लोग दें। लेकिन वित्त मन्त्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले उन सभी पहलुओं पर नजर डालनी थी कि इस बचत योजना में वही लोग दें जिन को कुछ बचत हो अगर बचता नहीं तो फिर वे कहां से देंगे? वित्त मन्त्री ने एक बड़ी विशालहृदयता का परिचय दिया कि ५ रु० तक की लगान वाले किसानों को छूट दे दी। लेकिन जो लोग ६, ७, ८, १०, २० या २५ रु० सालाना लगान देते हैं उन की हालत क्या ऐसी है कि वे अपनी लगान का ५० प्रतिशत बचत कर के दे सकें ? मैं आप के सामने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रु० में चवन्नी तो पहले ही बढ़ा दिया था और अठन्नी यहां की सरकार बढ़ाने जा रही है किसानों पर। इस तरह से १२ आना हो जायेगा। दूनी रकम होने में चवन्नी बचती है, सिर्फ इसकी कसर बाकी है।

एक माननीय सदस्य : अन्तरिम जिला परिषद् उसे ले ले।

श्री रामसेवक यादवः इसकी उदारता भी शायद सरकार कर दे। जब जमींदारी खत्म हो रही थी उत्तर प्रदेश में तो उस समय एक चीज पर विचार हो रहा था कि जो लगान की पद्धति है उसमें कुछ परिवर्तन हो। आय कर की तरह से लगान का तरीका बनाया जाय, यह तो नहीं था लेकिन यह जरूर विचाराधीन था कि कौन से किसान ऐसे हैं जो लाभकर जोत वाले हैं और कौन से किसान ऐसे हैं जो अलाभकर जोन वाले हैं। समिति ने अपने प्रतिवेदन में साफ साफ कह दिया कि ६।।। या ७ करोड़ किसान ऐसे हैं जो कि अलाभकर जोत में आते हैं। उनके पास बीज, खाद, लगान, मालगुजारी तथा अन्य खर्च निकालने के बाद कुछ बचत नहीं हो सकती मेहनत मजदूरी का हिसाब लगा कर। इसलिए वे सभी खाते जो कि पौने सात एकड़ या सात एकड़ के हैं सब अलाभकर जोत के हैं। सन् ४६, ४७–४८ में वह प्रतिवेदन आया था तब से न जाने दुनिया कहां पहुंच चुकी है कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, कितनी ज्यादा सिंचाई की दरें बढ़ चुकी हैं, खाद आदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ चुके हैं और मेहनत, मजदूरी बढ़ चुकी है, इसलिए अगर इस दृष्टि से देखें तो उसमें शायद परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है ? एक तरफ़ तो चार आने वहां बढ़ गये और हमारे वित्त मन्त्री एक आठ आने का टैक्स किसानों पर और लगा रहे हैं। उसमें भी समान रूप से लगा रहे हैं। जो ६ रुपये का किसान है वह भी ५० प्रतिशत दे और जो १५० या २०० रुपये का मालगुज़ार है वह भी ५० प्रतिशत दे। यह अंधेरगर्दी देख कर तो वह प्रसिद्ध कहावत बरबस याद आ जाती है :—

"अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा,।"

सब को एक लाठी से पीटा गया है। इसके लिए मैंने एक संशोधन दिया है और मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। वित्त मन्त्री महोदय उस दल से सम्बन्धित हैं जिसने कि कभी आज़ादी से पहले कहा था कि सब का लगान आधा होगा। मैं सबका लगान आधा करने की बात नहीं करता लेकिन उनको आज़ादी के पहले के कथन का वास्ता दिलाते हुए कहूंगा कि कम से कम इस कर से ६ एकड़ या ७ एकड़ वालों को बख्शा जाय। उन पर यह कर नहीं बढ़ना चाहिए।

इसी तरह से मकानों के बाबत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मकानों के ऊपर अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत ३ प्रतिशत का जो कर लगा दिया गया है उससे भी बहुत से लोगों को दिक्कत

अनुभव होगी। मान लीजिये कि किसी के पास एक मकान है और उससे प्राप्त होने वाला किराया ही उसकी आमदनी का एकमात्र साधन है। ५० या १०० रुपया उसका किराया आता है अब इस महंगाई के युग में जिस व्यक्ति की आमदनी १००, १५० या २०० रुपया मासिक है उसका जीवन निर्वाह दूभर हो रहा है। दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे कम आमदनी वाले लोगों पर आंख बन्द करके अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत कर लगाना उचित व न्यायसंगत नहीं होगा। ऐसे लोगों को अवश्य राहत दी जानी चाहिए। ऐसे लोग जिनकी कि कोई बचत नहीं है, जैसे कि एक मकान वाला है, खुद उसमें रहता हो, किराये पर उसने न भी चढ़ाया हो लेकिन उसका कोई दूसरा खास आमदनी का ज़रिया न हो तो उस पर भी कर बांध दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक संशोधन दिया है और मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे मकान मालिक जिनकी कि आमदनी १०० रुपये महीने से ज्यादा न हो और कोई अन्य आमदनी का ज़रिया उनके पास न हो उनको इस से छट दी जाय।

इसी तरीक़े से इसमें एक व्यवस्था यह है कि जिसका बक़ाया रह जायगा उस के ऊपर उसे उतना ही देना पड़ेगा अर्थात् फाइन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़े लोग हैं और देना नहीं चाहते और जिनकी कि आमदनी २००० या ३००० रुपये है लेकिन वे इसके अन्तर्गत टैक्स नहीं देना चाहते तो इस तरह की जुर्माने की व्यवस्था उनके लिए समझ में आ सकती है लेकिन जो ६ रुपये या १० रुपये का किसान हो, अव्वल तो उसको लगान देना दूभर होता है, अपनी जिन्दगी चलाना उसे दूभर है और अगर देना भी रहता है और वह नहीं दे पाता है तो उस हालत में वह १० और दे, यानी उतना ही और उसके ऊपर ज़ुर्माने की शक्ल में लाद दिया जाय तो उसकी क्या हालत होगी? अगर न दे पाये तो कुर्की के अन्दर उसका लौटा, थाली और बैल नीलाम हो जायगा। इसलिए इस बारे में कोई प्रतिबन्ध अवश्य लगाया जाय कि २०० रुपये, १०० रुपये या ५०० रुपये बकाया वाले हैं तो उन पर यह पैनालटी नहीं लगेगी। इस बारे में वित्त मन्त्री महोदय को ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए और कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो दुखी लोग हैं गरीब लोग हैं जिनके कि पास कोई आमदनी व बचत नहीं है, उन पर यह बोझ न पड़े और वे इस क़ानून का शिकार न हों इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि वे इस पर अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैंने विधेयक पर वाद-विवाद को बहुत ध्यान से सुना है। जैसा कि मैंने कहा है, यह बचत का एक नया तरीका है, जिसका पहले कोई उदाहरण नहीं है। किन्तु विचार कोई नया नहीं है। पहले भी कई लोगों ने इस पर विचार किया था किन्तु अब तक इस पर अधिक जोर नहीं दिया गया। मैंने इस पर उठाई जाने वाली सब आपत्तियों पर विचार किया है। और इस निश्चय पर पहुंचा है कि विधेयक इसके उपबन्धों के अधीन आने वाले व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध नहीं है।

इसके सम्बन्ध में एक कानूनी आपत्ति उठाई गई थी किन्तु मेरा मत है कि यह संविधान के अनुरूप ही है। जो यह कहते हैं कि सरकार बिना प्रतिकर दिये ही अर्जन करेगी, वे भूल जाते हैं कि यह केवल जमा अथवा उधार के रूप में ही ले रही है और बाद में इसे ब्याज सहित वापिस कर दिया जायेगा। इसमें किसी को वंचित नहीं किया जाता। यह केवल अस्थाई रूप से इसके व्यय किये जाने से वंचित किया जाना है। इस पर उन्हीं का अधिकार रहता है और उन्हें लाभ भी होता है क्योंकि उन्हें ब्याज मिलता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

जहां तक इसके गुणदोषों का प्रश्न है, कई लोगों ने इसको देश के लिये लाभप्रद समझ कर इसका समर्थन किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है कि कृषकों से सम्बन्धित उपबन्धों को निकाल दिया जाये। मैं जानता हूं कि हमारा देश बहुत गरीब है और यदि हम यह कहें कि जब तक जीवनस्तर काफी ऊंचा नहीं उठ जाता, तब तक हम कर न लें, तो हमें देश का स्तर उठाने की सारी आशायें छोड़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक हम विनियोजन के लिए अधिक धन की व्यवस्था न करें तब तक स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए उनसे रूपया लेना आवश्यक कि जिस से उनको और आने वाली पीढ़ी को लाभ पहुंचे। जब तक बचत न हो, तब तक विनियोजन के लिए रूपया नहीं आ सकता।

†**श्री पें० बेंकटा सुब्बैया** (अडोनी): अलाभप्रद जोतों के विषय में क्या विस्तार है?

†**श्री मोरारजी देसाई**: अगर हम उन्हें छोड़ दें, तो देश की सारी कृषि व्यवस्था नष्ट हो जायेगी, क्योंकि उन भूमियों में कुछ पैदा करने का प्रलोभन नहीं रहेगा। इसलिए मैं उस तर्क से सहमत नहीं हूं।

यह सच है कि जैसा कि श्री राम सेवक यादव ने कहा है, कि एक समय कांग्रेस ने कह दिया था कि ५० प्रतिशत लगान कम कर देना चाहिये। किन्तु मैं ने इसको कभी नहीं माना। यदि मेरे माननीय मित्रों ने निर्वाचनों में किसानों को यही वचन दिया है, तो ठीक नहीं किया। हमने कृषि पर कम से कम २००० करोड़ से ३००० करोड़ रुपये तक खर्च किया है। यह रुपया कहां से आया? राजस्व तो इतना कम होता है कि मेरे जिले में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय वहां से प्राप्त होने वाले लगान से अधिक होता है।

†**श्री राम सेवक यादव**: कृषक और भी कर देते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई**: मैं मानता हूं। किन्तु वे कितना देते हैं। और भी बहुत से खर्च हैं। जब मैं बम्बई में था, तो ७, ८ वर्ष हमने जो आंकड़े तैयार किये थे, उस से प्रतीत होता था कि कर की राशि में से ६६ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से और ३३ प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से ली जाती थी, किन्तु स्थिति अब इस के बिल्कुल विपरीत है। पहले राजस्व का ६६ प्रतिशत शहरों पर और ३३ प्रतिशत ग्रामों पर खर्च किया जाता था। अब यह स्थिति बिलकुल विपरीत हो चुकी है।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): कुल राशि अब कम नहीं है। प्रतिशतता कम हो सकती है।

श्री मोरारजी देसाई: कुल राशि कम नहीं हो सकती क्योंकि हम अपना राजस्व निरन्तर बढ़ा रहे हैं। पहले राजस्व ३०० करोड़ था, अब १५०० करोड़ रुपये हैं। कुल राशि वही रहेगी। यदि कुल राशि वही है, तो वे कुछ अधिक नहीं दे रहे हैं। किन्तु उन्हें लाभ अधिक मिल रहे हैं। ये कौन दे रहा है? अन्य लोग दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी स्थिति में सुधार हो और इसी सुधार के लिए यह पग उठाया गया है। यह सच है कि कुछ कृषक १० रुपया लगान देने में कठिनाई अनुभव करते हैं। फिर भी उन्हें देना पड़ता है। क्या इस का अर्थ यह है कि जो १० रुपये नहीं दे सकते, उन्हें माफ कर दिया जाये?

---

†मूल अंग्रेजी में

जब तक कि लोगों को बचत करना न सिखाया जाये, मेरे विचार में इस देश की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इस विषय में मैं सब लोगों तक पहुंच सकूं। किन्तु ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि प्रबन्ध पर बहुत खर्च आयेगा।

कहा गया है कि इसे वसूल करना बहुत कठिन होगा। किन्तु ऐसा नहीं है। हम इसे उन लोगों पर लागू कर रहे हैं जो प्रशासन के बर्तमान प्रबन्धों के अधीन आते हैं। लगान इकट्ठा करने वाले कर्मचारी ही इसे वसूल करेंगे। मैं राज्यों को यह सुझाव दे रहा हूं कि यह उनके भावी लगान में जमा किया जाये।

†**श्री पें० बेंकटासुब्बया** : आपने उन मामलों के लिए व्यवस्था नहीं की जिन में लगान माफ कर दिया जाता है?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह व्यवस्था की गई है कि जहां लगान माफ कर दिया जाये, अनिवार्य जमा वसूल न किया जाये। इस प्रयोजन का एक संशोधन है।

हम ने सीमा को ५ रुपये तक बढ़ा दिया है क्योंकि इससे आधे कृषकों को राहत मिलती है। यह भी कहा गया है कि १५०० रुपये वार्षिक पाने वाला कोई अंशदान नहीं दे सकेगा। किन्तु वह अपने परिवार को तो पालता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ न कुछ बचा लेता है, अपने आप को कुछ हद तक लाभ पहुंचाता है। यदि हम उसे अधिक खर्च करना सिखायें, तो वे अपनी स्थिति में कैसे सुधार करेंगे?

श्री स० मो० बनर्जी ने पूछा है कि भविष्य निधि क्यों नहीं बढ़ा दी जाती। किन्तु ऐसा करने से भी तो वह खर्च करने की रकम से वंचित हो जाता है। यदि वह वेतन में से पैसे कटवा सकता है, तो वह इस रूप में क्यों नहीं दे सकता?

यदि यह दिखा सके कि उसकी बचत ११ प्रतिशत तक की है, तो उससे नहीं लिया जायेगा। यह मैं पहले कह चुका हूं। जब तक बचत न की जाये, तब तक भविष्य में उन की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। मैं ने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जो पहले १०० रुपये कमाते थे, बाद में ५०० से ८०० रुपये कमाने लगे, किन्तु उनकी हालत वही रही, क्योंकि उनका खर्च आय से अधिक था। यदि लोग अपने आय की सीमा के अन्दर रहें, तो ऐसा नहीं होगा। इस लिए इस उद्देश्य से यह अनिवार्य बचत योजना जारी की गई है।

†**श्री प्रभात कार** : आप ने ११ प्रतिशत का हिसाब कैसे लगाया है?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ने देखा है कि मद्रास राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए ११ प्रतिशत बचत अनिवार्य कर दी गई है। और वे लोग इतना दे रहे हैं।

†**श्री प्रभात कार** : यदि कर्मचारी ११ प्रतिशत अंशदान भी दें, तो भविष्य निधि बढ़ाई नहीं जा सकती। क्या केन्द्रीय सरकार इसे मान लेगी?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसमें अंशदान देने का प्रश्न नहीं है। ब्याज दिया जायेगा। जो भविष्य निधि, बीमें या संचयी निक्षेप योजना में रुपया देकर ११ प्रतिशत बचत कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य जमा योजना में कुछ नहीं देना पड़ेगा। आशय यह है कि उन्हें इस हद तक बचत करनी चाहिये। इस विधेयक का यही उद्देश्य है और मैं समझता हूं कि वे लोग जिन पर यह लागू होगा, वे मजबूत होंगे। इस लिए यह समाज के लिए लाभप्रद है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए इसे अगले सत्र के पहले दिन तक परिचालित किया जाये।"

इस पर मत विभाजन कल ५ बजे होगा।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, २४ अप्रैल, १९६३ / ४ वैशाख, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २३ अप्रैल, १९६३

३ वैशाख, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४६०७—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
६८६	जहाजों के भाड़े की दरें	४६०७—०८
६८७	रेलवे के लिये कंक्रीट के स्लीपर	४६०८—११
६८८	छोटी सिंचाई योजनायें	४६११—१५
६८९	दिल्ली के चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के खाने के खर्च में कमी	४६१५—१७
६९०	फलों और पशुओं के फार्म	४६१७—१९
६९२	कृषि विश्वविद्यालयों में गृह-विज्ञान कालिज	४६१९—२०
६९३	कृषि प्रयोजनों के लिये लोहा तथा इस्पात	४६२०—२३
६९४	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के किराये	४६२३—२४
६९५	लंका को चीनी का निर्यात	४६२४—२५
६९६	दिल्ली में सड़क कर का भुगतान	४६२५
६९७	बिजली के इंजनों का आयात	४६२५—२७
६९९	आसाम तथा नागालैंड में रेलवे लाइन की सुरक्षा	४६२७-२८
१००२	इंटीग्रल कोच फैक्टरी	४६२८—३०
१००३	विलासपुर सड़क	४६३०—३२
१००६	परिवहन समस्याओं के लिये संयुक्त राष्ट्र की सहायता	४६३२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६३२—६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९१	विश्व खाद्य कांग्रेस	४६३२—३३
६९८.	कृषि उपकर	४६३३
१०००.	वातानुकूलित गाड़ियां—डिब्बे	४६३३—३४
१००१	गोआ को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उदघाटन उड़ान	४६३४
१००५	सर्वोत्तम ग्राम	४६३४—३५
१००७	रेलवे दुर्घटना जांच समिति	४६३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
२१७०	काली मिर्च उद्योग . .	४६३५
२१७१	उड़ीसा में लघु सिंचाई परियोजनायें . .	४६३५–३६
२१७२	धनवाद के निकट रेल दुर्घटना . . .	४६३६
२१७३	भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय . . .	४६३६
२१७५	राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय . .	४६३७
२१७७	जाजपुर—क्योंझर रोड पर ऊपरी पुल . .	४६३७
२१७८	अन्दमान में जंगली जीवों के लिये शरण स्थान . .	४६३७–३८
२१७९	दिल्ली में टेलीफोन की विशेष सेवायें	४६३८
२१८०	खोपरा उत्पादकों को सहायता	४६३९
२१८१	मंगलौर में प्रकाशस्तम्भ . .	४६३९–४०
२१८२	कोलायत स्टेशन . . .	४६४०
२१८३	राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन . .	४६४०
२१८४	यात्री डिब्बों में धूल . .	४६४१
२१८५	कृषि ऋणग्रस्तता	४६४१
२१८६	टेलीफोन राजस्व	४६४२
२१८७	सहकारी अभिकरणों को ग्रामीण ऋण . .	४६४२
२१८८	रेलवे अधिकारियों का यात्रा भत्ता . . .	४६४२
२१८९	भागलपुर के डाकघर से डाक का गायब होना . .	४६४३
२१९०	रेल के डिब्बों का निर्यात . . .	४६४३
२१९१	पंजाब के कृषि कालिज	४६४३
२१९२	विदेश से आये पारसल में पत्थर . .	४६४४
२१९३	अकाल क्षेत्र . . .	४६४४
२१९४	रेल पथ निरीक्षक . .	४६४४–४५
२१९५	रेलवे में आपातकालीन पद .	४६४५
२१९६	रेलवे हाई स्कूलों के क्लर्क	४६४५
२१९७	डाक तथा तार विभाग के भवन . . .	४६४५–४६
२१९८	उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन	४६४६
२१९९	पिछड़े हुये पर्वतीय क्षेत्रों में डाक एवं तार की सुविधायें .	४६४६
२२००	पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों पर पुल . . .	४६४७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२०१	पंजाब में चीनी का उत्पादन	४९४७
२२०२	सरहिन्द नंगल सेकशन से आय	४९४७
२२०३	धान की खेती का जापानी ढंग	४९४७–४८
२२०४	डी० बी० के० रेलवे परियोजना	४९४८
२२०५	बख्तियारपुर–राजगीर शाखा लाइन	४९४८
२२०६	आन्ध्र प्रदेश में नल कूप खोदना	४९४९
२२०७	जर्सी साण्ड	४९४९
२२०८	भाण्डागार निगम	४९४९–५०
२२०९	मध्य रेलवे पर सिगनल व्यवस्था	४९५०
२२१०	समय सारिणी	४९५०
२२११	दौरणाकल–खम्मामेठ रेलवे लाइन	४९५०
२२१२	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन	४९५०–५१
२२१३	उत्तम नस्ल के खच्चर	४९५१
२२१४	होटल उद्योग	४९५२
२२१५	रोहतक रोड, दिल्ली पर रेलवे का फाटक	४९५२
२२१६	पटेल रोड रेलवे फाटक, दिल्ली	४९५३
२२१७	नांगलोई और घेवरे के बीच फ्लेग स्टेशन	४९५३
२२१८	पंचायतों का चुनाव	४९५३
२२१९	नजफगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन	४९५३–५४
२२२०	आसाम में हवाई अड्डों पर टर्मिनल इमारत	४९५४
२२२१	विमान यातायात	४९५४–५५
२२२२	केरल के लिये बन्दरगाह विशेषज्ञ	४९५५
२२२३	बेपुर में घाट	४९५५
२२२४	मालगाड़ी में आग	४९५५–५६
२२२५	भावनगर हवाई अड्डा	४९५६
२२२६	परिवहन सहकारी समितियां	४९५६
२२२७	कृषि सेवा सहकारी संस्थायें	४९५७
२२२८	आन्ध्र प्रदेश में डाकखाने	४९५७
२२२९	जी० टी० ऐक्सप्रेस में चोरियां	४९५७–५८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२२३० नये हवाई अड्डे	४९५८
२२३१ जापानी ढंग की खेती	४९५९
२२३२ महाराष्ट्र में कपास का विकास	४९५९—६०
२२३३ महाराष्ट्र में टेलीफोन प्रणाली	४९६०
२२३४ फल उत्पादन का विकास	४९६०
सभा पटल पर रखा गया पत्र	४९६०
फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों को राज—सहायता तथा सहायता दिये जाने की वर्तमान प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	४९६०
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (**डा० राम सुभग सिंह**) : ने तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५८७ के अनुपूरक प्रश्नों के २६ मार्च, १९६३ को दिये गये उत्तरों को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४९६१—६३
(१) श्री स० मो० बनर्जी ने समाचार पत्रों में छपे इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक लाइसेन्स देने की सरकार की नीति सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया के बारे में संघ सरकार के दो सम्बन्धित मंत्रियों में मत—भेद है ऐसे लाइसेंसों के दिये जाने सम्बन्धी सरकार की नीति की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।	
(२) श्री प्र० र० चक्रवर्ती ने संयुक्त अरब गणराज्य, ईराक और सीरिया के मिल कर एक संघ राज्य बनाने और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया । वैदेशिक—कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।	
समिति के लिये निर्वाचन	४९६३—६४
खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्याग पत्र दे दिया है, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	

विषय पृष्ठ

संयुक्त समति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना ४९९४

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्रस्तुत किया कि:—

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय अगले सत्र के अंतिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक विचाराधीन . . . . ४९९५—५०१२

(१) गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने प्रस्ताव किया कि राज्य भाषायें विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

(२) २२ अप्रैल, १९६३ को प्रस्तुत किये गये अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर विचार करने के प्रस्ताव पर और विधेयक पर राय जानने के हेतु उसे परिचालित करने संबंधी संशोधन पर अग्रेतर चर्चा जारी रही।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार २४ अप्रैल, १९६३। ४ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

राज भाषायें विधेयक तथा अनिवार्य जमा योजना विधेयक पर अग्रेतर चर्चा और उनका पारित किया जाना।

GMGIPND—LS III—534 (Ai) LSD— 14-6-63—160.